हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 अगस्त, 1988

खण्ड 2, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाुकवार, 26 अगस्त, 1988

पृश्ठ संख्या

तारंकित प्र न एवं उत्तर	(5)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5)25
विभिन्न विशयों को उठाया जाना	(5)26
विशे ााधिकार भंग के प्र नः—	
(1) मैसर्ज जिंदल इरीगे ान लिमिटिड, भिवानी के श्री राजेंद्र चौधरी तथा फर्म, अर्थात मैसर्ज जिन्दल ऐल्युमिनियम लिमिटिड तथा जिन्दल इरीगे ान लिमिटिड, बंगलौर के मालिक तथा प्रबंध निदेशक श्री सीता राम जिन्दल के विरूद्ध	(5)27
(2) साप्ताहिक ''पींग'' के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रका ाक श्री डी0 आर0 चौधरी के विरूद्ध	(5)28
ध्यानाकर्शण प्रस्तावः—	
धान की कीमतों में विभेद होने संबंधी	(5)31

वक्तव्यः—	
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी	(5)31
सचिव द्वारा घोशणा	(5)34
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(5)34
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(5)35
बिल्जः—	
दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1988	(5)35
नियम 84 के अधीन प्रस्तावः—	
(1) वर्श 1986—87 के लिए हरियाणा वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की 20वीं वार्शिक रिपोर्ट	(5)66
(2) वर्श 1986—87 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड की 13वीं वार्शिक रिपोर्ट	(5)72
(3) 31—3—1985 को समाप्त हुए वर्श के लिए हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटिड की 9वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे	(5)75
(4) वर्श 1985—86 के लिए हरियाणा डेरी विकास निगम	(5)76

लिमिटिड की वा ि र्क रिपोर्ट तथा लेखे	
(5) वर्श 1985–86 के लिए हरियाणा कृशि उद्योग निगम लिमिटिड की 19वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे	(5)81
(6) वर्श 1985–86 के लिए हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्त ि ाल्प निगम लिमिटिड की 10वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे	(5)84
(7) वर्श 1986–87 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटिड की 20वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे	(5)84
(8) व र्ा 1986–87 के लिए हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटिड की 5वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे	(5)92

हरियाणा विधान सभा

भुकवार, 26 अगस्त, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एंव उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Question Hour.

Filling up of Vacancies in Cooperative Sugar Mills, Palwal

560. Shri Udai Bhan: Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state the categorywise number of vacancies lying vacant out of the reserved quota in the Cooperative Sugar Mills, Palwal togetherwith the time by which these are likely to be filled?

Minister of State for Cooperation(Dr. Raghubir Singh): The information is laid on the Table of the House at Annexure 'A'.

Annexure 'A'

(In reply to Starred A.Q. No. 560

Categorywise details of Reservation of Scheduled Castes/Backward Classes/Ex-Servicemen/Physically Handicapped.

Sr.	Category	Total sanctioned strength	Filled up posts	Vacant posts	Required Reservation for Scheduled Castes @ 20%			Required Reservation for Backward classes @ 10%			Required Reservation for Ex-Servicemen @ 5% for Class I, II & 17% for Class III & IV.			Required Reservation for physically handicapped @ 3%		
					Posts reserved for SCs	Posts filled up by SCs	Shortfall	Posts reserved for BCs	Posts actually filled by BCs	Shortfall/Excess	Posts reserved for Ex-Servicemen	Posts actually filled up by Ex-Servicemen	Shortfall	Posts reserved for Phy. Handicapped	Posts actually filled up by Phy. Handicapped	Shortfall

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Class I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Class II	44	37	7	7	-	7	4	1	3	2	1	1	1	-	1
3	Class III	262	206	56	40	10	30	20	15	5	35	5	30	6	3	3
4	Class IV	469	375	94	75	43	32	27	58	+21	64	42	22	11	5	
		776	619	157	122	53	69	61	74	+13	101	48	53	18	8	10

The Palwal Cooperative Sugar Mills Ltd. Plawal was running in losses since its establishment in 1984-85 except during the last season. The total number of sanctioned posts have not been filled up so far. The recruitment against vacant posts depends upon the financial position of the mills for which no limit can be laid. However, in filling up of the vacancies, priority will be given to recruit the persons from reserved categories.

श्री उदय भानः स्पीकर सर, जो डैटा दिया गया है, उसके अंदर क्लास II की पोस्टों में हरिजनों के लिये सात पोस्टें रिजर्व है जो खाली पड़ी है, बैकवर्ड क्लासिज के लिये चार में से तीन खाली पड़ी है और ऐक्स सर्विसमैन के लिये दो में से एक खाली पड़ी है। इसी तरह से क्लास तीन और चार में भी काफी पोस्टें खाली पड़ी है। इसका कारण वितीय संकट या घाटा बताया गया है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह पोस्टें जो हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज और ऐक्स–सर्विसमैन के लिये रिजर्व है और खाली पड़ी है, क्या इनको न भरने का कारण केवल घाटा ही है? या और भी कोई कारण है?

डा0 रघुबीर सिंहः स्पकीर सर, घाटाा तो वन ऑफ दी रीजन्ज है जिसकी वजह से सारी पोस्टें भरी नहीं गयीं। जहां तक रिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट्स को फिलअप करने की बात है, उस बारे में बताना चाहूंगा कि भाूगर मिलकी पोस्टें ऐसी है जो टैक्नीकल और स्किल्ड पोस्ट्स है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रपो र्नेटली इन्हें हम भर लेते है। दूसरा कारण वर्क लोड का है। वर्क लोड के हिसाब से और प्रौफिट आफ दी मिल के हिसाब से ही हम पोस्टें भरते है।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि यह जो पोस्ट्स खाली पड़ी है, क्या यह महेंद्र प्रताप सिंह जी की सरकार के वक्त की खाली पड़ी है या इस सरकार के आने के बाद की खाली पड़ी है?

डा0 रघुबीर सिंहः स्पीकर सर, मैंने लौस आफ दी मिल भी इन पोस्टों को न भरने का कारण बताया है। इस बारे में मैं आपको बताऊं कि यह मिल 1984–85 में 3 करोड़ 76 लाख रूपये घाटे में थी। 1985–86 में इस मिल में जो घाटा था, वह दो करोड़ साठ लाख रूपये घाटे में थी, उसके बाद 1986–87 में इसमें 76 लाख रूपये घाटा था। अब पहली दफा 1987–88 में यह मिल 35 लाख रूपये प्रौफिट में आयी है। यह पोस्टें कांग्रेस के टाईम की खाली पड़ी हुई है।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस समय हरियाणा प्रदे ा में विभिन्न सहकारी मिलों में कितने कर्मचारी कार्यरत है और उनमें से कितन रिजर्व्ड कैटेगरी के है और कितनी रिजर्व्ड कैटेगरी के पद खाली पड़े है?

श्री अध्यक्षः सारी स्टेट की इंफर्मे ान देना इस समय पौसीबल नहीं है।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अब यह मिल प्रौफिट में है। क्या ये बताएंगे कि जो ये वेकैंसीज खाली पड़ी है, इनको कब तक भर दिया जायेगा?

डा0 रघुबीर सिंहः यह सीजन भाुरू होने के समय इस बात की तरफ ध्यान दिया जायेगा।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि पछिले सालों में इस मिल में घाटा हो रहा था लेकिन अब यह

मिल प्रौफिट में है। हमारी सरकार ने गन्ने का रेट सारे दे ा में सबसे ज्यादा दिया हैं जिसकी वजह से यह प्रौफिट हुआ है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि पीछे जो घाटा हुआ है, उसकी कोई इन्कवायरी करवाई जायेगी।

डा0 रघुबीर सिंहः इसमें इन्कवायरी के लिये कोई स्टैप नहीं लिया गया है। बात यह है कि इसके घाटे के कई कारण है। अगर उन कारणों की डिटेलज डाक्टर हरनाम सिंह जी जानना चाहें तो मैं उनको अलग से सप्लाई कर दूंगा। यहां पर वे सारे कारण बताने से हाउस का टाईम वेस्ट होगा।

Purchase of Sprinkler Sets

571. Shri Hira Nand Arya: Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) the number of sprinkler sets, if any, purchased by the Irrigation Department for installation on canals in Bhiwani district during the year 1986-87 togetherwith the names of the firms from which these were purchased alongwith the terms and conditions thereof;

(b) whether the sprinkler sets purchased were according to the specifications given in the tender;

(c) whether the said sets had been installed during the Kharif season 1987-88; if not, the reason therefor; and

(d) whether any complaint regarding the poor performance of the said sets has been received; if so, the action taken thereon?

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(b) Yes.

(c) 43 Sprinkler sets were installed during 1987-88. The remaining sets could not be installed during that year due to constraint of funds.

Statement

The number of sprinkler sets was 90. The equipment required for these sets was purchased from the following suppliers:-

Description of equipment	**Name of supplier**
Aluminium alloy tubes and fittings	M/s Jindal Irrigation Ltd., New Delhi
Pumping sets including motors, etc.	M/s Max Flow Pump Pvt. Ltd., Gurgaon
Sprinkler nozzles	M/s Kilosker Bros. Ltd., Jaipur

Following are the main terms and conditions of the purchase orders:-

1 The goods supplied under this contract shall conform to the standards mentioned in the technical specifications.

2 All prices shall be firm for delivery of material to destination within the time specified for each.

3 The seller shall furnish a security deposit of 10% of total price of the contract for performance of the contract which will be valid until validity of the contract. A breach of the contract by the seller will result in forfeiture of the security deposit.

4 If the seller fails to deliver any unit by the date specified in the contract, liquidated damages equivalent to ½% of the delivered price of each calendar week of delay will be charged for each undelivered unit. In addition, the buyer will be free to purchase from other sources any or all undelivered items and to recover any excess cost that may be incurred, from the seller.

5 Payment for 90% value of the equipment shall be made on receipt of proof of the dispatch from the seller's plant and the remaining 10% after receipt of goods at destination.

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात ठीक है कि नीचे से विभाग ने यह रिपोर्ट दी है कि इन–इन कम्पनियों या बोर्डज से यह ि ाकायत आयी है कि अढ़ाई–सौ या तीन सौ घंटे चलने के बाद यह स्प्रिंक्लर्ज बेकार हो गये है। क्या यह बात ठीक है और अगर ठीक है तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कैला ा चंद्र भार्मा: स्पीकर साहब, नारनौल के स्प्रिंक्लर सैट्स के विक्रेताओं के अगेंस्ट किसानों ने लिखित रूप में ि ाकायत की और एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज कराई थी कि उनके साथ फ्रौड

किया गया है। उनके नाम से लोन किसी और ने ले लिया और जाली अगूंठे और दस्तखत करा लिए। अब बैंक वाले उनको लोन वापिस करने का नोटिस दे रहे है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्यवाही की है?

श्री वीरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में माननीय सदस्य ऐग्रीक्लचर डिपार्टमैंट के बारे में कोई सवाल पूछ रहे है। ये सैट्स तो डिपार्टमैंट खरीदता है और उनको हम लगाते है। इनसे किसान का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐग्रीक्लचर डिपार्टमैंट जो सबसिडी देता है वह अलग बात है।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, एक फर्म ने भार्त 23(1) के मुताबिक स्प्रिंकलर सैट्स सप्लाई नहीं किए थे और इसके लिए उस पर जुर्माना किया गया था लेकिन बाद में वह जुर्माना वापिस कर दिया गया। क्या मंत्री जी बताएंगे कि क्या यह बात ठीक है या नहीं? दूसरी बात यह है कि जिस कम्पनी ने ये सप्लाई किए थे उसने कोटे ान देते वक्त एक पाईप सात सौ ग्राम का देने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं दिया। क्या यह भी ठीक है या नहीं? तीसरा सवाल यह है कि रेनफाल टैस्ट.....

श्री अध्यक्षः आपने तो कई सवाल एक साथ कर दिए।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि पता नहीं बाद में नम्बर आएगा या नहीं।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सारी बात इनको ऐक्सप्लेन कर देता हूं ताकि इनके मन में जो भांका है वह दूर हो जाए। स्प्रिंक्लर सैट्स नब्बे की तादाद में खरीदे गए थे और ग्लोबल टैंडर मांगे गए थे। मतलब यह है कि इंटरने ानल मार्किट से टैंडर मांगे गए थे। मतलब यह है कि इंटरने ानल मार्किट से टैंडर मांगे गए थे और ऐल्यूमीनियम एलाय ट्यूब्ज एंड फिटिंग्ज जो खरीदे गए थे वे 1 करोड़ तीस लाख के खरीदे गए थे। ये मैसर्ज जिंदल इरीगे ान लि0., नई दिल्ली से खरीदे थे। पम्पिग सैट्स इंक्लूडिंग मोटर्ज ऐटसेट्रा मैसर्ज मैक्स फ्लो पम्प प्रा0लि0, गुड़गांव से खरीदे थे। स्प्रिंकूलर नोजल्ज मैसर्ज किलोस्कर ब्रोस लि0, जयपुर से लिए गए थे। ग्लोबल टैंडर्ज में ये पार्टीज लोएस्ट थीं, इनके कोटे ान लोएस्ट थे। इसलिए इनसे खरीदे गए थे। पहला आइटम जो मैसर्ज जिंदल इरीगे ान लि0, नई दिल्ली से खरीदा था। वह एक करोड़ तीस लाख का खरीदा था। दूसरा आइटम बीस लाख का था और वह मैसर्ज मैक्स फ्लो पम्प प्रा0 लि0, गुड़गांव से खरीदा था। तीसरी आइटम स्प्रिंकलर ने नोज्लज था। वे पांच लाख के खरीदे थे और यह मैसर्ज किलोसकर ब्रोस0 लि0, जयुपर से खरीदे थे। अब तक हमने 90 में से 46 स्प्रिंक्लर सैटस की इंस्टाल कर दिया है। डिपार्टमैंट के मुताबिक 46 की वर्किंग बिल्कुल सही है और किसी प्रकार की कोई ि ाकायत नहीं है।

श्री मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस डील के बारे में किसी आनरेबल मैम्बर ने मुख्य मंत्री के नोटिस में या सरकार के नोटिस में यह बात लाई है कि उनको धमकाया गया है

और कहा गया है कि सरकार मेरी जेब में है। क्या ऐसी कोई बात उनकों कहीं गई?

Mr. Speaker: Doctor Sahab, that is not the point at issue.

Shri Mangal Sein: Yes, Sir, I know. That is a matter of privilege.But still I wanted to know कि क्या किसी आनरेबल मैम्बर की तरफ से इस संबंध में कोई ि ाकायत प्राप्त हुई है।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, यह डील 1986–87 में प्रिवीयस गवर्नमैंट के समय हुई थी। मुख्य मंत्री जी के बारे में तो मैं कह नहीं सकता लेकिन मुझे इस बारे में किसी माननीय सदस्य की कोई ि ाकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह अर्ज किया था कि स्प्रिंक्लर सैट्स के जो पाटर्स खरीदे गये है उनमें नोजल और पाईप वगैरह की कोटे ान्ज में लिखा था कि नोजल का वजन 700 ग्राम और पाईप का वजन 6.70 ग्राम किलोग्राम होगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आया खरीद करते वक्त इन चीजों को तोल कर लिया गया था या वैसे ही ले लिया था? साथ यह भी बताएं कि इस साल यूनीफारमिटी ऑफ रेनज को देखते हुए इनको टैस्ट किया गया था कि या नहीं?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर सर, इन्होंने बड़ी बारीकी की बातें कह दीं कि पाईप का तोल हुआ कि नहीं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी प्रकार की कोई ि ाकायत नहीं है।

Upgradation of Rural Dispensaries to Primary Health Centres in District Mohindergah

567. Shri Kailsh Chand Sharma: Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Rural Dispensaries in district Mohindergarh to Primary Health Centres; if so, the time by which it is likely to materialize?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा): महेंद्रगढ़ जिला में कार्यरत सभी ग्रामीण अस्पतालों को पहले ही प्राईमरी स्वास्थ्य केंद्रों के तौर पर अपग्रेड किया जा चुका है।

श्री कैला ा चंद भार्माः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि जिला महेंद्रगढ़ में कुल कितनी डिस्पैंस्रीज अपग्रेड की गई है और उन में कितनी ऐसी है जहां पर डाक्टर्ज नहीं है और जहां पर डाटर नहीं है वहां कब तक डाक्टर्ज भेजने का कार्यकम है।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, 14 रूरल डिस्पैंसरीज को पी0 एच0 सी0 में अपग्रेड किया गया है। 10 प्राईमरी स्वास्थ्य केंद्र पहले ही चल रहे है। इस तरह से 24 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज इस वक्त काम कर रहे है। नौर्मज के अनुसार नौ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अन्य

विचाराधीन है। जहां तक डाक्टर्ज की नियुक्ति का संबंध है, लगभग 9 क्लास II एच0 सी0 एम0 एम0 के स्थान रिक्त हैं कुछेक पी0एच0सीज0 को छोड़ कर तकरीबन सभी में एक–एक या दो–दो डाक्टर्ज लगे हुए है। जहां पर डाक्टर्ज नहीं है वहां जल्दी ही डाक्टर्ज नियुक्त कर दिये जायेंगें। पब्लिक सर्विस कमी ान में डाक्टर के साक्षात्कार हो चुके हैं भीघ्र नियुक्ति कर दी जायेगी।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जैसे पहले अपने जवाब में बताया है कि महेंद्रगढ़ में सभी ग्रामीण अस्पतालों का दर्जा बढ़ाकर प्राईमरी स्वास्थ्य केंद्रों में अपग्रेड कर दिया है। क्या यह मापदंड हर जिले में रखा गया है?

श्रीमती कमला वर्माः जी हां।

श्री हजार चंदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी जैसे उन्होंने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ के रूरल एरिया में कुछ डिसपैंसरीज को अपग्रेड किया गया है, क्या उसी तरह से दूसरे जिलों की डिसपैंसरीज को भी अपग्रेड किया जायेगा?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, अव य किया जाएगा अगर ये जानना चाहते है कि सिरसा में कितनी डिसपैंसरीज अपग्रेड हुई है आनरेबल मैम्बर इसके लिए अलग से नोटिस देंगे तो मैं बता दूंगा।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब भी यहां पर सवाल पूछा जाता है तो ऐक्चुल फिगर्ज देने की बजाय 'लगभग'में या 'सूचना

उपलब्ध नहीं है', यह कहकर टाल दिया जाता है। असल बात तो यह है कि मंत्री लोग जानबूझ कर सही सूचना देना ही नहीं चाहते।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत बात है। हमारे पास सभी सूचना उपलब्ध है लेकिन जिस जिस जिले से संबंधित पूछा जाएगा उसी के मुताबिक सूच8ना दी जा सकती है। विधायक महोदय का अधिक बोलने का स्वभाव है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री महोदया से मैंने पहले एक सवाल पूछा था उसके उत्तर में उन्होंने 'जी हां' कहां और अब उसी प्रकार का सवाल मेरे एक माननीय साथी श्री हजार चंद कम्बोज जी ने पूछा तो उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने कह दिया कि इसके लिये अलग से नोटिस दें तो बता देंगे। कृपया इस बारे में जरा स्थिति स्पश्ट कर दें।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, रूल्ज के अनुसार अपग्रेडे ान का नौर्म एक ही रहेगा, सभी जिलों को प्राथमिकता मिलेगी। जहां स्वास्थ्य केंद्र खोलने है वहां हम सबसिडरी हैल्थ सैंटर और सब सैंटर्ज को अपग्रेड करेंगे। लेकिन हजार चंद जी ने कहा था कि सिरसा में कितने अपग्रेड करने जा रहे है, उसके लिए मैंने कहा था कि सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिलें में 5–7 सैंटर अपग्रेड किए है। मैं जानना चाहता हूं कि सारे हरियाणा में कितने अपग्रेड किए है। दूसरे, डाक्टर सरकारी सर्विस

छोड़ कर प्राईवेट क्लीनिक्स खोल लेते है, क्या इनको रोकने के लिए सरकार कुछ कर रही है क्योंकि हस्पतालों में डाक्टरों की कमी का यह भी एक कारण है?

मुख्य मंत्री(चौधरी देवीलाल): स्पीकर साहब, इन्होंने जो सवाल किया है यह समस्या हमारे सामने हैै। हम खुद समझते है कि हालत बहुत बुरी है। वहां पर सिवाए स्लिप के और कोई दवाई नहीं मिलती। जो दवाई होती है वह वी0 आई0 पीज0 के पास चली जाती है। इसके लिए हमने एक कमेटी मुकर्रर की है। उसकी कुछ रिकमैंडे ांज तो आ गई है और कुछ आने वाली है। हम यह भी महसूस करते है कि जो डाक्टर नौकरी छोड़ कर प्राईवेट प्रैक्टिस करते है उसका भी कोई हल हो। हम यह भी सोच रहे है कि पहले वक्त में डाक्टरों को नौकरी में रहते हुए प्राईवेट प्रैक्टिस की इजाजत थी, वह दोबारा दे दी जाएस। हम यह भी सोच रहे है कि जो दूर, रिमोट एरियाज में हस्पताल है उनको कुछ और मदद दी जाए।

Merger of Abohar Fazilka with Haryana

617. Shri Mangal Sein: Will the Chief Minister be pleased to state the steps if any, taken by the present Government for the implementation of Award regarding merger of Abohar Fazilka with the Haryana State in lieu of Chandigarh?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): वर्तमान सरकार के गठन के बाद भारत सरकार ने अभी तक चंडीगढ़, पंजाब को स्थानान्तरण करने बारे कोई प्र न नहीं उठाया है। इस बारे में

हरियाणा सरकार ने अपना दृश्टिकोण पहले ही राज्यपाल के विधान सभा में अभिभाशण दिनांक 10–7–1987 द्वारा स्पश्ट कर दिया था कि हरियाणा सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के 1970 के फैसले को लागू करने का स्वागत करेगी और यदि चंडीगढ़ पंजाब को स्थानान्तरण किया जाये तो अबोहर–फाजिल्का का क्षेत्र चंडीगढ के बदले हरियाणा को दिया जाये।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल श्री एस0 एसद्ध रे0 ने एक वक्तव्य दिया था कि मैं अपनी टैन्योर में चंडीगढ़ पंजाब में भाामिल करवाउंगा। क्या मंत्री जी बताएंगे कि सरकार ने इस बारे में केंद्रीय सरकार को कोई चिट्ठी लिखी या प्रोटैस्ट किया कि ऐसा ब्यान देना उनकी कम्पीटैंसी में नहीं है?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, सत्ता पक्ष की ओर से उस ब्यान का कड़ा विरोध किया गया था। डा0 साहब ने अखबारों में पढ़ा होगा। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने, हमारे वरिश्ठ मंत्रियों ने तथा माननीय सदस्यों ने कड़ा विरोध किया था। भारत सरकार की तरफ से कोई मूवमैंट नहीं है। किसी बात का चक्कर नहीं है, उन्होंने भी अखबार में ब्यान दे दिया और हमने भी दे दिया।

श्री मंगल सैनः क्या संसदीय कार्य मंत्री बताएंगे कि इस संबंध में भारत सरकार ने कोई मीटिंग रखी है? जैसे पानी के मसले के बारे में आप चार–चार बार मिलने गए, बूटा सिंह जी ने चिट्ठी लिखी वह भी ऐसी भाशा में लिखी जिसे न आप समझ सके और न हम

समझ सके। क्या आप ने केंद्रीय सरकारसेऐसी मांग की है या अनुरोध किया है कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाता है तो उसके बदले में हमें फाजिलका अबोहर दिया जाना चाहिए।

श्री बीरेंद्र सिंहः किसी तरह का कोई अनुरोध नहीं हुआ। हम चंडीगढ़ में बैठे है, हमे कोई भगा नहीं रहा है इसलिए अनुरोध कीकोई जरूरत नहीं हैं।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, पंजाब के गवर्नर साहब के ब्यान के रीएक ान से जहां हरियाणा में विरोध हुआ है वहां चंडीगढ़ में भी एक मूवमैंट चल रही है कि चंडीगढ़ इसी तरह से पंजाब और हरियाणा की सांझी कैपीटल रहनी चाहिए। इसके अलावा अखबारों में भी जनता पार्टी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह ब्यान आया है कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा प्रदे ाों की सांझी कैपीटल रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ यूनिट के प्रधान श्री प्रेम सागर जैन की तरफ से अखबारों मे ंयह ब्यान आया है कि चंडीगढ़ इसी तरह से रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या हरियाणा सरकार भी इस बारे में चिंतित है जो अखबारों में ब्यान आ रहे है?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, हर पार्टी का अपना–अपना दृश्टिकोण है। लोग तो यह चाहते है कि अबोहर–फाजिल्का और चंडीगढ़ तीनों हरियाणा के हिस्से में आएं।

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, कल अखबारों में भारत सरकार की तरफ से यह बात भी आई है कि लोक सभा के चुनावों तक चंडीगढ़ ऐसे ही रहेगा यानी चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की सांझी कैपीटल बना रहेगा लेकिन लोक सभा के चुनावों के बाद चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है?

श्री बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, लोकसभा के चुनावों के बाद हम लोग ही लोक सभा में होंगे और सरकार हमारी ही बनेगी। (थम्पिंग)

Oil Refinery karnal

601. Shri Ranjit Singh: Will the Minister fo rIndustries be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the decision of the Government of India to set up anOil Refinery at Karnal has nowbeen received by the State Government; and

(b) if so, the time by which the above said refinery is likely to be set up and start functioning?

Industries Minister (Dr. Kirpa Ram Punia):

(a) Yes, sir.

(b) The project is scheduled for completion by May, 1992.

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, करनाल जिले में आयर रिफाइनरी सैट अप कनरे के लिए हजारों एकड़ जमीन ऐक्वायर की गई

है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट क`लिए जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई है उन लोगों को दोबारा बसाने के लिए सरकार क्या कर रही है? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिन परिवारों की जमीन ऐक्वायर की गई क्यश उन परिवारों को उस प्रोजैक्ट में सर्विस देने का कोई प्रावधान है?

डा0 किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, इस प्रोजैक्ट के लिए करनाल जिले के बोहली गांव की दो हजार अस्सी एकड़ जमीन एक्वायर की गई है। इस गांव की टोटल आबादी 1100 है और इस गांव के 218 परिवार है। इन 218 परिवारों में से जो जमीन के मालिक है वे 117 है। जिस समय भुरू– ुरू में यह प्रोजैक्ट सैट–अप करने की बात आई उस समय सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ यह तय हुआ था कि इस एरिया से जितने भी परिवार अपरूट किए जाएंगे उन परिवारों को इनसिस्ट करेंगे कि जब भी यह प्रोजैक्ट इम्पलीमैंट होगा इसमें उन परिवारों के एक–एक आदमी को सर्विस दी जाए।

श्री हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, यह बात तो ठीक है कि वहां पर जिन परिवारों की जमीन ऐक्वायर की गई है उन परिवारों के एक–एक आदमी को उस प्रोजैक्ट में सर्विस दी जाएगी और दी भी जानी चाहिए लेकिन उस प्रोजैक्ट में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग सर्विस में रखें जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस प्रोजैक्ट में जो इतनी बड़ी संख्या में लोग सर्विस में रखे जाएंगे क्या उनमें हरियाणा के लोगों को सर्विस में प्राथमिकता दी जाएगी?

डा0 किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, यह प्रोजैक्ट काफी बड़ा है इसमें कोई संदेह नहीं है। यह प्रोजैक्ट लगभग 1500 करोड़ रूपए का है और इस प्रोजैक्ट की कंस्ट्रक ान के दौरान लगभग चार हजार वर्कर्ज काम करेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रोजैक्ट की कंस्ट्रक ान के लिए पहीं की लोकल लेबर ही लगाई जाएगी और हम यह बात सुनि चित करेंगे। इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट जब कम्पलीट हो जाएगी, उस रिपोर्ट के मुताबिक एक हजार टैक्नीकल पर्सन्ज लिए जाएंगे और लगभग दो हजार लोगों को इनडायरैक्टली सर्विस मिलेगी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, करनाल में तेल भाोधक कारखाने के लिए विधान सभा के चुनावों से पहले प्रधान मंत्री ने फाउंडे ान स्टोन रखा था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कारखाने की भारत सरकार से स्वीकृति आने के बाद इसको बनाने के लिए सरकार ने क्या प्रोग्रैस की है?

डा0 किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब,यह प्रोजैक्ट 1984 में स्वीकृत हुआ था और इसको बनाने के लिए कार्यवाही बहुत ढ़ीली रही है। पिछले चुनावों से कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी नेइस प्रोजैक्ट को बनाने के लिए फाउंडे ान स्टोन रखा था ताकि हरियाणा के लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्शित हो सकें। इस प्रोजैक्ट का फाउंडे ान स्टोन रखने के बाद जितनी प्रगति से काम होना चाहिए था उतनी प्रगति से नहीं हुआ है मगर फिर भी कुछ कार्यवाही चली है। पहले इस प्रोजैक्ट को इंडियन आयल कार्पोरे ान (आई0ओ0सी0) ने इंपलीमैंट करना था मगर जितना पैसा उनको

चाहिएथा उतना पैसा भारत सरकार द्वारा आई0ओ0सी0 को नहीं दिया गया। फाउंडे ान स्टोन रखने के बाद जब आई0ओ0सी0 ने पैसे न मिलने की वजह से काम नहीं किया तो भारत सरकार ने आई0ओ0सी0 को कहा कि तुम कोई प्राईवेट एंटरप्रिन्योर तला ा करो और ज्वाइंट कोलेबोरे ान से इस प्रोजैक्ट को इम्पलीमैंट करो। एक टाटा कैमिकल्ज नई कम्पनी बनी थी। बाद में आई0ओ0सी0 ने इस काम के लिएटाटा कैमिकल्ज को सिलैक्ट यिका और 25–05–87 को एक मैमोरेंडम साईन यिका गयाा जिसमें टाटा कैमिकल्ज, आई0ओ0सी0 और भारत सरकार भाामिल है। इसके बाद इस प्रोजैक्ट पर थोड़ी बहुत कार्यवाही भाुरू हुई और यह कम्पनी फार्म में आई। अब इस काम के लिए 2 हजार 80 एकड़ जमीन ऐक्वायर की जा चुकी है और एन्वायरमैंट डिपार्टमैंट से तथा वाटर पौल्यू ान बोर्ड से जो कलियरैंस लेनी थी वह ले ली गई। इसके अलावा इस प्रोजैक्ट कीफिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जहां तक इस प्रोजैक्ट को फरदर इम्पलीमैंट करने के लिए और परसू करने के लिए बात है, उसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार के मंत्री को डी0ओ0 लैटर लिखा था कि इस प्रोजैक्ट को जल्दी इम्पलीमैंट करो और साथ ही पूछा था कि यह प्रोजैक्ट कब तक कम्पलीट हो जाएगा। उसका जवाब भारत सरकार के मंत्री ने 27–10–87 को दिया था जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि इस प्राजैक्ट को इनीि ायल स्टेज भौड्यूल के मुताबिक मई, 1992 में कम्पलीट हो जाएगी। लेनिक अब तक जो प्रगति इस प्रोजैक्ट की हुई है उसके मुताबिक मेरा अंदाजा यह है कि इस प्रोजैक्ट काकाम भौड्यूल के अनुसार तीन साल पीछे चल रहा है।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, यह करोंड़ों का प्रोजैक्ट है। इस प्रोजैक्ट के तहत डाउन स्ट्रीम प्रोजैक्ट बहुत आएंगे। इस प्रोजैक्ट के लगाये जाने के बारे में मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि इनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या लोगों से ऐप्लीके ान्ज काल की गई है और इसके लिए सरकार ने क्या पालिसी तैयार की है?

डा0 किरपा राम पुनियाः स्पीकर साहब, इन्होंने यह बहुत अच्छा सवाल किया है। यह प्रोजैक्ट 1500 करोड़ रूपये की लागत से लगना है। इस प्रोजैक्ट की प्रोडक ान कैपिसिटी 60 लाख टन तक की होगी। यहां पर रिफाईनरी आयल, बंबई काअरेबियन गल्फ का कूड आयल भी होगा, इन दोनों को मिक्स करके आयल रिफाईन किया जाएगा। इससे जो प्रोडैक्टस तैयार होंगे, उसमें डीजल, हाई स्पीड डीजल, पैट्रोल, कैरोसिन आयल, कुकिंग गैस आदि होंगे। इस प्रोजैक्ट से नौर्दन इंडिया में आठ लाख ऐडि ानल कनैक ांज हम लोगों को दे पाएंगे। मैं समझता हूं कि इसके पूरा हो जाने के बाद कुकिंग गैस, कैरोसिन आयल, पैट्रोल, डीजलआदि की नार्दन एरिया में कम्फरटेबल सप्लाई हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रोडक्टस होंगे वे है L.P.G., Nathpa Motor Strips, Mineral Turpentine Oil, Aviation Turpentine Oil/Fuel,Superior kerosene, High Speed diesel, High Power Diesel, Fertilizedr, Food stocks, etc. etc.

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा चांस है डाउन स्ट्रीम प्रोजैक्टसको डिवैल्प करने का। इसमे ंनाथपा करैकिंग करने की फैसिलिटिज होनी चाहिएजिसका प्रोजैक्ट 600 करोड़ रूपये का लगेगा। वह इस मूल प्रोजैक्ट का हिस्सा नहीं है। यह फैसिलिटिज जब तक

प्रोवाइड नहीं होगी तब तक अंदाजा यही है कि डाउन स्ट्रीम प्रोजैक्ट नहीं लगेंगे। मगर फिर भी हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। इसी प्रकार से लीनियन ऐलकलाईन बैंजीन (एल0ए0बी0) का भी एक बड़ा प्रोजैक्ट है जो डिटरजैंट बनाने के काम आता है। इस प्रोजैक्ट के लिए लाईसेंस ऐप्लाई किया गया था। यह लाईसेंस एच0एस0आई0डी0सी0 को मिलना था मगर अखबारों से यह पता चला है कि हमार ऐप्लीके ान रिजैक्ट हो गई है और प्राईवेट सैक्टर को भाायद यह लाईसेंसमिल रहा है। पता यह भी चला है कि भाायद यह लाईसेंस हिंदुस्तान लीवर को मिले। स्पीकर साहब, बहुत सारे डाउन स्ट्रीम प्रोजैक्टस हो सकते हैं जिसमे भाामिल है एल0ए0बी0 यानी लीनियन ऐलकलाईन बैन्जीन। **(10:00बजे)** सिन्थेटिक मैन्युफैक्चरिंगके लिए काफी सारे आईटम्ज है जिन में पी0टी0, डी0एम0टी0 और इसके अलावा बिचुमैन ड्रम्ज लिड्ज, पावराईज सिलेण्डर, वाल्व, रेगुलेटर, स्पेयरर्ज, पम्प, सील फील्डिंग जाली और ऐसी ही काफी आईटम्ज है। स्पीकर साहब, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है। हम ने एक हाई–पावर को–आर्डिने ान कमेटी बनाई है जोकि चीफ सैक्रेटरी की चेयरमैन ाप में काम करेगी। इस कमेटी की मीटिंग सितम्बर में रखी हुई है। यह कमेटी सारी चीजों की स्टडी करेगी तथा फिर मीटिंग में सारी बातें कंसीडर होंगी कि इस प्रोजैक्ट के लिए हमे फरदर क्या कार्यवाही करनी चाहिए। मगर पिछले दिनों प्लानिंग कमी ान के सीनियर औफिसर्ज कीएकटीम आई थी और हमने उनसे यह रिक्वैस्ट की थी कि पैट्रो कैमिकल कम्पलैक्स हरियाणा में सैट–अप किया जाये। यदि इसकम्पलैस को सैट–अप करने के लिए

भारत सरकार ऐग्री हो जाती है तो यह डाउन स्ट्रीम प्रोजैक्टस काफी यूटिलाईज हो पाएंगे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इतने बड़े प्रोजैक्ट के क्या कोई ऐनसिलरी यूनिटस भी यहां लगा सकते है? यदि हां तो जो से–काल्ड कमेटी बनी है क्या उसने भी कोई हरियाणा के उद्यमियों, हरियाणा के मजदूरों याटैक्नीि ायंज से उसके लिए ऐप्लीके ांज मांगी है?

डा0 किरपा राम पुनियाः स्वपीकर सर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि प्रोजैक्ट अभी इम्पलिमैंटे ान स्टेज पर है, ज्योंहि यह प्रोजैक्ट कम्पलीट होगा हम न सिर्फ ऐनसिलरी यूनिटस के बारे में बात करेंगे और उन्हें सैट अप करवाएंगे बल्कि इसके अलावा हम इन अहम प्रोजैक्टस के लिए पैट्री कैमीकल कम्पलैक्स सैट अप करने के लिए भी कोि ा ा करेंगे।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, करनाल में रिफाईनरी लगाने के लिए यह सहूलियत दी गई है कि जिन लोगों की जमीन ली जाएगी या जिनकी जमीन ऐक्वायर की जाएगी उनके एक मैम्बर को नौकरी मिलेगी? क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह कानेन केवल करनाल रिफाईनरी के लिए ही लागू होगा या कि हरियाणा में जिस की जमीन कारखाने के लिए ऐक्वायर होगी उन सभी को भी यह सुविधा दी जाएगी?

डा0 किरपा राम पुनियाः इस प्रकार की कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। यह जतो गवर्नमैट ऑफ इंडिया इतना बड़ा प्रोजैक्ट

लगा रही है इसके लिए एक पूरे का पूर गांव अप–रूट किया जाना था, सारे–के–सारे परिवार अपरूट किया जाने थे इसलिए भारत सरकार के साथ यह अंडरस्टैडिंग की गई थी कि वहां से उठाए जाने वाले परिवारों को कम्पनसेट करना चाहिए। उनको आबाद करने के अलावा उनके परिवारों के एक–एक मैम्बर को सर्विस में लिया जाना चाहिए, यह नीति सिर्फ इसी प्रोजैक्ट के लिए ही है।

10 Bed Hosipital in Village Aleva

578. Shri Durga Dutt Atri: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government toopen 10 bed Hospital in village Aleva of Rajaund Constituency; and

(b) if so, the time by which the work forthe construction of the said Hospital islikely to be started?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा):

(क) नहीं।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

श्री दुर्गा दत अत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जीसे यह पूछना चाहूंगा कि राज्य के देहात में कितने नेय आर0डी0, सी0एच0सी0 यानी छोटे बड़े अस्पताल खोलने का विचार है तथा जिला जींद में कितने और कहां–कहां पर?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि सब–सैंटर, प्राईमरी हैल्थ सैंटर और कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर्ज देहात में ही खुलते है। मैंने पहले भी बताया था कि नौ कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर्ज, 19 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज और 201 सब–सैंटर्ज जून, 1987 के बाद खोले गए है ये केवल देहात में ही खोले जाते है। जिला जींद के अंदर आठ प्राईमरी हैल्थ सैंटर पुराने थे जिन्हें कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर्ज में कन्वर्ट किया गया है और उनको मिलाकर टोटल 22 प्राईमरी हैल्थ सैंटर काम कर रहे है। सातवीं पंचवर्शीय योजना के अंदर नौ और प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोले जाने है जिन में से छः के लिए स्थान विचाराधीन है और तीन के लिए सी0एम0ओ0 ने स्थान लिखकर भेजें है जिन्हें कि 1988–89 तक खोल दिया जाएगा।

श्री दुर्गा दत अत्री: क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदया इन तीनों स्थानों के नाम बताने का कश्ट करेंगी?

श्रीमती कमला वर्मा: वैसे तो सी0एम0ओ0 ने हाट, दुर्जनपुर तथा कंडेला तीन गांवों के नाम दिये है लेकिन माननीय सदस्य जहां पर भी नियमानुसारी उचित स्थान ले कर देंगे वहींपरही विचार कर लिया जाएगा।

Construction of Drain No. 8

***609. Shri Maha Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the incomplete portion ofDrain No. 8 to link with Yamuna River in Rai constituency; and

(b) if so, time by which the aforesaid portion islikely to be constructed?

Irrigation and Power Minister(Shri Verender Singh):

(a) No.

(b) Question does not arise.

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के राई से ड्रेन है। मेरा हल्का दिल्ली के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। यह ड्रेन जमुना में जा कर गिरती है लेकिन दिल्ली प्रांत वालों ने बहुत उंचे और लम्बे चौड़े बांध बना दिये है जिसके कारण मेरे हल्के के 6–7 गांव इस साल जलमग्न हो गये है। उनकी सारी फसल तबाह हो गई है। वहां पर एक छोटी सी धारा जमुना की अलग से निकलती है। जब तक उस तक बांध नहीं बांधा जायेगा तब तक वह इलाका तबाह होता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर कोई प्रबंध किया जाये।

श्री बीरेंद्र सिंहः माननीय सदस्य का सवाल ड्रन नंबर आठ के अधूरे भाग को बना कर उसे जमुना रिवर से लिंक करने के बारे में है। हमने उसका जवाब नहीं में दिया हैं वह इसलिए दिया है कि यह स्कीम कई एंगल्ज से साउंड साबित नहीं होगी और उसका फायदा होने के बजाए नुक्सान होगा। स्पीकर साहब इनका इलाका जमुना के किनारे किनारे है और जमुना ने अपना रास्ता बदल दिया है जिसके कारण

उनके इलाके को बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। यू0पी0 सरकार ने सन् 1977–78 में अपने बैंकस को मजबूत करना भुरू किया था। जो जमुना सुपरविजन करती है उसने तो यहां तक कहा था कि संबंधित सरकारें अपने बैंकस तो मजबूत करे लेकिन बड़े सूपर्ज न बनाये जायें। इसकी बायले ान करके यू0पी0 सरकार दस साल लगातार सूपर्ज बनाती रही और अपनी साइड के बैंकस को भी उसने मजबूत कर लिया। सन् 1979 तक तो जमुन रिवर परकाम होता रहा लेकिन सन् 1979 में हमारी सरकार हटने पर वहां पर मुकम्मल तौर परकाम बंद कर दिया गया। यू0पी0 सरकार ने अपने काम को जारी रखा और हरियाणा सरकार ने इग्नोर कर के कतई तौर पर बंद कर दिया। हम अपने किनारे मजबूत नहीं कर पाये। इस साल फ्लड आ गया और इंजीनियर्ज यह बताते है कि जितना पानी इस बार दरिया जमुना में चला है उतना कभी नहीं चला। जुलाई के महीने में ही पानी चलना भुरू हो गया था और लगातार चलता रहा। बहुत अधिक पानी गुजरा है। इसी वजस से हरियाणा प्रांत का काफी इलाका जो जमुना के साथ साथ पड़ताहै जमुना ने काट दिया जिसके कारण किसानों को काफी नुक्सान हुआ। मैं आपके जरिए माननीय सदस्य को यह वि वास दिला रहा हूं कि सरकार अगले साल रिसोर्सिज के हिसाब से पूरी तरह उस इलाके को प्रोटैक्ट करेगी और काम करेगी।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा के जितने भी नदी नाले है, बारि ा ज्यादा होने से उन सभी में बाढ़ आयी है क्या मंत्री जी बताएंगे कि उस पानी को प्रयोग करने के लिए और हरियाणा को बाढ़

से बचाने के लिए हरियाणा सरकार क्या कुछ कार्यवाही करेगी जिससे महेंद्रगढ़ और टोहाना के इलाकों को पानी दिया जा सके?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, सवाल तो ड्रेन नम्बर आठ का था लेकिन मैम्बर्ज ने और कई बातें पूछ ली। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को बताना चाह रहा हूं कि यह मौजूदा सरकार जब सन् 1977 में ताकत में आई थी तब फ्लड को रोकने के लिए इसी सरकार ने काम भुरू किया था। मेवात का इलाका जो सदा पानी से डूबा रहता था उसके लिए रिकार्ड टाईम में उजीन डाइव र्न ड्रेन को बनाया था जिस पर 38 करोड़ रूपया खर्च किया था। इस बारे में श्री खुर ीद अहमद और श्री तैयब हुसैन जी गवाह है। इस ड्रेन को सन् 1977–78 में बनवाया था और इतना ही नहीं मसानी बैराज जो साहबी नदी पर बन रहा है, उसका काम भी इसी सरकार ने भुरू करवाया था। लेकिन इस मसानी बैराज को जैसा हम छोड़ करगए थे वैसा ही यह पड़ा रहा। उसको कम्पलीट करने का काम हमने आकर भुरू किया है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो ड्रेन दस साल पहले खुदी थी वह वहीं की वहीं छोड़ दी गई। कहीं कट रह गया था तो कट पड़ है। दस साल में जो इन्होंने किया, वह सब को पता है। एक फोरेस्ट बोर्ड चौधरी भजन लाल ने बनाया था जिसका चेयरमैन देवेंद्र भार्मा को बनाया गया था। वहां पर करोड़ों रूपए का सो ाल फौरेस्ट्री के नाम से या कुछ और नाम से एक बड़ा भारी प्रोजैक्ट बनाया गया। जो ड्रन हमने खुदवाई थी, वह काम भी नहीं कर सकी क्योंकि वहां पर जंगल खड़ा हो गया। इसलिए पानी रूक गया। अब मैं माननीय सदस्य को

यह बताना चाहता हूं कि यह ड्रेन साफ की जा रही है। जहां पर कट है या ब्रीचिज है, उनको प्लग किया जाएगा और रिसोर्सिज के हिसाब से जितना काम ड्रेनेज डिपार्टमैंट हरियाणा को फ्लड से बचाने के लिए कर सकेगा वह किया जायेगा।

Opening of homeopathic Medical College.

***628. Seth Lachiman Dass Bajaj:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a Homoeopathic Medical College in the State; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to take-over the control of the Homoeopathic dispensaries being run by Red Cross Society, Gurgaon?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री(श्रीमती कमला वर्मा):

(क) नहीं।

(ख) हां, 20 होम्योपैथिक डिस्पैंसरियं, जो रैडक्रास होम्योपैथिक कौंसिल, गुडगांव के द्वारा चलाई जा रही है, उन्हें सरकार के अधीन कर लिया है।

सेठ लछमन दास बजाज: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी का इलाज ऐसा है जो बहुत ही कामयाब है, इसके कोई साईड इफैक्टस नहीं है और इसकी

पापुलैरिटी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है कि स्टेट में होम्योपैथी मैडीकल कालेज खोला जाए।

श्रीमती कमला वर्माः अब माननीय सदस्य ने यह बात प्वायंट आउट की हैं। अगले वित वर्श में इसका ध्यान कर लिया जाएगा।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, हमारे दे ा की पुरानी प्रथा आयुर्वेदिक तरीके से ईलाज की हैं। मंत्री महोदय इस बारे में कालेज की व्यवस्था सुधारने और रिसर्च के लिए जो काम कर रही है, क्या उसके बारे में बताने की कृपा करेगी?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, इस वक्त सारे हरियाणा में चार आयुर्वेदिक कालेज है जिनमें से एक सरकारी है और तीन प्राईवेट कालेज है। सरकारी कालेज की व्यवस्था को सुधारने के लिए वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे स्टैप्स लिए है। जो बाकी तीन कालेज है, वहां पर भी हम सोच रहे है कि बच्चों को अच्छी ि ाक्षा मिले प्रैक्टिकल सीखने की पूरी सुविधा हों। वहां पर पढ़ाई की ठीक व्यवस्था करने के लिए हमें यह कालेज टेक ओवर भी करने पड़े तो विचार कर लेंगे। जहां तक रिसर्च की बात है, उसके बारे में विचार किया जाएगा।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐप्लीके ान नया होम्योपैथी कालेज खोलने के लिए विचाराधीन है क्योंकि इस हाउस में

बहुत ज्यादा डाक्टर बैठे है? इसके अलावा, यह जो बीस होम्योपैथी डिस्पैंसरीज सरकार ने ली है, इसमें इम्प्रूवमैंट के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, अभी तक तो कालेज खोलने के लिए कोई एप्लीके ान नहीं आई है लेकिन अगर रणजीत सिंह जी चाहें और वही इस प्रस्ताव को लिखकर भेज दें तो मैं वित मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि होम्योपैथिक कालेज के लिए वितीय साधन अव य जुटा दें।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से यह कहना चाहूंगा कि मैडीकल प्रोफै ानएक बहुत इम्पोर्टैंट प्रोफै ान है। गांवों में बहुत से क्वैक्स बैठे हुए है। लोगों की जाने चली जाती हैं। क्या मंत्री जी बताएंगी कि यह जो होम्योपैथी प्रैक्टि ानर्ज है, होस्पिटल्ज या डिस्पैंसरिज के इंचार्ज है, उनकी क्या क्वालीफिके ांज है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने रूपए तक की दवाई दी जाती है और किस तरह का वहां पर मरीजों के लिए प्रबंध है? गांवों में तो यह देखने में आया है कि कांग्रेस (आई) के समय में कुछ लोगों ने केवल सरपंच से यह लिखवा लिया कि दस साल से वह प्रैक्टिस कर रहा है और उसी को सर्टीफिकेट मिल गया।

श्रीमती कमला वर्माः मैं समझ नहीं पाई कि माननीय सदस्य आयुर्वेदिक क्वैक्स के बारे में बात कर रहे है या होम्योपैथी क्वैक्स की

बात कर रहे है क्योंकि एम0बी0जी0एस0 तो कोई रजिस्टर्ड हुए बिना गांव में प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता?

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः मैं होम्योपैथिक की बात कर रहा हूं।

श्रीमती कमला वर्माः होम्योपैथी की तो हमारे यहां पर कोई सरकारी डिस्पैंसरी नहीं थी परंतु अब हमने बीस डिस्पैंसरियां टेक ओवर की है यह होम्योपैथी डिस्पैंसरिज पहले रैड क्रास व मेवात विकास बोर्ड चला रहा था। इसी मास सरकार ने अपने अधीन ली है वहां पर क्वालीफाईड डाक्टर्ज ही काम करेंगे। क्वालीफाईड सरकार उन्हीं को मानती है, चाहे वह आयुर्वेदिक हों या होम्योपैथिक, जो डिग्री होल्डर हों। यानी कालेज में चार या पांच साल केंद्रीय कोंसिल द्वारा निर्धारित ि ाक्षा प्राप्त की हुई हो। जो डिग्री होल्डर नहीं है, उनको सरकार क्वालीफाईड नहीं मानती। जो गांवों के अंदर क्वैक्स बैठे है उनकी चैकिंग के लिए एक तो मैम्बर आयुर्वेदिक बोर्ड है और दूसरी होम्योपैथिक कोंसिल बनाई हुई है जिसाक रजिस्ट्रार व अध्यक्ष तथा जिला आयुर्वेदिक अफसर समय–समय पर गावों के अंदर जाकर चैकिंग करते है कि कोई भी अनक्वालीफाईड डाक्टर किसी प्रकार से भी ऐलोपैथी मैडीसंज का प्रयोग तो नहीं कर रहा है।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, करनाल के अंदर दो आयुर्वेदिक कालेज खुले हुए है और वे एक स्टूडैंट से ऐडमि ान के

लिए बीस पच्चीस हजार रूपया लेते हैं। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि सरकारने यह अलाउ किया हुआ है?

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, वे आयुर्वेदिक कालेज नहीं है वे फार्मेसी कालेज है जो प्राईवेट है। फार्मेसी कोंसिल ने उनको मान्यता दी हुई है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): स्पीकर साहब, यह महकमा मेरे पास है। फार्मेसी कालेज टैक्नीकल ऐजूके ान के अंडर आते है। यह लूट तरावड़ी में मची हुई है। स्पीकर साहब, जब हम विपक्ष में बैठते थे तोउस समय एक चंदा सिंह मिनिस्टर होते थे। उन्होंने तरावड़ी में यह फार्मेसी कालेज खोला हुआ था। उस समय हम हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी मो ान लेकर आए थे। हमने बहुत भारी विरोध किया था और वह चंदा सिंह लाखों रूपया डोने ान के रूप में डकार गया था। अब मौजूदा सरकार ने उस कालेज को डिएफीलिएट कर दिया है। अगर वहां पर अब भी कोई क्लासिज चल रही है तो कोई बच्चा उसकी कम्पलेंट कर सकता है ताकि ऐक ान लिया जा सके।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, ऐलोपैथिक दवाइयां बहुत महंगी पड़ती है और आयुर्वेदिक दवाएं उनके मुकाबले में सस्ती पड़ती है। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हरियाणा में जो आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियां खोली गई है वे कितनी है? अगर नहीं खोली गई तो क्यों नहीं खोली गई?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, इस वक्त हरियाणा में 408 आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियां काम कर रही है। भाहरों में चार जगहों पर आयुर्वेदिक डिस्पैंसरिज का अनुभव किया है लेकिन जैसे जैसे वितीय साधन ठीक होते जाएंगे हम और आयुर्वेदिक डिस्पैंसरिज खोलने पर विचार करेंगे। स्पीकर साहब, जहां तक होम्योपैथिक डिस्पैंसरीज का ताल्लुक है ये यू0एस0 ऐड से रैड क्रास ने खोली हुई थी। जिनको सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। अगर ये ठीक चलती रहेगी तो अन्य भाहरों में भी इन्हें अव य खोलेंगी।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि आयुर्वेदिक डाक्टर्ज ऐलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल कर सकते है या नहीं कर सकते? हमने देखा है कि ऐसे बहुत ज्यादा लोग है जो आयुर्वेदिक डाक्टर्ज रजिस्टर्ड है लेकिन ऐलोपैथिक दवाएं इस्तेमाल करते है। आयुर्वेदिक में टैटनेस रोकने के लिए जब कोई टीका नहीं है कोई बदल नहीं है तो क्या लोगों को मर जाने दिया जाए? क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब आयुर्वेदिक में टैटनेस के टीके का कोई बदल नहीं है तो ऐसी हालत में उनको इस तरह के टीके लगानें की या दवाएं देने की इजाजत है?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, पांच हजार की आबादी के गांव में उपकेंद्र व 25 हजार की जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और जिस जगह परआयुर्वेदिक डिस्पैंसरी है उससे एक या दो किलोमीटर पर पी0एच0सी0 या सी0एच0सी0 है। अगर किसी को टैटनस व अन्य गम्भीर रोग का टीका लगवाना है तो वहां जाकर टीका लगवाया

जा सकता है। आयुर्वेदिक डाक्टर ऐलोपैथिक दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकता।

श्री कान्ति प्रका ा भल्लाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि उनके महकमें का बोर्ड है और कौंसिल है और आगे उन्होंने कहा है कि औफिसर्ज समय–समय पर गांवों और भाहरों में जाकर ऐसे आदमियों का पता लगाते है जिनके पास लाइसैंस नहीं है और वे प्रैक्टिस करते है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनकी दौराने हकूमत जब से वे मंत्री बनी है किसी आदमी के खिलाफ ऐक ान लिया गया है जो गलत तौर परप्रैक्टिस कर रहा हो?

श्रीमती कमला वर्माः स्पीकर साहब, इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए। यह बोर्ड ओटोनौमस बाडी है। बोर्ड के पास ही सारी इंफरमे ान होती है। जब इस बारे में मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं सूचित कर दूंगी। वैसे समय–समय पर चैकिंग के बाद दंड दिया जाता है, रजिस्ट्रे ान स्थगित कर दी जाती है।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षे़त्रों में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं जुटाने के लिये अगर किन्हीं गांवों में लोग भूमि व धन आदि उपलब्ध करवा दें तो क्या उन गांवों में सरकार चिकित्सा संबंधी सुविधा के लिये डिस्पैंसरियां खोलने पर विचार करेगी? क्या ऐसी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करायेगी?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल करवाएंगे। यह तो हमने पहले ही कहा है कि अगर कोई गांव वाले दान के रूप में जमीन, पैसा व हस्पताल बनाने के लिये सरकार को किसी प्रकार की मदद देंगे तो सरकार उसको प्रथामिकता के रूप में स्वीकार करेगी।

डा0 बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो कह रहीं है वह भी ठीक हो सकता है लेकिन प्रैक्टीकल बात यह है कि सारी आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियों में ऐलोपैथी दवाईया इस्तेमाल की जा रही है। मै इस प्रोफै ान में हूं मुझे इन बातों कापता है ये मानें या न मानें। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डिसपैंसरियों में घटिया से घटिया दवाईयां इस्तेमाल की जा रही है। क्या मंत्री महोदया इन बातों को रोकने के लिये कोई वि ोश प्रबंध करेगी?

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, सरकार व विभाग आयुर्वेदिक डिस्पैंसरी में तो ऐलोपैथी औशधी देते नहीं वे प्रयोग कहां से करेंगे? मुझे दु:ख होता है कि ये ऐलोपैथी वाले सदा आयुर्वेद के प्रति संघर्शरत रहे है। रही घटिया दवाई की बात उसमें ऐलोपैथी वाले घटिया दवाईया प्रयोग लाने में अधिक अनुभवी है। हमारीसदा कोि ा ा रही है कि आयुर्वेद वालों को ऐलापैथी दवाईयाइस्तेमाल नहीं करनी चाहिये। फिर भी सूचनार्थ मैं डा0 महोदय को बताना चाहती हूं कि आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियों में ऐलोपैथी दवाईयां इस्तेमाल नहीं हो रही है।

Bridge on Drain No.8.

***642. Chaudhri Kishan Singh Sangwan:** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on drain No, 8 for village Moi-Nooda to village Rithal inTeshil Gohana; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bridge is likely to be constructed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के दृश्टिगत प्र न ही पैदा नहीं होता।

चौधरी कि ान सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना सवाल सिंचाई एवं बिजली मंत्री के नाम दिया था क्योंकि उसमें ड्रेन के ऊपर पुल बनाने का मसला था लेकिन मेरे सवाल का जवाब पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर की ओर से आया। क्या मंत्री महोदय इस बात को ऐक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर सर, इन्होंने अपना सवाल पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर के नाम ही दिया और उधर से ही जवाब आया। अगर मेरे नाम पर सवाल दिया होता तो जवाब भी सही आ जाता।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मैटर है। इन्होंने कहा कि अगर मेरे नाम से सवाल आता तो उसका सही जवाब आता। मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि जो जवाब अभी इन्होंने पढ़ा है, क्या वह सही जवाब नहीं है?

श्री बीरेंद्र सिंहः डाक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। इनके सवाल के मुताबिक ये जहां पर पुल बनवाना चाहते है, वहां पर पक्की सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता है। बी0एंड0आर0 वाले पक्की सड़कों के लिए पुल बनाते है, कच्ची के लिए नहीं बनाते। इरीगे ान वाले कच्चे रास्ते पर भी ऐसा काम कर देते है। इसलिए मैंने यह कहा है।

चौधरी कि ान सिंह सांगवानः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस पुल के लिए एक बार मुख्य मंत्री महोदय ने ऐलान भी किया था और उस पर थोड़ा सा काम भी हो चुका है। मैंने तो अपना सवाल सिंचाई एवं बिजली मंत्री जी के नाम ही दिया था हो सकता है कि कहीं पर क्लैरीकल मिस्टेक हो गई हो?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर महोदय पर सैक्रेटेरिएट गलती नहीं कर सकता, जरूर आपसे गलती हुई होगी। अगर आपने कच्चे रास्ते पर पुल बनवाना है तो उसके लिए हम बात कर लेंगे।

Lining of Area of Jui and J.L.N. Canal

***651. Chaudhri Mahender Partap Singh:** Will the Minsiter for Irrigation & Power be pleased to state the year-wise total length inkilometres of minors, sub-minors and water courses of Siwanim Jui and J.LN. canal as has been lined during the period 1972 to July, 1988, separately?

Irrigation & Power Minister(Shri Verender Singh): A statement showing, year-wise length of minors, sub-minors and water-courses of Siwani, Jui and J.L.N. canal systems lined during 10972 to July, 1988, is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The length of monors, sub-minors and water courses of Siwani, Jui and J.L.N. canal systems lined during 1972 to July, 1988 is given below, year-wise, in kilometres:-

Sr.	**Year**	**Siwani Canal system**		**Jui Canal system**		**JLN Canal system**	
		Total lined length of minors & sub-minors	Total lined length of water-courses	Total lined length of minors & sub-minors	Total lined length of water-courses	Total lined length of minors & sub-minors	Total lined length of water-courses
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1972-73	18.42	-	18.70	-	8.80	-
2	1973-74	25.71	-	15.56	-	17.26	-
3	1974-75	28.22	-	-	-	-	-
4	1975-76	45.55	-	-	-	-	-
5	1976-77	24.14	-	-	-	-	-
6	1977-78	5.20	-	-	-	-	-
7	1978-79	-	-	-	25.00	3.25	-
8	1979-80	-	-	-	39.00	16.945	-

9	1980-81	-	-	-	133.00	21.060	-
10	1981-82	-	-	6.73	235.00	21.499	-
11	1982-83	-	-	-	76.00	26.643	-
12	1983-84	-	-	-	133.00	49.62	-
13	1984-85	-	90.00	-	70.00	22.304	-
14	1985-86	-	118.00	-	33.00	19.575	-
15	1986-87	-	138.00	-	36.00	24.969	-
16	1987-88	-	85.00	-	12.00	9.020	-
17	1988-89 Upto 7/88	-	1.00	-	-	-	-
Total		147.24	432.00	40.99	792.00	240.945	-

चौधरी महेंद्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन नहरों पर जो माइनर्ज और खाल है इनका कितना एरिया पक्का हो चुका है और कितना बाकी है जो पक्का किया जा सकता है?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, माइनर्ज और वाटर कोर्सिज की जो टोटल लैंग्थ थी वह 10,888 किलोमीटर थी। इसमें से 9010 किलोमीटर की लाइनिंग हो चुकी है और 1878 किलोमीटर की लाइनिंग बाकी है।

चौधरी महेंद्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आंकड़े बताए है, इस जवाब के हिसाब से तो वे मिलते नहीं है। मैंने कैलकुलेट करके देखा है।

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं इनको कहूंगा कि ये आराम से कैलकुलेट कर लें अगर ये कांग्रेस के चक्कर से निकलेंगे तो इतना ही बैठ जाएगा जो मैंने बताया है।

चौधरी महेंद्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मुझे लगता है कि ये ही गलत चक्कर में हैं इसमें 1,47,432,40,792 और 240 किलोमीटर की फिगर दी हुई है। इनका टोटल तो नौ हजार किलोमीटर नहीं बनता है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो फिगर जबानी बताई है, वह इसमें भाामिल है या नहीं। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि 1972–73 से 1987–88 तक काफी एरिया पक्का किया गया है लेकिन 1988–89 में केवल एक किलोमीटर एरिया पक्का किया गया है। क्या फंडज की कमी थी या सरकार पक्का करने में असमर्थ थी? पिछली सरकार ने किसानों के हितों को देखते हुए इतना एरिया पक्का किया था लेकिन इस साल में केवल एक ही किलोमीटर किया गया है, बाकी किस वजह से नहीं किया गया?

श्री बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में ये वाकई चककर में रहते है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि यह टेबल भी इन्होंने अच्छी तरह नहीं पढ़ा, इनको फुरसत नहीं रहती है। जहां तक सिवानी कैनाल सिस्टम का ताल्लुक है इस पर माइनर्ज और

सब माइनर्ज का सारा काम 1977–78 में मुकम्मल हो गया था, उसके बाद टेबल में निल दिखाया गया है। इसी प्रकार से इस पर जो वाटर कोर्सिज का काम है, इसमें से जो बाकी रहता है हम उसी को करेंगे। जितना काम बाकी था उसी प्रकार से टेबल में द ार्शाया गया है। केवल जे0एल0एन0 सिस्टम का कुछ काम बाकी है जो अब भाुरू किया है। इस टेबल में वही काम दिखाया गया है जो बाकी रहता था।

Mr. Speaker: Question hour is over.

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, अगला सवाल नलकूपों के गड्डों से गैस निकलने के कारण जो मौतें हुई है, उसके बारे में है और यह बहुत ही जरूरी सवाल है। इस बारे में हमने एक भाोक प्रस्ताव भी दिया हुआ है। उनके सम्मान में हाउस में भाोक प्रस्ताव भी आना चाहिए।

श्री अध्यक्षः क्वै चन आवर तो समाप्त हो चुका है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, क्वै चन आवर खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, आप टाईम बढ़ा दें।

श्री अध्यक्षः क्वै चन आवर का टाईम नहीं बढ़ाया जा सकता।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Deaths due to Gas Leakage

***623. Shri Harnam Singh, Shri Rattan Lal Kataria, Shri Hira Nand Arya:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether any cases of deaths due to leakage of gas from tubewell pits have occurred in the State during the year 1988-89; and

(b) if so, the details thereof togetherwith relief, if any, given or proposed to be given to the families of the deceased?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजभान):

(क) जी हां। नलकूपों के अंदर जाने पर जहरीली गैस के रिसने के कारण 55 व्यक्तियों की मृत्यु होने बारे रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) ऐसी 26 मौतों बारे रिपोर्ट करनाल जिले से, 18 कुरूक्षेत्र से, 9 अम्बाला से तथा 2 फरीदाबाद जिले से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी मामलों में मृतक के वारिस को मुख्य मंत्री राहत कोश से 10,000 रूपये का अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया जा रहा है।

Houses Collapsed in the State

***639. Shri Rattan Lal Kataria:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the number of houses collapsed due to recent heavy rains in the State togetherwith the steps taken or proposed to be taken to provide relief to the affected persons?

राजस्व मंत्री(श्री सूरजभान): प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार हाल की भारी वर्शा तथा बाढ़ से लगभग 30,000 कच्चे/पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए है। एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाया जा रहा है तथा

प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिग्रस्त घरों की मुरम्मत तथा पुननिर्माण के लिए आव यक सहायता बाद में उपलब्ध की जाएगी।

विभिन्न विशयों को उठाया जाना

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असंतोश के बारे में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया है। आज सै ान का आखिरी दिन है, इसलिए अच्छा हो मंत्री जी उस बारे में स्थिति स्पश्ट कर दें कि उनकी मांगे क्या है, किस कारण से उनमें गतिरोध है। उन्होंने इस सरकार को बनाने में अपना सहयोग दिया था। स्पीकर साहब, सरकारी कर्मचारियों की बेचैनी ठीक नहीं होती।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गया लेकिन वह आपने कब दिया था?

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आज ही दिया है।

श्री अध्यक्षः लेकिन आपने उस पर डेट 25 डाली हुई है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं रात को 2.00 बजे तक काम करता रहा हूं इसलिए उस पर 25 तारीख डल गई है।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, रात को दो बजे तो 26 तारीख हो गई थी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आप मेरी इंटैं ान देखें। मेरी नीयत खराब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। आप कृपया बैठें।

श्री हीरा नंद आर्य: स्पीकर साहब, मैंने हिसार से भूना इंडस्ट्रीज की भाराब की फैक्ट्री के बारे में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था उसके बारे में आपने क्या फैसला दिया है?

Mr. Speaker: That has been disallowed.

वि ोशाधिकार भंग के प्र न

(1) मैसर्ज जिंदल इरीगे ान लिमिटिड, भिवानी के श्री राजेंद्र चौधरी तथा फर्म, अर्थात, मैसर्ज जिंदल ऐल्युमिनियम लिमिटिड तथा जिंदल इरीगे ान लिमिटिड, बंगलौर के मालिक तथा प्रबंध निदे ाक श्री सीता राम जिंदल के विरूद्ध।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of question of breach of privilege from Shri Hira Nand Arya, M.L.A., against Shri Rajinder Chaudhry of M/s Jindla Irrigation Limited, Bhiwani and Shri Sita Ram Jindal, Proprietor and M.D. of the firm i.e. M/s. Jindal Aluminium Limited and Jindal Irrigation Limited, Bangalore, residents fo Hisar for their threatening on telephone to him on 27.05.1988 and to issue him for damages to the extent of Rs. 20 crores for having spoken against the firm's Sprinkler system during budget session, 1988. I give my consent and hold that the matter proposed to be discussed is in order and I call upon Shri

Hira Nand Arya, M.L.A., to rise and ask for leave to raise the question of breach of privilege.

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, श्री राजेंद्र चौधरी, जिंदल इरीगे ान लिमिटिड ऑफिस, भिवानी, ने श्री सीता राम जिंदल के कहने पर मुझे 27.5.1988 को फोन पर धमकी दी और कहा कि मैंने जो उनके खिलाफ विधान सभा में फर्म के स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बकवास की है यह बकवास बंद की जाए और इससे मैं सीता राम जिंदल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद 10 जून, 1988 को इस फर्म का अपमानजनक भाशा में लिखा हुआ पत्र मुझे मिला जिसमें यह कहा गया हे कि अगर मैं चुप नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ बीस करोड़ रूपये के डैमेजिज का दावा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब, आप लीव के लिए मूव करें।

Shri Hira Nand Arya: Sir, I beg to seek the leave of the House to raise the question of breach of privilege against Shri Rajinder Chaudhry of M/s. Jindal Irrigation Limited, Bhiwani and Shri Sita Ram Jindal, Proprietor and M.D. of the firm i.e. M/s Jindal Aluminiu Limited and Jindal Irrigation Limited, Bangalore, residents of Hisar for their threatening on telephone to me on 27.5.88 and to sue me for damages to the extent of Rs. 20 crores for having spoken against the firm's Sprinkler system during budget session, 1988.

Mr. Speaker: Has the Hon'ble Member the leave of the House to raise the question of breach of privilege?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The leave is granted. Shri Hira Nand Arya may please move the motion.

Shri Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

That the matter against Shri Rajinder Chaudhry and Shri Sita Ram Jindal, for threatening me on phone on 27.5.1988 and to sue me for damages on account of defamation be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the matter against Shri Rajinder Chaudhry and Shri Sita Ram Jindal, for threatening Shri Hira Nand Arya, M.L.A. on phone on 27.5.1988 and to sue me for damages on account of defamation be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Question is-

That the matter against Shri Rajinder Chaudhry and Shri Sita Ram Jindal, for threatening Shri Hira Nand Arya, M.L.A. on phone on 27.5.1988 and to sue me for damages on account of defamation be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Question is-

That the matter against Shri Rajinder Chaudhry and Shri Sita Ram Jindal, for threatening Shri Hira Nand Arya, M.L.A. on phone on 27.5.1988 and to sue me for damages on account of defamation be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The matter is referred to the Committee of Privileges for examination and report by thefirst sitting of the next session.

(2) साप्ताहिक ''पींग'' के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रका ाक श्री डी0 आर0 चौधरी के विरूद्ध

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received notifces of question of breach of privilege from Shri harpal Singh and Shri Kishan Singh Sangwan, M.L.As., against Shri D.R. Chaudhary, Editor, Printer and Publisher of the weekly Peeng for publishing libelous matters in its issue dated 26.8.1988, making serious allegations of corruption and using very derogatory language agaisnt the Hon'ble members of this House especially against the Hon'ble Deputy Chief Minister, Shri B.D. Gupta. I give my consent and hodl that the matter proposed to be discussed is in order and I call upon Shri harpalSingh M.L.A., to rise and ask for leave to raise the question of breach of privilege.

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा राज्य के एक प्रधान हिंदी साप्ताहिक पींग ने अपने अंक 41, दिनांक 26.8.88 में इस महान सदन के सम्मानित सदस्य एवं उप मुख्यमंत्री श्री वी0डी0 गुप्ता के खिलाफ भ्रश्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए है और बेहद आपतिजनक भाशा का इस्तेमाल किया है। इस अखबार के मुख्य पृश्ठ पर लिखा गया है—मास्टर बनारसी दास गुप्ता— पच्चीस रूपये सेबना एक करोड़पति । इस अखबार के इस बी0डी0 गुप्ता वि ोशांक के पृश्ठ 5 पर वित मंत्री या टैक्स चोर भीर्शक से और पृश्ठ 6 पर—

श्री अध्यक्षः हरपाल सिंह जी, आप लीव के लिए मूव करें। ये बातें तो बाद में होती रहेंगी।

कामरेड हरपाल सिंहः मैं लीव के लिए ही मूव कर रहा हूं। स्पीकर साहब, इस अखबार में हारे आदरणीय उप मुख्य मंत्री व सबसे सम्मानित सदस्य के खिलाफ ऐलिगे ान लगाये गए है। साथ ही साथ इस अखबार में श्री बी0डी0 गुप्ता जी के खिलाफ डेरोगेटरी इंडीसैट लैंग्वेज काइस्तेमाल किया गया है। इससे सदन के एक आदरणीय सदस्य एवं उप मुख्य मंत्री के अपमान के साथ ही इस महान सदन का भी अपमान हुआ है, जोकि वि ोशाधिकार का हनन है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि पींग के सम्पादक एवं मुद्रक, श्री डी0 आर0 चौधरी, हरियाणा अध्ययन केंद्र, रोहतक के विरूद्ध यह वि ोशाधिकार हनन का गम्भीर मामला बनता है। अतः इस महान सदन की मर्यादा कायम रखने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस मामलें को प्रिविलेज कमेटी को रैफर करने के लिए हाउस की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं और इस प्रस्ताव की ताईद करना इसलिए जरूरी हो गया है कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो ऑल इंडिया अग्रवाल महासभा के प्रेजिडैंट भी है और जो फ्रीडम फाईटर भी रहे है, उनके खिलाफ इसकिस्म के ऐलीगे ांज लगाए गए है। फिर ये ऐलिगे ांज किन की तरफ से लगे? एक ऐसे भाख्स की तरफ से जो पब्लिक सर्विस कमी ान कामैम्बर बना दिया गया था और उसके बाद जिसने असर उाल कर कोि ा ा की कि उसे रोहतक यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर

बना दिया जाए। वी0आई0पी0 गैलरी में बाबू मूल चंद जी बैठे हुए है। इन्होंने भी सिफारि ा की थी कि उनको रोहतक यूनिवर्सिटी का वाईस चांसलर लगा दो। इसके अलावा और कई भाईयों और पत्रकारों ने भी सिफारि ा की कि उन्हें वहां का वाईस चांसलर लगा दिया जाए। वाईस चांसलर को क्योंकि चांसलर नियुक्त करता है इसलिए मैं उनके लिए यह सिफाि ा नहीं कर सकता था। उसके बाद मेरे पास एप्रोच की गई और इस भाख्स ने खुाद भी कोि ा ाकी कि उसे राज्य सभा में भेज दिया जाए। मैं उसे राज्य सभा में कैसे भेजता, जब मेरे सामने उसके कारनामे थे? स्पीकर साहब, कोई इन्टेलैक्चुअल आदमी तो होना चाहिए। मैं वह भी करने में बेबस था क्योंकि उसकी करतूतों का मुझे पहले पता था। स्पीकर साहब, हमारे तीन भाई ऐसे है जिनकों इंटेलैक्चुअल होने का रोग लगा हुआ है। इसमें से एक है प्रो0 डी0आर0 चौधरी, दूसरे है चौधरी हरद्वारी लाल और तीसरे भाई हैं डाक्टर सरूप सिंह। ये तीनों अपने आपको चीफ मिनिस्टर से कम नहीं समझते। स्पीकर साहब, इंटेलैक्चुअल 50 हजार रूपये रोजाना की फीस पर मिल जाते है। इनका किसी के पास ईलाज नहीं। इसलिए ये हमें बदनाम करने के लिए एक आदमी की मार्फत जो हमारे मुखालिफ चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल हैं, उनके हाथों में खेल रहे है। गुलाब सिंह जैन ने 25 हजार रूपये देकर 500 कापियां खरीदी। स्पीकर साहब, कहा गया है कि काफी खोजबीन के बाद ये इलजाम लगाये गए है। ये तो बदनाम करने के लिए पहले ही तैयार किए गए थे। इसके अलावा मैं यहां एक औरअर्ज कर दूं कि पिछले दिनों जो प्रैस कांफैंस हुई, उस प्रैस कांफैंस में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के

जो मुखालिफ माने जाते है, भीम सैन जो प्रेजिडेंट बने थे, उनके खर्च परही यह प्रैस कांफ्रैंस हुई थी। इसलिए इस ब्लैक मेलर के खिलाफ जो मो ान हरपाल सिंह जी ने रखा है यह वाक्य ही ठीक रखा है और यह ऐडमिट होना चाहिए।

Mr. Speaker: Has the Hon'ble Member the leave of the House raise the question of breach of privilege?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The leave is granted, Shri Harpal Singh may pleased move the motion.

Comrade Harpal Singh: Sir, I beg to move-

That the matter against Shri D.R. Chaudhary, Editor, Printer & Publisher of weekly "Peeng" for publishing libelous matters against the Hon'ble Members and especially against Shri B.D. Gupta, Deputy Chief Minister be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the matter against Shri D.R. Chaudhary, Editor, Printer & Publisher of weekly "Peeng" for publishing libelous matters against the Hon'ble Members and especially against Shri B.D. Gupta, Deputy Chief Minister be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Question is-

That the matter against Shri D.R. Chaudhary, Editor, Printer & Publisher of weekly "Peeng" for publishing libelous matters against the Hon'ble Members and especially against Shri B.D. Gupta, Deputy Chief Minister be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of the next session.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The matter is referred to the Committee of Privilege for examination and report by the first sitting of the next session.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

धान की कीमतों मे विभेद होने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of Calling Attention Motion No. 15 from Sarvshri Hira Nand Arya and Vasu Dev Sharma, M.L.As. regarding discrimination in paddy price. I admit it. अब श्री हीरा नंद आर्य अपना काल अटैं ान मो ान पढ़ेंगे तथा उसके बाद मंत्री जी स्टेटमैंट देंगे।

सर्वश्री हीरा नंद आर्य तथा वासुदेव भार्मा: अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन का ध्यान लोक महत्व के इस विशय की ओर दिलाना चाहते है कि पंजाब नं0 1 किस्म की जीरी (पैडी) का भाव वर्श 1986 में लगभग 350रू0 प्रति क्विंटल रहा जिनका भाव वर्श 1987 में गिरकर 200 रू0 से 240रू0 प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा गौरव (साठी बासमती) जिसकी आवक लाडवा व थानेसर मंडियों में भ्रुरू हो गई है, का भाव

लगभग 150 रू0 प्रति क्विंटल मिल रहा है जबकि हमे ाा हरियाणा गौरव का भाव पंजाब नं0 1 से 50 रू0 प्रति क्विंटल अधिक रहा है। इस तरह से हरियाणा का किसान लुट रहा है क्योंकि कोई सरकारी या अर्ध सरकारी एजैंसी मंडियों में खरीददारी के लिए बाजार में नहीं आई है, इसलिए किसान का धान सरकार के समर्थन मूल्य से भी कम पर बिक रहा है जिसके परिणामस्वरूप किसानों में भारी बेचैनी है और उन्हें हानि हो रही है। अतः सरकार किसानों को हानि से बचाने के लिए तुरन्त कदम उठाए और की गई कार्यवाही से इस महान सदन को सूचित करें।

वक्तव्य

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव संबंधी

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री(श्रीमती सुशमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए तथा किसानों को उनकी उपज की उचित कीमतें प्राप्त हों को सुनि चित करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए जब कभी भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य से कीमतें नीचे गिरनी भाुरू हों तो किसानों को उपज की समर्थन मूल्य से कम कीमतों पर बिक्री को रोकने के लिए सरकारी एजैंसियों को मंडियों में प्रवे ा करने तथा खरीद करने के निर्दे ा दिए हुए है। खरीफ वर्श 1988–89 के लिए भारत सरकार द्वारा धान की कीमत, फाइन तथा सुपर फाइन किस्मों के लिए समर्थन मूल्य कम ाः 160–170 तथा 180 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित की हुई है जो कि

पिछले वर्श से कम ।: 10/–रू0, 16/–रू0 और 22/–रू0 प्रति क्विंटल कम है।

खरीफ वर्श 1986–87 मे ंधान की पंजाब नं0–1 किस्म, सुपर फाइन किसम वर्गीकृत की गई थी। वर्श 1986–87 मे ंधान की सुपर फाइन किस्मों की दरें 143/7 से 315/–रू0 के बीच में रही। खरीफ वर्श 1987–88 के दौरान पंजाब कृशि वि ववविद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर यह बासमती किस्म के रूप में मानी गई थी तथा इसे लैवी से मुक्त रखा गया था। वर्श 1987–88 में बासमती किस्म की दरें 225/–रू0 से 585/–रू0 प्रति क्विंटल के बीच में रही थी। भारत सरकार ने पंजाब नं0–1 किस्म को सुगंध रहित होने के कारण सुपर फाइन किस्म वर्गीकृत करने का राज्य सरकार को पराम र्ा दिया है। राज्य सरकार ने धान की इस किस्म का वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है।

हरियाणा गौरव (साठी बासमती) जून के आरम्भ में उपजाई जाने वाली एक कम अवधि वाली किस्म है। इसकी आमद मंडियों में भीघ्र हो जाती है। यह हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय तथा अन्या चावल बीजारोपण केंद्रों द्वारा रिलीज की गई किस्मों की अनुमोदित सूचि में भाामिल नहीं है। इसे अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है परन्तु कृशि विभाग के अनुसार इसे धान की कौमन किस्म के अंतर्गत आना चाहिए।

वर्श 1986–87 तथा 1987–88 के दौरान धान के बाजार मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्य से अधिक रहे थे तथा समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत सरकारी खरीद एजैंसियों द्वारा बहुत ही कम धान की मात्रा खरीद की गई थी। धान की आमद तथा सरकारी एजैंसियों द्वारा खरीदे गये धान की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(आंकड़े लाख टनीज में)

वर्श	आमद	सरकारी एजैंसियों द्वारा खरीदी गई मात्रा
1986–87	19.66	0015
1987–88	12.85	0.005

सामान्यताः धान की खरीद के लिए सीजन एक अक्तूबर से आरम्भ होता है। परन्तु पिछले वर्श सूखे की हालत होने के कारण सरकारी एजैंसियों को 16.9.87 से समर्थन मूल्य देने हेतू आव यकता अनुसार मंडियों में प्रवे ा करने के निर्दे ा दिए गए थे। इस वर्श भी 16.9.88 से समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत खरीद करने हेतू मंडियों में प्रवे ा करेन का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया ध्यानाकर्शण प्रस्ताव पे ा होने के बाद मैंनें अपने अधिकारियों को कुरूक्षेत्र जिलें के लाडवा और थानेसर की मंडियों में आंकड़ें इक्ट्ठे करने के लिए भेजा था। मैंने उन से कहा था कि वे वह आंकड़े ले कर आयें कि जीरी

कितनी मंडियों में आई हुई है, किस भाव बिकी है और किस किस्म की जीरी आयी है जो आंकड़ें मेरे पास आये है उनकी रिपोर्ट के आधार पर मैं बता देना चाहती हूं। कुरूक्षेत्र से प्राप्त रिपोर्ट यह सूचित करती है कि लाडवा में अब तक की पंजाब नं0–1 किस्म की कुल 117 टनीज कीआमद में से 92 टनीज 180 रूपये से 229 रूपये 10 पैसे तक प्रति क्विंटल कीदरों के बीच में बिकी है तथा केवल 25 टनीज 157 रूपये से 170 रूपये तक प्रति क्विंटल कीदरों के बीच बिकी है। इसी तरह थानेसर में अब तक धान की सुपर फाइन किस्म की कुल आमद 34 टनीज में से 23 टनीज 208 रूपये 40 पैसे से 211 रूपये 20 पैसे तक प्रति क्विंटल की दर से बिकी है तथा केवल 11 टनीज 147 रूपये 10 पैसे से 160 रूपये तक प्रति क्विंटल कीदरों के बीच बिकी है। मंडियों में भाव इसलिए कम चल रहा है क्योंकि अभी जीरी में नमी अं ा बीस प्रति ात से 28.5 प्रति ात के बीच में है जब कि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित स्पैसिफिके ान के अनुसार धान की खरीद के लिए नमी अं ा केवल 18 प्रति ात स्वीकृत किया गया है पिछले पक्ष के दौरान निरंतर वर्शा होने के कारण धान में नमी अं ा अधिक चल रहा है। इसलिए मैं सदन को यह आ वासन दिलाना चाहती हूं कि कोई इस तरह की भयावह स्थिति मंडियों में नहीं बनी है। हमारी सरकार किसानों के हितों के बारे में पूर्णतया सचेत और जागरूक है। हम सर्वसम्भव प्रयास करेंगे और सर्वसम्भव कदम उठायेंगे ताकि किसानों को कठिनाइयों से बचाया जा सके।

श्री हीरा नंद आर्य अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये है, इसके हिसाब से पिछले साल हरियाणा गौरव का भाव पंजाब नंबर एक से लगभग अधिक रहा है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि पहले अधिक भाव का क्या कारण है और इस बार भाव कम होने का क्या कारण है? यह जवाब संतोशजनक नहीं है। उनको पूरा भाव नहीं मिल पायेगा। मंत्री महोदया यह भी बताएं कि किसानों को अधिक भाव दिलाने के बारे में ये क्या प्रयत्न करेंगी?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने इस जवाब में भी लिखा है कि पिदली बार पंजाब नं0 1 को लैवी फ्री रखा गया था। हरियाणा गौरव काफी आइडैंटीकल है यह पंजाब नम्बर वन के साथ मिलती थी। इसी वजह से हरियाणा गौरव को लोगों ने पंजाबं नं0 1 का भाव किसानों को मिल रहा था वहीं हरियाणा गौरव का भाव लोगों को मिल रहा था लेकिन अभी तक पंजाब नं0 1 को भी हम लोगों ने क्लासीफायी नहीं किया। उसके लिए कमेटी मुकर्रर है। कल जब आपका ध्यानाकर्शण प्रस्ताव आया तो मैंने ऐग्रीक्लचर डिपार्टमैंट से तुरन्त सम्पर्क किया और उनसे पूछा कि यह जो साठी बासमती लिखा है, इसके बारे में आप बतायें कि यह किस्म कौन सी है? आया यह बासमती है या बासमती से मिलती जुलती किस्म है? मुझे बकायदा लिखित रूप में ऐग्रीक्लचर डिपार्टमैंट से उत्तर प्रापत हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि यह कौमन किस्म के अंतर्गत आनी चाहिए। अगर माननीय सदस्य चाहते हों और आप इजाजत दें तो मैं वह खत भी पढ़कर सुना सकती हूं। इसमें उन्होंने पूरी डिटेल में लिखा है कि

हरियाणा गौरव कौन सीवैरायटी है और क्यों यह कौमन किस्म के अंतर्गत आनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार पंजाब नं01 लैवी फ्री थी इसलिए किसानों को अधिक दाम मिल रहा था और व्यापारी हरियाणा गौरव को पंजाब नं01 लिखवा रहे थे। लेकिन इसकी अब तक क्लासीफिके ान नहीं हो पायी है। जहां तक नमी का सवाल है उसके बारे में मैंने आप से कहा है कि आज कल जीरी स्पैसीफिके ान से बहुत नीचे है। 18 परसैंट नमी की छूट गवर्नमैंट आफ इंडिया देती है जबकि आजकल नमी 20 से 28 परसैंट चल रही है क्योंकि अभी पिछले हफ्ते भी कुरूक्षेत्र में बारी ा हुई है और तीन दिन पहले भी बारी ा हुई है। इसलिए नमी वाली जीरी को समर्थन मूल्य नहीं मिल सकता।

श्री अध्यक्षः आज भी बारि ा हो रही है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः किसान अपनी जीरी बिना सुखाये मंडी के अंदर लेकर आ रहा है जो नमी है वह 20 से साढ़े 28 प्रति ात तक है। आप तो किसान है। आप जानते है कि जीरी जब सूखेगी तो इसका क्वांटम कम हो जाएगा। इसलिए वह घाटा क्यों खाये। इसलिए इसके दाम कम है क्योंकि इसमें नमी का अं ा ज्यादा है।

सचिव द्वारा घोशणा

Mr. Speaker: Now the Secretary will make an announcement.

Secretary: Sir, Ibeg to lay on the Table of the House a statemtn showing thebill which was passed by the Haryana

Legislative Assembly during its Budget (March-April) Session, 1988, and has since been assented to by the Governor.

Statement

1 The Faridabad complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1988.

नियम 45 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मो ान मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister(Shri Verender Singh): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule, 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule, 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the rule, 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मो ान मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minsiter(Shri Verender Singh): Sir, I beg tomove-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ–

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के बाद साईने बोर्ड ऐडजर्न रहेगी।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के बाद साईने बोर्ड ऐडजर्न रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिल्ज–

दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1988

श्री अध्यक्षः अब होम मिनिस्टर दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1988 को इंट्रोडयूस करेंगे और उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

गृह मंत्री(प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मैं हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक 1988 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Hon'ble Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री भगवान सहाय रावत(हथीन): स्पीकर साहब, आज माननीय सदन के सामन हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक, 1988 प्रस्तुत है जिसके द्वारा सरकार हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में सं ाोधन करना चाहती है। यह विधेयक विचार–विम र्ा के लिये यहां पर रखा गया है। आपने मुझे समय देकर कृतज्ञ किया है। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। सर्वप्रथम इसके उद्दे यों और कारणों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बिल पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। इस विधेयक द्वारा मुख्य अधिनियम की धारा 15, 181, 200 और 209 में सं ाोधन किया गया है। इसके उपबंधों के अधीन, पहले जो सदस्य होते थे, उनके किसी पद की रिक्ति मृत्यु या त्यागपत्र अथवा किसी और कारण से यदि हो जाती थी तो उसको भरने के लिए 6 मास की अवधि निि चत थी। यह 6 माह की अवधि अपर्याप्य समझी गयी क्योंकि इस समय में सारे काम पूरे नहीं किये जा सकते। वोटर्ज

लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। निि चत रूप से सारे काम पूरे करने के लिये यह समय कम है। इसलिये इस विधेयक में यह समय एक साल किया गया है। इसके साथ ही नगरपालिका क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण अथवा कब्जा इत्यादि की जो समस्या थी, उसके लिये अधिनियम,1973 की धारा 181 (1), 181(2) तथा धारा 209 में सं ाोधन किया गया है। इसके अलावा मलेरिया की रोकथाम के लिये भी विवेचना बताई गयी है। इस बारे में कार्यवाही को अमल में सही तरीके ेस लाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि इस बिल द्वारा धारा 181 में भी सं ाोधन किया जा रहा है। इसमें कोई भी आदमी अगर नगरपालिका में अपने निजी स्वार्थों के तहत नालियों पर या गलियों में छज्जों आदि का निर्माण करता था या पुनः निर्माण करता था तो उसके ऊपर पहले 25 रूपये से लेकर 200 रूपये तक जुर्माने का प्रोवीजन था। लेकिन इस सं ाोधन के तहत उसको बढ़ाकर कम से कम एक हजार रूपया और अधिक से अधिक पांच हजार रूपया कर दिया गया है। निि चत रूप से सरकार का यह सराहनीय कदम है क्योंकि भाहरों मैं ऐन्क्रोचमैंट को रोकने का प्रयास किया गया है। धारा 181 के अधीन पहले यह था कि अतिक्रमण या प्रलम्बी सरंचना के पूरे होने से पूर्व तीन वर्श से अधिक अवधि बीत गई हो तो उपधारा (1) के अधीन कोई भी अभियोजन नहीं हो सकेगा। अब इसको बढ़ाकर पांच वर्श कर दिया है, इससे भी हमें लाभ होगा।

1973 के ऐक्ट की धारा 182 के तहत जुर्माना पहले कम से कम 25 रूपए था और अधिक से अधिक दो सौ रूपए था लेकिन अब

इसको बढ़ाकर कम से कम दो सौ रूपया और अधिक से अधिक दो हजार रूपया कर दिया है।

धारा 200 मलेरिया की रोकथाम के लिए है। पहले स्टेट गवर्नमैंट को बाईलाज बनाने का अधिकार नहीं था लेकिन इस धारा में सं ाोधन के कारण स्टेट गवर्नमैंट नगरपालिका क्षेत्रों में मलेरिया के नियंत्रण के लिए रूल बना सकेगी।

जहां तक धारा 209 का संबंध है। इस धारा के तहत पहले जुर्माना कम से कम सौ रूपया और अधिक से अधिक एक हजार रूपया था अब इसमें यह कर दिया है कि 6 मास तक की अवधि के कारावास से अथवा कम से कम एक हजार रूपया तक और अधिक से अधिक पांच हजार रूपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। इन सारी बातों को दखने के प चात यह मालम होता है कि यह सरकार इस सं ाोधन के तहत नाजायज कब्जें रोकने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जुटाने के लिए तत्पर है। इसके लिए ऐडी ानल प्रोविजन किया गया है कि किसी जगह जुर्माना बढ़ा दिया गया है और किसी जगह जुर्माना और दंड दोनों रख दिए है।

स्पीकर साहब, इसके उद्दे य और कारणों को देखते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आ ाा करता हूं कि जिस प्रकार से सदन ने इससे पहले हुड्डा के तहत बिल पास किया है और अब नगरपालिका के तहत नाजायज कब्जों को हटाने के लिए बिल पास करने जा रहे है, उसी प्रकार पंचायत की जमीन पर जो नाजायज कब्जें

है या हो रहें है उनको हटाने के लिए इससे भी ज्यादा सख्त कदम उठाने के लिए यह सरकार कटिबद्ध होगी। इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री मंगल सैन(रोहतक): अध्यक्ष महोदय, अभी स्थानीय निकाय मंत्री महोदय ने जो यह सं ाोधन बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसमें कुछ नई धाराएं जोड़ी गई है। अध्यक्ष महोदय यह सं ाोधन बिल नगरपालिका संबंधी हैं। नगरपालिका एक ऐसा अदारा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति का सीधा संबंध जनता से पड़ता है। प्रदे ा सरकार के मंत्रियों से तो कोई आदमी तभी मिल सकेगा जब वह चंडीगढ़ आएगा। फिर यहां पर मंत्री होंगे या नहीं होंगे, अगर कोई मंत्री यहां पर होंगे तो वह मिल लेगा अन्यथा उसे वापिस जाना पड़ेगा। भाहर में अगर नालियां, गलियां और सड़कें अगर टूटी होती है तो आदमी सीधा नगरपालिका के मैम्बर के पास पहुंच जाता है क्योंकि उनके पास पहुंचना आसान है। मजाक में कहा जाता है कि भाहर में गंदगी का ढ़ेर पड़ा है, मैम्बर साहब जा रहे है। उनको कहा जाता है कि मैम्बर साहब की जबान हिलेगी तो तो यह गंदगी हट जायेगी। मैम्बर साहब ने तो गंदगी हटानी नहीं है। लेकिन मतलब यह है कि वे कहेंगे तो गंदगी हट जाएगी। ससरकार यह जो नगरपालिका सं ाोधन बिल लाई है उसको अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान के खिलाफ ज्यादा सख्ती से लागू करना चाहती है। लेकिन हमें कुछ बातें ऐसी करनी चाहिए जिससे यह लगे कि यह सरकार लोकतंत्र में वि वास रखती है। जनता ने बहुमत देकर हमें यहां भेजा है। कल फरीदाबाद के बारे मे

विचार हो रहा था। हमें पता लगा कि वहां के मुख्य प्र ाासक आए थे। वे सुनना चाहते थे कि मुझे कैसे डिफैंड किया जा रहा है। ठीक है उनका हक है। मैं कहना चाहता हूं कि फरीदाबाद काम्पलैक्स को कितने सालों तक गुलाम रखेंगे। वहां परचुनाव होने चाहिएं। कांग्रेस का तो लोकतंत्र में वि वास नहीं था लेकिन हम तो उसमें वि वास रखते है। हमें जनता में वि वास रखना चाहिए। अगर लोग हमें नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। इस सरकार ने एक साल में काफी काम किया है। अगर उस काम को देखकर जनता संतुश्ट होगी तो हमें जिता देगी अगर नहीं चाहेगी तो उसकी मर्जी। वह मालिक है हम मुलाजिम है। मुलाजिम तो मुलाजिम ही रहेगा। स्पीकर साहब, आपको एक चपरासी निकालना हो तो दफा 8 का नोटिस देना होगा और अगर हमें निकालना हो तो बराड़ी साहब एक नोटिस देकर असैम्बली को भंग कर देंगे और हम रोते–धोते घर चले जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा कहना यही है कि फरीदाबाद काम्पलैक्स में आप चुनाव करवाएं फाल्स प्रैसटिज का सवाल न बनाएं। मैंने कहा था कि दलीप सिंह को बदलो। आपने कहा कि हम नहीं बदलेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है। मेरा कहना है कि फाल्स प्रैसटिज नहीं होनी चाहिए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) (11.00बजे) डिप्टी स्पीकर साहब, इज्जत क्या होती है? इज्जत तो जनता के साथ होती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपको इस मामले में जनता की भावनाओं को देखते हुए कदम उठाने चाहिये। (विघ्न) सम्पत सिंह जी, मैं जो बात सदन में कहूंगा वह बिल्कुल सही कहूंगा। मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं हमे ाा सभी के साथ नम्रता के साथ बर्ताव करता हूं।

मेरी गुड़गांव के डी0सी0 से बात हुई। मैंने कहा भाई सफाई नहीं हुई टाउन का बहुत बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि, सर, मैं हैल्पलैस हूं। मेरे बस की बात नहीं। डिप्टी स्पीकर साहब, कम से कम इन्होंने उन से पूछा तो होता कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा? मेरी तसल्ली तो कम से कम ये करवा देते। भाई सम्पत सिंह जी, मैं आपका साथी हूं। चाहे ब्लैक लिस्टिड हूं, हूं तो सहीं हमें बता तो दो कि क्या आपने उन से पूछा था?

इस से आगे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात का आग्रह करूंगा कि हमने म्यूनिसिपल ऐक्ट की धारा 33–ए को ड्रौप करवाया था और अब ये बैक डोर से उसको फिर ला रहे है। हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम अपने मन की हरेक बात को यहां पर कह सकते है, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी आत्मा कीबात को यहां पर बुलंद करेंगे। अगर कोई इसके लिए हमें रोकेगा, धमकायेगा तो जो इसके लिए सदन की अपनी मर्यादा भंग समिति है, वह ऐक ान लेगी। मैं सदन के नेता को बधाई देता हूं कि वे आज प्रिवलेज मो ान के समर्थन में सबसे पहले खड़े हुए। इसके साथ साथ मेरा यह निवेदन है कि आप ब्यरौक्रेसी पर क्यों भरसा करते हो? ब्यरोक्रैसी किसी की नहीं है। मैं किसी क्लास वि ोश पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। ये अवसरवादी लोग सब जगह पाये जाते है और धन्ना सेठों में नौकर ाहों में ये बहुत जल्दी रंग बदलते है। डिप्टी स्पीकर साहब, ब्यरोक्रेट्स को ये और ज्यादा सख्त करना चाहते है। वहीं साहब इनका एजेंडा लिखेंगे। मुझे पता चला है कि सम्पत सिंह जी ने कहा है कि

हमारा एजेंडा सचिव लिखते है। उन सचिवों में और इनमें बड़ा फर्क है। आप जो कहोगे वो मानेंगे और दूसरे तो ऐम्पलाईज को उकसाते है कि प्रधान के खिलाफ नारे लगाओं। अगर इस तरह से तनातनी चलेगी तो भाहरों में क्या विकास का काम होगा? इसलिए सम्पत सिंह जी मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारी नेक सलाह मान लें तो अच्छा है। नहीं मानोंगे तो एक न एक दिन आपको मानना ही होगा। अधिकार उनको दीजिएगा लेकिन जनता की भावनाओं की सुपरीमेसी जो है वह होनी ही चाहिए, हम तो इस असूल के आदमी हैं। इस बिल के तहत अगर कोई सीट किसी के अयोग्य होने के कारण या किसी के मर जाने के कारण खाली हो जाती है तो उसको भरने के लिए 6 महीने कीबजाये अब आप एक साल करना चाहते हो। 6 महीने की बजाय एक साल का टाइम आप इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि आप यह कहते हो कि इलैक्टोरल रोल्ज वगैरह पूरे करने में समय लगता है और दूसरी फारमैलिटीज पूरी करने में भी समय लगना स्वाभाविक है। सम्पत सिंह जी, कहीं इसके पीछे कोई और दूसरा कारण तो नहीं है? हमारा कहना है कि इस काम के लिए बे ाक एक साल की अवधि ले लीजियेगा लेकिन कोि ा ा कीजियेगा कि कुछ महीनों के अंदर–अंदर ही खाली स्थानों को सभी फारमैलिटीज पूरी होने पर भर लीजियेगा। इस तरह का प्रावधान तो लम्बा है लेकिन हम चाहते है कि वहां के लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव जल्दी करें। अगली बात यह है कि आप इस बिल के माध्यम से जुर्माने और सजा की बात भी कर रहे हो। हो सकता है कि पुलिस की सहायता भी ली जाएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, आप भाहरों में जाकर देखें आपको जगह–जगह ऐनक्रोचमैंट नजर आएगी और यह हवा कुछ सालों से ही चली है, पहले ऐसा नहीं था। आजकल लोग लट्ठ के जोर पर जमीनों पर नाजायज कब्जे कर लेते है और पुलिस भी उनको कुछ नहीं कहती। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः डाक्टर साहब, पुलिस का आपके साथ तो प्रेम है?

श्री मंगल सैनः हम से तो प्रेम है पुलिस का इसमें कोई भाक नहीं है। अब पुलिस वाले तो आगे हो रहे है वैसे पीछे होते है कि कहां गया और कहां से आया। अखबारों में भी छपा था कि डी0आई0जी0 (सी0आई0डी0) मेरा पीछा करते है। मैंने कहा था कि यह मेरा सौभाग्य है क्योंकि बंसीलाल के समय में भी यही डी0आई0जी0 था। उनके पास पुराना रिकार्ड है। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने पुलिस का नाम ले दिया था इसलिए यह बात तो बाई दी वे आ गई वरना यह मेरा सबजैक्ट नहीं था। तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि आप जुर्माना भी करना चाहते है और सजा भी देना चाहते है। जो फिलासफी है उसके मुताबिक किसी आदमी को सजा इसलिए दी जाती है ताकि वह उस लैप्स को रिपिट न करें। उसको सजा इसलिए मिले कि वैसा काम करने की उसको दोबारा हिम्मत न हो लेकिन आप ऐसी सजा न दें कि अपराधी वैसे ही डूब जाए। आखिर वह भी तो सिटीजन है। डैमोक्रेसी में सही आवाज होगी तो उसके उत्तर में सही आवाज आएगी। कुएं में जैसी आवाज मारोगे वापिस वैसी ही सुनाई देगी।

आप इतना सख्त कानून क्यों बना रहे हो? क्या आपको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जुर्माना 25 रूपए की बजाय 100/– रूपए कर दीजिए और सजा वगैरह की बात छोडिएं। जहां तक ऐनक्रोचमैंट की बात है कई लोग पक्का मकान बना लेते है और नोटिस की परवाह नहीं करते। ऐसे आदमियों को बे ाक रगड़ा लगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। फरीदाबाद में जो तमा ाा हो रहा है यह लम्बे हाथ वालों का काम है उनको कोई हिला नहीं सकता लेकिन छोटे लोग बेचारे रगड़े में आ जाते है। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैक ान 200 में कहा गया है कि सरकार को मलेरिया की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल एरियाज में बाई लाज बनाने का अधिकार होगा। ऐसा करके मलेरिया की रोकथाम के लिए ये अपने को एम्पायर कर रहे है, यह अच्छी बात है। इनको बाई लाज बनाने की पावर मिलनी चाहिए। हम भी चाहते है कि ठीक कदम उठा कर मलेरिया को रोका जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री रघु यादव(रेवाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के सम्मुख माननीय श्री सम्पत सिंह जी ने हरियाणा नगरपालिका सं ाोधन विधेयक, 1988 विचार और पारित करने के लिए पे ा किया हुआ है। इस सं ाोधन विधेयक की मं ाा ऐसी प्रतीत होती है कि जो अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक ान हो रही है जो ऐनक्रोचमैंट विभिन्न कस्बों और भाहरों में होती है, उसको रोकने के लिए कानून को कुछ सख्त किया जारहा है, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह नीयत

स्वागत योग्य है। इसलिए इसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं इस मौके पर मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम वे लोगा है जिन्होंने गढवाल के चुनाव को टालने के वक्त यह कहा था कि इसको जल्दी करवाया जाए, इलाहाबाद के चुनाव को टालने की कोि ा ा के वक्त भी हमने उसकी आलोचना करते हुए यही कहा था कि इसे जल्दी करवाया जाए। हर क्षेत्र को चाहे वह नगरपालिका के अंतर्गत आता है या विधान सभा के अंतर्गत आता है अपने निर्वाचित प्रतिनिधि की लगाता नुमांइदगी का अधिकार है। अगर किसी वजह से, कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है या किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी क्षेत्र में किसी और वजह से प्रतिनिधित्व बीच में खत्म हो जाता है तो उस क्षेत्र वि ोश को उसकी जगह भीघ्राति ीघ्र पुनः नये निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा रिप्रैजैंट किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, 6 महीने समय कम नहीं है। मैं समझता हूं कि एक साल की अवधि मांगना ठीक नहीं है, हमें तो चुस्ती दिखानी चाहिए। पिछले सै ान में नगरपालिकाओं से संबंधित एक सं ाोधन विधेयक आया था। उस समय हमारे तत्कालीन स्थानीय निकाय मंत्री श्री धर्मबीर जी ने सदस्यों की भावना काआदर करते हुए उस सं ाोधन विधेयक की धार 33 ए को ड्रौप कर दिया था। मैं चाहूंगा कि आज मंत्री महोदय उसी तरह इस सं ाोधन विधेयक में जो किसी सदस्य के रिक्त स्थान को भरने के लिए 6 महीने के स्थान पर कम से कम एक वर्श की अवधि को ही बरकरार रखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जनतंत्र में वि वास और बहुत गहरी आस्था रखते है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आस्था केवल हमारे मन में ही हो। समाज को और सभी लोगों का ऐसा लगना भी चाहिए

कि हमारी आस्था बड़ी दृढ़ है। प्रदे ा की विभिन्न नगरपालिकाओं में जो निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनमें एक संदेह का वातावरण बन गया है। हरियाणा सरकार ने 17–18 साल के अंतराल को तोड़ कर हरियाणा में नगरपालिकाओं के चुनाव करवाये और उनमें निर्वाचित निकाय स्थापित किए गये है उनमें एक भांकाका वातावरण बना हुआ है जिसका कारण यह है कि नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के ऊपर जो चीफ ऐग्जैक्टिव आफिसर्ज बैठाए हुए है, उन्हें और ज्यादा अधिकार दिए जा रहे है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मन में यह भाक है तो इस बारे में ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि जिससे उनकी भांका खत्म हो और उन्हें लगे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में सरकार का पूरा वि वास हैं। नगर में मूल–भूत नागरिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, सीवरेज आदि नागरिकों को देने और उनको सुधारने का काम नगरपालिका का होता है। मैं कहना चाहूंगा कि यह सारा काम निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपा जाना चाहिए न कि चीफ ऐग्जैक्टिव आफिसर या किसी नौकर ााही के जिम्मे किया जाए। ऐसा अधिकार हमें व्यवहार में भी नगरपालिकाओं के निर्वाचित पार्शदों को देना होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की इस भांका को तोड़ना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं कि उसने 30 अगस्त, 1987 को नगरपालिकाओं के चुनाव करवाए जो पिछले 15–15 और 20–20 साल से कांग्रेस के कु ाासन में नहीं करवाए गये थे। माननीय उपाध्यक्ष

महोदय, 30 अगस्त, 1987 को हरियाणा में लगभग सभी भाहरों और कस्बों में नगरपालिकाएं गठित हुई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेवाड़ी के अंदर नगरपालिका का जो चुनाव हुआ, वह महज एक ड्रामा साबित हुआ है। वहां 21 में से 20 वार्डों में तीस अगस्त को मतदान कराते समय हरियाणा सरकार और संबंधित अधिकारी इस बात को भूल गये कि 28 जुलाई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रेवाड़ी नगरपालिका के चुनाव स्थगित करने के आदे ा जारी यि हुये है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 28 जुलाई को दिए गये आदे ा की अवमानना और अवहेलना करते हुए, रेवाड़ी में तीस अगस्त 1987 को 21 में से 20 वार्डों में मतदान करवाया गया। न केवल तीस अगस्त को 21 में से 20 वार्डों का मतदान हुआ अपितु वहां तीस अगस्त को जिस वार्ड नंबर 13 में एक तकनीकी गड़बड़ के कारण मतदान नहीं हो सकता था उस वार्ड में भी 5 सितम्बर 1987 को मतदान कराया गया जबकि उच्च न्यायालय 28 जुलाई को वहां का पूरा चुनाव स्थगित कर चुका था। खैर इस तीस अगस्त और पांच सितम्बर की चुनाव प्रकिया में रेवाड़ी भाहर के 21 वार्डों ने अपने 21 नगरपालिका सदस्यों को निर्वाचित किया लेकिन वहां पर आज तक न तो उन लोगों को भापथ दिलाई गई और न ही रेवाड़ी नगरपालिका गठित की गई है। क्योंकि रेवाड़ी की नगरपालिका के चुनावों को उच्च न्यायालय ने स्थगित करने का आदे ा जारी किया हुआ था उसके बावजूद भी वहां पर चुनाव हो गये। कैसी विडम्बना है कि रेवाड़ी में 21 प्रतिनिधि निर्वाचित होने के बावजूद भी वहां पर नगरपालिका गठित नहीं हो सकी है। वहां पर

चुनाव दोबारा करवाने की घोशणा की गई और कार्यक्रम बना, जिसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गये।

Mr. Deputy Speaker: Yadav Sahib, it is not relevant. Please speak on the amendment.

श्री रघुबीर यादवः उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका पर चर्चा हो रही है और यह बहुत ही गम्भी मामला है रेवाड़ी भाहर में सभी लोग बेचैन है। उपाध्यक्ष महोदय गत 11 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने उस रिट पैटी ान पर फैसला देकर कहा कि दिया कि रेवाड़ी नगरपालिका के पुनः चुनाव कराए जाएं। लेकिन अभी तक रेवाड़ी भाहर के लोगों को यह जानकारी नहीं है कि वहां पर चुनाव कब होंगे? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय मंत्री जी अंथोराईज्ड कंस्ट्रक ान को रोकने के लिए सख्ती बरतने हेतु और कानून बनाने जा रहे है मैं अनुरोध करूंगा कि नगरपालिकाओं किसी कारण से सदस्यों के स्थानों की जो रिक्तियां हो जाती है, उनको जल्दी पूरा करने के बारे में कार्यवाही करें। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि रेवाड़ी भाहर की नगरपालिका का एक साल पहले चुनाव होने के बावजूद भी वह भाहर निर्वाचित नगरपालिका से वंचित है। इसके चुनाव कराने की प्रकिया को तेज करें और फौरी तौर पर वहां पर चुनावों की घोशणा करें। इन भाब्दों के साथ मैं सं ाोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री कैला ा चंद भार्मा(नारनौल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका सं ाोधन विधेयक, 1988 पर बोलने के लिए खड़ा

हूं। आदरणीय मंत्री जी इस बिल में जो अमैंडमैंट लाए है, वि ोश रूप से इसका उद्दे य भाहरों में नगरपालिकाओं की जमीन पर जो ऐनक्रोचमैंट बढ़ रहा है उसे रोकना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि आज भाहरों में लोग नगरपालिकाओं की जमीन पर ऐन्क्रोचमैंट कर रहे है यह सही बात है। इस ऐंक्रोचमैंट में एक कड़ी सच्चाई यह है कि लोग अपनी मर्जी से ऐंक्रोचमैंट नहीं कर लेते। यह ऐंक्रोचमैंट उसी समय हो पाती है जब इसमें नगरपालिका का कोई न कोई आदमी किसी न किसी रूप से अव य भागमिल होता है। बगैर इन कर्मचारियों की मर्जी के कोई भी आदमी नगरपालिका की एक इंच जमीन पर भी एंक्रोचमैंट नहीं कर सकता। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे को देखने को मिलते है। यदि कोई व्यक्ति किसी के नोटिस में लाएं बगैर ऐंक्रोचमैंट कर लेता है तो नगरपालिका के आदमी तुरंत वहां पहुंच जाते है और उसे गिरा देते है। यदि मिलीभगत से कोई ऐंक्रोचमैंट की गई है तो अब वह काम पूरा हो जाएगा उसके कुछ समय बाद नगरपालिका की तरफ से उसे नोटिस दिया जायेगा। जो नोटिस लेकर जाएगा वह ऐंक्रोचमेंट करने वाले आदमी को बता कर भी आएगा कि इससे बचने का क्या उपाय है? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां ऐंक्रोचमैंट को रोकने के लिए आम लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है यानी जुर्माने के साथ–साथ जो सजा का प्रावधान किया गया है वहीं पर जिन कर्मचारियों की मिलभक्त इस काम में हो, उनके लिए भी इस बिल में सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से पहले जितनी भी

ऐंक्रोचमैंट लोगों ने कर रखी है, वह नगरपालिका के कर्मचारियों को बहुत बड़ी रकम देकर की हुई है। जिन लोगों ने ऐंक्रोचमैंट की हुई है उन्होंने नगरपालिकाओं के आदमियों को पैसे देकर अपनी रोजी–रोटी का इंतजाम किया हुआ है और इसी वजह से उन्होंने अब नगरपालिकाओं की जमीन पर अपनी दुकानें और खोखे आदि बना डाले है। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद उनको हटाया जा सकेगा। इस बारे में मंत्री जी से वि ोश रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों ने ऐसे स्थानों पर अपना काम–धंधा भुरू किया हुआ है, उनके रोजगार पर एकदम लात न मारी जाए क्योंकि उस स्थान पर काम करके वे अपने परिवार का पालन–पोशण कर रहे है। यदि हम उनको एकदम उठा देंगे तो उनके बच्चों के पेट पर लात लगेगी, जिनका पालन–पोशण उस जगह से हो रहा है। इस बारे में मेरी गुजारि ा है कि जब तक उनके लिए कोई न कोई आलटरनेटिव व्यवस्था नहीं कर दी जाती तब तक उनको वहां से न उठाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इसबिल में किसी सदस्य कीसीट खाली होने पर उसका चुनाव 6 मास की बजाय एक साल में किए जाने का सं ाोधन पे ा किया गया है और कहा गया है कि आगे से किसी नगरपालिका के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर उस स्थान का चुनाव एक साल में किया जा सकेगा। मैं इस अमैंडमैंट के हक में नहीं हूं। 6 महीने का समय भी किसी स्थान पर चुनाव कराने के लिए काफी होता है क्योंकि सरकार के पास इतनी म ाीनरी और ऐम्पलाईज है कि सरकार चाहे तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव हो सकता है। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यदि कोई सदस्य किसी कारण

अपना स्थान छोड़ता है या उसे छोड़ने पर मजबूर किया जाता है तो उस स्थान का चुनाव प्रिवियस वोटर लिस्ट के अनुसार करा दिया जाये, भले ही नई वोटर लिस्ट ने बनाई जाये। एक साल के अंदर चुनाव कराने का समय बहुत लंबा होता है क्योंकि कुल पांच साल की अवधि तो किसी मैम्बर की सारी ही होती है। यदि एक में चुनाव कराया गया तो फिर समय भी नहीं बच पायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चुनाव प्रिवियस वोटर लिस्ट के अनुसार तुरन्त करा दिए जाने चाहिए। जैसे श्री रघु यादव जी ने फरमाया है और डा0 साहब ने भी कहा है यह बात ठीक है कि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। जनता के लोग रोजाना उनके पास काम करवाने के लिए आते है, उनके पीछे काम करवाने के लिए पड़े रहते है और उनके कपड़े फाड़ते है। यदि वे नगरपालिकाओं में जाने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार अपनी योजना के अनुसार अपने कार्य नहीं कर सकते नियम नहीं बना सकते और असे कायरूप नहीं दे सकते तथा केवल सी0ओ0 के ऊपर आधारित रहेंगे तो वे लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से नहीं निभा सकेंगे।इसलिए मैं आदरणीय मंत्री जी से वि ोश आग्रह करूंगा तथा मांग करूंगा कि लोगों की इच्छा है कि सी0ओ0 के जो अधिकार है उन पर अंकु ा लगाया जाए। जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनको भाक्ति दें ताकि वे जनता की इच्छा के अनुरूप और जनतंत्र की मूल ाावना के अनुकूल काम कर सकें। उनकी इच्छा एवं योजना के अनुसार भाहर का विकास करने की जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है, उनको पूरा करने के लिए उन्हें व्यापक अधिकार दिए जाए। आदरणीय मंत्री जी से

मेरा यह आग्रह है कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें। इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपका स्थान लेता हूं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयान(नौलथा): उपाध्यक्ष महोदय मंत्री जी ने यह जो बिल पे ा किया है यह बहुत ही बढिया है और यह उनकी बढिया समझ और सूझबूझ की नि ाानी है। मंत्री जी ने जो इस में अमैंडमैंट की है वह सराहनीय है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ फंडामैंटल राईटस मिले हुए है। जैसे आदमी को हवा का अधिकार है धूप का अधिकार है कहीं आने–जाने का अधिकार है। इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से भाहरों को जायज तरीके से साफ सुथरा रख कर उनका विकास करना है, जो लोग अन–अथोराइज्ड तरीकों से भाहरों के वातावरण को दूशित करते है भाहर की डिवैल्पमैंट में बाधक बनते है उनसे निपटने के लिए एक पावर एक भाक्ति ऐडमिनिस्ट्रे ानके हाथ में आए यह बहुत अच्छी बात है। इससे भाहरों का विकास होगा। भाहरों को साफ सुथरा दिखने के लिए और साफ–सुथरा लगने के लिए आम भाहरी के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात जो इसमें 6 महीने से एक साल का समय चुनाव कराने के लिए प्रावधान किया गया है, वह ठीक है। कई बार स्टेट में ऐसे भी हालात हो जाते है कि चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना संभव नहीं होता। इस बिल में यह कहीं नहीं लिखा कि चुनाव साल में ही करवाएं। चुनाव 2 महीने में तीन महीने में, 6 महीनें में या 9 महीने में अथवा साल में कभी भी हो सकते है। इस अमैंडमैंट कें द्वारा हर नगर की डिवैल्पमैंट होगी और वे साफ–सुथरे होंगे तथा हर

नागरिक को सही नागरिक बनने की भाक्ति मिलेगी, चेश्टा मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को एक मत होकर हर्शध्वनि से पास किया जाना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरनाम सिंह(ाहबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा म्यूनिसिपल अमैंडमैंट बिल, 1988 के संबंध में सबसे पहली बात चुनाव का समय 6 महीनें से बढ़ाकर एक साल करने के बारे में कहना चाहता हूं। मेरी अर्ज यह है कि पिछले साल बीस जून को लोकदल सरकार ने भापथ ग्रहण की, सरकार बनी और अगस्त के अंदर म्यूनिसिपल कमेटियों के इलैक ान करवा दिए गए यानी दो महीने के अंदर इलैक ान हो गए। यदि इलैक ान उस वक्त दो महीने में हो सकते थे तो अब 6 महीने से एक साल कासमय करने की बात बनती नहीं है। अगर यह मान लिया जाए कि वोट बनाने की प्रकिया जनवरी से भाुरू होती है तो अब तक आठ महीने बनते है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं । क्या यह सरकार कांग्रेस सरकार से ढीली चल रही है कि यह चुनाव करवाने का समय 6 महीने से बढाकर एक साल करने पर विचार कर रही है? मैं समझता हूं कि 6 मास समय काफी है। वैसे प्रणाली तो यह है कि 6 महीने के अंदर ही म्यूनिसिपल कमि नर को चुना जाए। 6 महीने की तो बात ही क्या हमसे पहले पूरे बीस साल तक म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव नहीं करवाएं गए थे। मैं समझता हूं कि लोकदल ने आकर अच्छी भाुरूआत की हैं। ज्यादातर म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव दो महीने में ही करवा दिए गए है तो अब 6 महीने

के समय को बढा कर एक साल करना इस विचारधारा के बिल्कुल उलट है। यह बात समझ में नहीं आ रही। फिर बहुत सी म्यूनिसिपल कमेटियों के इलैक ान हो गए थे लेकिन कुछ म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव होने रह गए थे। उनके इलैक ान क्यों नहीं करवाए जा रहे है। यह भी बात समझ में नहीं आती। मेरे हल्के के साथ लगती थानेसर म्यूनिसिपल कमेटी है जिसके इलैक ान नहीं हुए। मैं समझता हूं 6 महीने काफी है और इस पर पाबंदी से अमल करना चाहिए। कांग्रेस की तरह नहीं होना चाहिए कि बीस साल तक पूरी म्यूनिसिपैलिटी के इलैक ान ही न करवाएं जाए। मैं समझता हूं कि यदि कोई म्यूनिसिपल कमि नर हट गया है या किसी कारणव ा वह अपने पद पर नहीं रहता तो हमें चिंतित होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी यह पद भरा जाए और 6 महीने के अंदर–अंदर ही नया म्यूनिसिपल कमि ानर लग जाए। हमारे दे ा में राईट ऑफ विद् ड्रावल होना चाहिए ताकि जो लोग चुनते है उनको वापिस बुलाने का भी अधिकार हो और 6 महीने से पहले वे दूसरा म्यूनिसिपल कमि नर चुन लें। हम जो 6 महीने से एक साल की बात कर रहे है, मैं समझता हूं कि यह डैमोक्रैसी के विचारों के उलट बात है। एक बार, दफा 181 में जो अमैंडमैंअ की है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। अगर कोई ऐनक्रोचमैंअ होती है तो उसे रोकना चाहिए। यह गलत है। इसके लिए हमें बड़े कदम उठाने चाहिएं लेकिन इसबिल में जो जुर्माना बढाया गया है और 6 महीने की कैद की सजा का प्रोविजन किया गया है, यह ऐसी सरकारों का काम है जिन्हें जनसमर्थन प्राप्त नहीं होता, जो कमजोर होती है वहीं ऐसा करती है। हर काम डंडे से ही करवाना है तो गलत है। मैं समझता हूं

अगर सरकार ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करती है या मिनिस्टर साहब ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करते है कि पहले जो हालात थे वे बदल गए है जो ये बातें आ सकती है। हमें अख्तियार है, हम नोटिस देते है कि यह गैर कानूनी तौर पर जगह को हथिया लिया है, इस पर नाजायज कब्जा कर लिया है, छज्जा बना लिया है यह कर लिया वह कर लिया उसको हम हटवा सकते है। अगर वह नहीं हटाता है तो हमारे पास अख्तियार है कि हम उसको जबरदस्ती गिरा दें और गिराने का खर्चा भी उससे वसूल करें। अगर वह नहीं देता तो एज एरीयर्ज औफ लैंड रैवेन्यू वसूल करें। जब हमारे पास इतने अख्तियार है तो फिर जुर्माना बढाने और सजा देने की क्या आव यकता है? अगर वे अख्तियार हमारे नाकाम हो जाये तो इन बातों का प्रावधान करें। कहीं पर डंडे लेकर लोग खड़े हो जाएं रजिसटैंस ज्यादा हो जाए तो हम मामला पुलिस में ले जा सकते है लेकिन यह अख्तियार लेना दुरूस्त नहीं हैं। इसके अलावा जुर्माने की दर बढायी जा सकती है ताकि लोगों को डर रहे कि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो निर्माण नाजायज बने हुए है उन्हें रैगुलर कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जिनकों बने हुए पांच साल गुजर गए है उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा। इस बारे में कहना चाहता हूं कि अगर उनको रैगुलर करना है तो उनसे मुआवजा लेना चाहिए बे ार्ते कि वे किसी प्रकार की बाधा न डालते हों। अगर वाकई ही में बाधा डालते है भाहर में रूकावट बनते है तो उन्हें हटाना चाहिए। अगर रैगुलर करना है तो

उनसे कम्पनसे ान लेना चाहिए। बस मैं यही अर्ज करना चाहता हूं । धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह चौधरी(फतेहाबाद): डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं मंत्री महोदय को मुबारिकबाद देना चाहूंगा कि वे एक अच्छा बिल लाये है। प्रदे ा में अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक ान और अन–प्लांड कालोनियों की समस्या बड़ी भयानक है। वहां सफाई और बिजली आदि का कोई प्रबंध नहीं है। उनमें इंसानों का जीना बड़ा दूभर हो गया है। हरियाणा के सभी भाहरों में यह हालत हो गई है। मंत्री महोदय ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह बिल पे ा किया है लेकिन मैं इस बारे में एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं। इस सं ाोधन विधेयक द्वारा ये ओरिजनल एक्ट 1973 की धारा 15(1) में भी अमैंडमैंट करना चाहते है। यह प्रोग्रैसिव स्टैप न होकर रैट्रोगेटिव स्टैप है। ये एफी ैंसी को द ार्ाने की बजाय इन–एफीि येंसी द ार्ाएंगे ऐसा इलजाम सरकार पर लगेगा। जब हम यह मांग करते है कि असैम्बली और पार्लियामैंट के चुनाव जल्द से जल्द और समय पर होने चाहिए तो इनके क्यों नहीं होने चाहिए? इस बिल में एक इतनी बड़ी ऐनामली है जिसको भाायद मंत्री महोदय ने ध्यान से नहीं पढा। सैक ान 15 की सब सैक ान (2) में नौमिने ान का भी प्रोविजन है। मैं नहीं समझता कि नौमिने ान में भी 6 महीने से अधिक का समय लगेगा। पहली बात तो यह है कि नौमिने ान का प्रोवीजन समाप्त किया जाना चाहिए। यह नोमिने ान ऐंटी–डैमोक्रेटिक है। इसके साथ–साथ मैं यह कहूंगा कि जो सं ाोधन बिल मुकम्मल तौर पर आया है इसमें यह प्रावधान करें

कि नौमिने ान नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी जितनी भी क्लाजिज है मैं उनका समर्थन करता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस समर्थन को साथ–साथ मैं कुछ बातें और भी कहना चाहता हूं हरियाणा में एक पीसफुल क्रान्ति के बाद यह सरकार बनी है। इससरकार ने अपने वायेद निभाने के लिये बहुत जल्दी में म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव कराये। वे चुनाव इतनी जल्दी में हुए चुनावों में कुछ ऐलीमैंट भी चुन कर आया है जिसकी वजह से आज कमेटीज के प्रबंध में भ्रश्टाचार है। ऐसे लोगों की वजह से ही पिछले बीस सालों से लगातार हर कमेटी भ्रश्टाचार का एक अड्डा बनी हुई थी क्योंकि वहां पर मुकम्मल तौर पर सफाई बिजली और पानी वगैरह का कोई प्रबंध नहीं था। गंदे पानी के निकास का कोई प्रबंध नहीं था। सिवरेज सिस्टम का कोई प्रबंध नहीं था। इस वजह से हरियाणा प्रदे ा में जगह–जगह बीमारियां फैलती थी और ऐसी कोई जगह नहीं रह गयी थी जहां पर कोई सेहतमंद आदमी अपनी जिंदगी बसर कर सकें। इस वजह से चुनाव हुए। गवर्नमैंट इस बात के लिये मुबारिकबाद की हकदार है कि उसने चुनाव कराये। इसके साथ–साथ उसकी जिम्मेवारी भी बढ गयी है। आज हर कमेटी के बारे में अखबारों में आ रहा है। फतेहाबाद म्यूनिसिपल कमेटी के बारे में वि ोशकर अखबारों में आया है। हमारे ही कुछ लोगों पर भ्रश्टाचार के इलजाम लग रहे है। हमारा संघर्श के समय एक ही नारा था कि भ्रश्टाचार बंद और बिजली पानी का प्रबंध। इस वजह से हमारे यहां पर पीसफुल क्रान्ति हुई। जहां तक हरियाणा के हितों का सवाल है उसके लिए मेरे

विचार में जो क्रान्ति हुई वह भजनलाल और बंसी लाल से लोगों की नाराजगी की वजह से हुई। भजन लाल को सारे हरियाणा ने हाजी मस्तान समझा। उसके बाद जो चुनाव से एक साल पहले अथौरेटेटिव गवर्नमैंट रही जनता ने उसको उठाकर फैंका। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि हमारी यह गवर्नमैंट ऐसे स्टैप न ले जिससे यह अथोरिटेरियनिजम की तरफ बढे। मेरा कहना यह है कि हमारी यह गवर्नमैंट ऐसे कोई कदम न उठाये जो इसकी ऐंटी पीपल पालिसीसाबित करें। हमारी गवर्नमैंट को लोगों को उजाड़ने की बजाये बसाने का प्रबंध करना चाहिए। म्यूनिस्पिल कमेटीज के द्वारा मीट मार्किट और धोबी घाट अव य बनाये जाने चाहिए जिनकी भाहरों में बहुत जरूरत है। बिजली, पानी, सड़कें व सीवरेज सिस्टम हर जगह पर बनाया जाये ताकि हर जगह पर काम सुचारू रूप से हो सकें। इसके अलावा जहां पर गंदगी की समस्या है, वहां पर उसके लिये प्रबंध किया जाये। मैंने भी कई भाहरों का दौरा किया था। गंदगी की वजह से वहां पर मलेरिया फैल रहा है। मैं इस बात के लिए अपने मंत्री महोदय को मुबारिकबाद दूंगा कि उन्होंने इस अमैंडमैंट द्वारा इस अधिनियम में मलेरिया का भाब्द जोड़ा है। मलेरिया निवारण के लिए जो उन्होंने ऐसे सख्त कदम लिये है, मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्हें इस बात के लिये एक बार फिर मुबारिकबाद देता हूं इसके साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि भ्रश्टाचार की कोई भी ि ाकायत आये, उसके ऊपर तीस दिन के अंदर–अंदर ऐक ान लेना चाहिये। अगर इस बात के लिये कोई प्रोविजन नहीं किया गया तो सारे हरियाणा प्रांत में म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव किय कराये बेकार हो जायेंगे, व्यर्थ होंगे। इस

प्रकार का गैर–जिम्मेवार ऐलीमैंट जो धांधली मचाए हुए है और लाखों रूपये का गबन हो रहा है, उस पर चैक नहीं किया जा सकेगा। हमने यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में लायी थी। 22x25 फुट और 18x35 फुट का एक प्लाट फतेहाबाद म्यूनिसिपल कमेटी ने नीलाम किया है। उस प्लाट के नक ो भी कमेटी ने पास कर दिये है। मंत्री महोदय ने मौके पर जा कर देखा भी था और वे मना करके आये थे। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार पिछले तीन दिनों से वहां पर निर्माण भुरू हो रहा है। इस प्रकार की ऐंकोचमैंट को रोकने के लिये अगर कोई सख्त कदम उठाये जाते है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। भ्रश्टाचार निवारण के लिये और कमेटीज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए दोनों महकमे इनके पास है। मेरा कहना यह है कि ऐक्ट के प्रावधान सख्ती से लागू होने चाहिये। मुझे पूरा वि वास है कि मैंने जो सुझाव दिये है मंत्री महोदय उनकी तरफ ध्यान देंगे और सब–सैक ान (1) आफ सैक ान 15 में की जा रही अमैंडमैंट को वापिस लेंगे ताकि हमारी सरकार जो रैट्रौगेटिव स्टैप उठाने जा रही है, यह न उठाया जा सके।

श्री हीरा नंद आर्य(लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो बिल पे ा किया है कोई भी सभ्य आदमी उसका समर्थन किए बिना नहीं रह सकता। कोई आदमी चाहे अनाधिकृत भवन निर्माण करे या न करे लेकिन नाजायज कब्जा किसी जगह पर किसी आदमी का न हो, इसमें दो राय नहीं हो सकती। इससे पहले कि मैं और बातों की ओर जाउ, मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव जो

सालों से नहीं हुए थे चौधरी देवी लाल ने सत्ता में आते ही प्रजातंत्र के तहत म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव कराए। ऐसा करके उन्होंने बहुत ही प्र ांसनीय काम किया। लेकिन ऐसा पाया गया कि मुख्य प्र ाासक और कमेटी के चुने हुए प्रतिनिधियों में कुछ ठनी हुई है। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस चीज को हल करने के लिए अगर कोई अमैंडमैंट लाने की जरूरत हो तो वे लाए या बैठकर इन बातों का समाधान निकाले जिससे चुने हुए प्रतिनिधियों को कोई भांका न रहे। ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी करे और चुने हुए प्रतिनिधियों की परवाह न करे तो इससे नगर के विकास में बाधा पड़ती है। मुझे एक पैम्फलैट मिला है जिसमें ऐसा लिखा है कि सरकार कोई अमैंडमैंट करने जा रही है जिसके अनुसार हाउस टैक्स की सुनवाई पहले म्यूनिसिपल कमेटी की एक सब–कमेटी करती थी लेकिन अब ऐडमिनिस्ट्रेटर ही हाउस टैक्स के बारे में सुनवाई करेगा। उसी को इस बारे में सुनने का अधिकार दिया जा रहा है और वह ही फैसला करेगा। कमेटी के बाई–लाज बनाने के अधिकार पहले चुने हुए प्रतिनिधियों को थे लेकिन अब मुख्य प्र ाासक को यह अधिकार दिया जा रहा है। उस पैम्फलैट के अनुसार मुख्य प्र ाासक को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह एजेंडा तैयार करेगा और यह वहीं फैसला करेगा कि ऐजेंडा में कौन सा आइटम हो और कौन सा आइटम न हो। कमेटी के प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं होगा केवल मुख्य प्र ाासक को ही अधिकार होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पश्ट करें ताकि हमारे विरोधियों को लोगों को गुमराह करने का मौका न मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, अगली बात मैं अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान के बारे में कहना चाहता हूं। यह बाउत ठीक है कि अन–अथोराइज्ड कंस्ट्रक ान नहीं होनी चाहिए। कल भी अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान रोकने के लिए हुड्डा के विशय में एक बिल पास कराया था और म्यूनिसिपल कमेटीज के बारे में अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान न हो और उसको रोकने के लिए आज बिल आया है। दोनों बिलों के पीछे मूल भावना यह है कि अनाधिकृत कंस्ट्रक ान न हो और उसको रोकने के लिए कानून सख्त किए है। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखें कि सालों से यह अनाधिकृत कंस्ट्रक ान क्यों हो रही है? आपने इसके लिए सजा और जुर्माने सख्त कर दिए है। उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अनाप भानाप मकान बने है ये इसलिए बने है क्योंकि आबादी बढ रही है और लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए। अगर आप इस तरह से लोगों को जुर्माने और सजा करोगे तो ऐसा करके आप सारे दे ा को जेल तो नहीं बना सकते। उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में ऐमरजैंसी के दौरान लोगों के मकान तोडत्रे गए, चौंतरे तोड़े गए गलियां तोड़ी गई और उसका परिणाम यह निकला कि 1977 में कांग्रेस का सफाया हो गया और दे ा को जनता सरकार के हवाले कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि नाजायज कब्जा तोड़कर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाजायज कब्जों को स्पोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी नहीं चाहता कि नाजायज कब्जे होते रहे लेकिन सवाल यह आता है कि नाजायज कब्जे किस प्रकार से रोके जाए। आप कानून में पुलिस को और ब्यूरोक्रैसी को ज्यादा अधिकार दे रहे है,

इससे तो भ्रश्टाचार और करप् ान का रास्ता और ज्यादा खुलेगा। फिर इसका ईलाज क्या है? अनाधिकृत कंस्ट्रक् ान को रोकने के लिए केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अगर सरकार यह समझती है कि यह अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक् ान है तो उसको बिजली का कनैक् ान क्यों दिया जाता है, पानी का कनैक् ान क्यों दिया जाता है और सिवरेज का कनैक् ान क्यों दिया जाता है? मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक् ान के लिए कनैक् ांज दिए है उन अधिकारियों के खिलाफ भी ऐक् ान होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि खाली लोगों को उजाड़ने से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों को किसी जगह से हटाया जाता है उनको आपको समुचित प्रबंध करना होगा। उन लोगों के लिए जमीन चाहे हुड्डा ऐक्वायर करें, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी के द्वारा ऐक्वायर हो और चाहे डिप्टी कमी नर ऐक्वायर करे लेकिन उनके लिए आलटरनेटिव प्लाटस का इंतजाम करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, कल चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने बोलते हुए कहाथा कि हम कुछ सिटीज नोटीफाई कर देंगे और केवल उनमें ही इसको लागू करेंगे। हरियाणा केवल फरीदाबाद, गुड़गांव में ही नहीं बसता है बल्कि दूसरे कस्बों और भाहरों में भी बस्ता हैं। इसलिये उनको नोटीफाई करके आप बड़ी–बड़ी कंपनियेां जैसे डी0एल0एफ0 वगैरह है उनके द्वारा भवन निर्माण करवा लेंगे और उनको लाइसैंस देने में भी जिस किसी की जैसी क्षमता होगी उसके अनुसार गल्त या सही काम उनसे आप करवा लोगे। लेकिन क्या वही कंपनियां छोटे–छोटे कस्बों में भवन निर्माण कर पाएंगी? मेरे

विचार में ऐसा संभव नहीं है। इसलिय मेरा सुझाव यह है कि आप इस काम के लिये कमेटी को अथोराइज्ड कीजिये। पंचायत या डी0सी0 को अथोराइज्ड कीजिये या फिर हुड्डा को अथोराइज्ड कीजिये। हिसार और दूसरे भाहरों में कमेटी और हुड्डा ने 10, 15, 20 व 30–30 किलोमीटर तक जमीने नोटीफाई कर रखी है और कोई भी व्यक्ति इस हालात में दूर दराज अपने खेतों में भी मकान नहीं बना सकता। आप यह सोचते हो कि कोई व्यक्ति मकान बनाने के लिये डायरैक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इजाजत लेगा या सर्टीफिकेट लेगा? एक साधारण किसान इसके लिये क्या सर्टीफिकेट ले सकता है और और उसके बाद वह मकान बनाएगा, यह असम्भव है। यह प्रैक्टिकल बात नहीं है। इसके लिए आपकों प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। जमीनों और प्लाटस की व्यवस्था करनी होगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब हुड्डा के द्वारा जमीन एक्वायर की जाती है तो लोगों को केवल पंद्रह हजार रूपया पर किल्ला के हिसाब से देते है और दूसरी तरफ जो प्राइवेट कोलोनाइजर्ज है वे उसी जमीन के लोगों को एक लाख से डेढ दो लाख रूपये तक पर किल्ला के हिसाब से देते है। तो किसान का दिमाग खराब है जो हुड्डा को वह अपनी जमीन देगा। किसान तो केवल अपनी मजबूरी के कारण अपने बच्चों को बचाने के लिये अपनी जमीन बेचता है वरना वह इतने सस्ते भाव पर जमीन क्यों देगा? इस तरह से जो आपने तीन सालों की औसतन कीमत की अड़चन डाल रखी है यह कोई उचित बात नहीं है। इसकी बजाये पिछलें तीन महीनों की

औसत के हिसाब से किसानों को उनकी जमीनों की कीमत दी जानी चाहिये। उसी के हिसाब से उस जमीन की कीमत लगाकर के हुड्डा जमीन के मालिकों को, किसानों को, जिन से वह जमीन ले कीमत अदा करे और वहां पर कलोनीज काट दे ताकि जमीन देने पर लोगों को किसी प्रकार की आपत्ति न हो। डिप्टी स्पीकर साहब जनसंख्या बढ रही है। लोग गांवों से भाहरों की तरफ आ रहे है। इसलिये जनसंख्या के आधार पर जब तक आप व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक नाजायज कब्जे बढते ही रहेंगे चाहे आप कितना ही सख्त कानून क्यों न बना लें। अगर नाजायज कब्जे बढते रहे तो गरीब किसान के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगै यह बड़ा चिंता का विशय होगा और प्रदे ा के भाहरों में बहुत गंदखाना मच जाएगा तथा बीमारियों से त्राहि–त्राहि मच उठेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आप को बताता हूं कि गुड़गांव कें अंदर एक कोई श्री मान जी है। वे एक बहुत बड़ी नगरी बना रहे है और उस नगरी को ड्रीम सिटी के नाम से बसा रहे है वहां पर दो मंजिले भवन तो बना लिये गये है और उन फलैटस को 10–10,12–12 लाख रूपये पर वे बेचते है हालांकि उनकी किसी भी तरह की कोई मंजूरी नहीं है। सब अनअथोराईज्ड कालोनीज है। सुना है कि अब उनकी आठ मंजिल तक भवन निर्माण करने की योजना है।

इसी तरह से फरीदाबाद में एक बैवरेज लिमिटिड है। वहां पर किसी कारखानेदार ने मजदूरों के क्वार्टर्ज बनाने के लिये कभी डेढ दो रूपये गज के हिसाब से जमीन ली थी वह जमीन कम कीमत पर सरकार ने उसे इसलिये दिलायी थी ताकि वहां पर मजदूरों के क्वार्टर्ज

बनाये जा सकें। लेकिन किस तरीके से अधिकारियों से मिल मिलाकर राजनीतिज्ञों के जरिए कैसे किया गया और वहां उस जमीन पर मजदूरों के क्वार्टर्ज बनाने की बजाये 25–25 दुकानें बना दी गई और आगे और दुकानें बनोन की उनकी योजना है। इस सारी स्थिति की जानकारी के लिये जांच पड़ताल करना जरूरी है क्योंकि यह सब काम अनअथोराईज्ड है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बड़ा गम्भीर मामला है क्योंकि जो इस प्रकार के अरबपति, लखपति और धन्नासेठ है उनके लिये इस तरह की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से मंजूरी लेनी कोई मुि कल नहीं है लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिये यह सब कुछ करने की दिक्कत होगी। यह ठीक है कि आपने कानून में इसके लिये व्यवस्था की है कि वह 30, 60 या 90 दिनों के अंदर–अंदर हुड्डा से इस बारे में सर्टिफिकेट ले सकेगा। लेकिन यह प्रेक्टिकल डिफीकल्टीज ऐसी है जिनको आपको ध्यान में रखना ही होगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएं उनको आल्टरनैटिव प्लाटस देने की व्यवस्था सरकार करे। अनअथोराइज्ड कालोनीज में सुविधाएं न दी जाएं। जमीन तोदस रूपए गज के हिसाब से ली जाती है लेकिन कालोनी को डिवैल्प करने के लिए खर्चा चार सौ रूपये गज आता है। आप जी0टी0 रोड के मुकाबिले में खर्चा क्यों करते हो? जैसा उस कालोनी का स्टैंडर्ड हो उसके मुताबिक काम करवाएं। लोगों को जैसा रहन–सहन का स्तर हो उसके मुताबिक ही खर्च करें। ऐसा करने से डिवैल्पमैंट का खर्चा कम हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जब तक यह सारी बाते कैलकुलेटिवली नहीं करोगे तब तक हम जिस लाइन पर पहुंचना

चाहते है नहीं पहुच सकेंगे। इन सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए तथा आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री कुंदन लाल भाटिया(फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जो बिल आया है इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सब से पहले मेरा सुझाव यह है कि फरीदाबाद कम्पलैक्स के चुनाव सबसे पहले करवाएं जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहां पर जिक्र आया कि फरीदाबाद के अंदर अनअथोराईज्ड जगहें बनती है। मैं समझता हूं कि गलत जगह बनाने वाले से ज्यादा जुर्मदार वे इंसपैक्टर और अफसर है जो पैसे लेकर बैठ जाते है। अगर कोई इंस्पैक्अर पैसे नहीं लेगा तो अनअथोराइज्ड जगह नहीं बन सकती। जितना जुर्माना दुकान या मकान बनाने वाले पर लगे उतनी ही सजा पैसे लेने वाले अफसर को दी जानी चाहिए। कल मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर चला गया था। सम्पत सिंह जी ने मेरे पीछे से एक बात कही थी जिसको मैं स्पश्ट कर देना चाहता हूं । वहां चिल्ड्रन पार्क का वायदा चौधरी देवी लाल जी ने किया था। मंत्री जी ने कल कहा कि उस पार्क का अभी कोई नक ाा पास नहीं हुआ है। अगर नक ाा पास नहीं हुआ तो उसको पानी का कनैक ान कैसे दिया गया? पिछले कुछ दिनों से वहां पर दिन रात काम कैसे चल रहा है? मैं उनसे कहूंगा कि सारी जनता उस पार्क की तरफ देख रही है अगर चौधरी देवी लाल जी का वायदा पूरा नहीं होगा तो किस का होगा? उस पार्क को पानी का कनैक ान डबल रोड काट कर दिया गया है और पिछले पांच सात दिन से वहां पर दिन रात काम चल रहा है इसलिए उनको जल्द बनाया जाए। कल मैंने सवाल उठाया

था कि नीलम बाटा चौक से अनअथोराइज्ड जगह नहीं तोड़ी गई। उस बारे में कहा गया कि एक विधायक ने कुछ पोस्टर निकाले। साथ में यह भी कहा गया कि विधायक की मिसिज ने और उसके बच्चों ने कम्पलैक्स के अंदर पोस्टर लगाए। क्या विधायक के पास पोस्टर लगाने के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं था मुझे इस बात की समझ नहीं आई। इस बात को लेकर विधायक की फैमिली के नाम मुकदमा दर्ज किया गया। उनका लड़का आज रोहतक जेल के अंदर है तथा उसके साथ उसके 15 साथी भी है। कम से कम यह मालूम होना चाहिए कि गोंची ड्रेन से लेकर एन0आई0टी0 तक कोई सफाई नहीं हुई। जो काम करना है उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं है। लेकिन विधायक ने क्या किया है और क्या नहीं किया उसकी तरफ अधिक ध्यान दिया गया। इन भाब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री ि ाव प्रसाद(अम्बाला भाहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज सदन के सामने हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक 1988 प्रस्तुत है। इस सं ाोधन विधेयक पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं इसी प्वायंट का लेता हूं कि सरकार ने नगरपालिकाओं में जब किसी सदस्य की मृत्यु अथवा उसके पद स्थान पर हटाए जाने या किसी कारण से कोई पद रिक्त होता है तो उस पद को भरने के लिए 6 महीने की बजाये एक वर्श का समय बढाने के बारे में इस सं ाोधन विधेयक में कहा है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि किसी नगरपालिका के सदस्य की मृत्यु या किसी

और कारण से कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान की पूर्ति के लिए 6 महीने का समय भी काफी है। भाायद सरकार नगरपालिकाओं के सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 6 महीने की बजाये एक वर्श का समय इसलिए करने जा रही है कि किसी केस में सरकार को कोई अड़चन हो जाए जिसके कारण उस स्थान की पूर्ति के लिए 6 महीने में चुनाव न करवा सके। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार 6 महीने की बजाय जो एक वर्श का समय निि चत करने जा रही है उसके बारे में प्रदे ा के किसी व्यक्ति को यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि किसी रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सरकार ने एक वर्श का समय लिया हुआ है फिर भी उस अवधि में चुनाव नहीं करवाए बल्कि कोि ा ा यह होनी चाहिए कि किसी रिक्तर स्थान को 7–8 महीने से पहले–पहले भरा जाए। इसके अलावा इस सं ाोधन विधेयक में ऐंक्रोचमैंट के बारे में जो बात कही गई है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब से लाक दल और भारतीय जनता पार्टी की सांझी सरकार बनी है तब से भाायद हरियाणा प्रदे ा में बहुत कम ऐंक्रोचमैंट हुई है। जितनी भी ऐंक्रोचमैंट हुई है वे उस वक्त हुई जिस वक्त हरियाणा प्रदे ा में नगरपालिकाएं भंग थी और अकेला ऐडमिनिस्ट्रेटर ही काम करने वाला होता था। अम्बाला भाहर की नगरपालिका 1967 में टूट गई थी। बीस साल के बाद 1987 में उसके चुनाव करवाएं गए और वह भी लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की सांझी सरकार ने करवाए। अम्बाला भाहर में 1967 से 1987 के बीस साल के अर्से के दौरान बहुत ज्यादा ऐंक्रोचमैंट हुई है। वहां पर जो बिल्डिंग इंस्पैक्टर जाता था वह बड़े आराम से किसी भी आदमी को कह देता था कि

जाओ आप अपनी मर्जी से अपने मकान में जो अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान करनी है वह कर लें। यानी जो ऐंक्रोचमैंट करनी है वह कर लें। उसको कोई पूछने वाला नहीं था। हमारी सरकार के आने के बाद अम्बाला भाहर में बहुत कम ऐंक्रोचमैंट हुई है। जो ऐंक्रोचमैंट हुई है वह भी दो तरह की हुई है। जैसे कुछ लोगों ने अपने मकान का नक ाा तो दे दिया और बालकोनी बनाने की इजाजत नहीं ली लेकिन बाद में बिना नक ो के बालकोनी बना ली। या किसी आदमी ने उसके मकान की जितनी जमीन थी वह सारी कवर कर ली और उस मकान के आगे एक चबूतरा बना लिया। इस प्रकार की ऐंक्रोचमैंट हुई है। अनअथोराइज्ड बालकोनी बनाने के बहुत सारे केसिज कोर्ट में चल रहे है। इस बारे में मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा जिससे अनअथोराइज्ड बालकोनी बनाने के बारे में जो कोर्ट में केस चल रहे है वे भी होंगे और नगरपालिका को भी आमदनी होगी तथा ऐंक्रोचमैंट करने में भी काफी रूकावट आएगी। जिस आदमी ने अनअथोराइज्ड बालकोनी बना ली है उसके लिए सक्वेयर फिट के हिसाब से रा ि ा फिक्स कर दी जाए। जो आदमी वह रा ि ा जमा करवा देगा उसका केस ड्रोप कर दिया जाए। यदि सक्वेयर फिट के हिसाब से रा ि ा फिक्स करदी जाए और लोग वह पैसा जमा करवा दें तो जो कोर्ट में अनअथोराईज्ड बालकोनी बनाने के केसिज चल रहे है उनकी संख्या कम हो जाएगी और ऐसा करने से नगरपालिका को भी आमदनी होगी। यदि सरकार सक्वेयर फिट के हिसाब से रा ि ा फिक्स कर दे और कोई आदमी वह रा ि ा जमा न करवाए तो उसको अनअथोराइज्ड बालकोनी वगैरह न बनाने दी जाए और जिसने बना ली है उसको तोड़ दिया

जाए। मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि 1967 के बाद जिन लोगों ने अपने मकानों के आगे जो अनअथोराइज्ड चबूतरे बना लिए है अगर उन चबूतरों को वैसे ही गिराना भुरू कर दिया जाए तो लोगों में नाराजगी होना स्वाभाविक है। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। आज कोई भी भाहर या नगर ऐसा नहीं है जिसमें सड़कें या गलियां न टूटी हों। जैसे सरकार दूसरी जगहों की डिवैल्पमैंट के बारे में विचार कर रही है और कदम उठा रही है अगर उसी तरह सरकार नगरों के विकास के लिए कोई स्लम क्लीयरैंस बोर्ड बना सकती हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बड़े बड़े नगरों में सफाई के लिए, टूटी हुई नालियों और गलियों के लिए यदि सरकार कोई बोर्ड बना सकती है तो बनाए, अगर नहीं बना सकती तो नगरों के विकास के लिए मैक्सीमम रूपया स्पै ाल ग्रांट के रूप में दे ताकि उनमें सड़कों की मुरम्मत, गलियों और नालियों की मुरम्मत हो सके यदि सरकार सड़कों और गलियों की मुरम्मत के लिए स्पै ाल ग्रांट के रूप में दे ताकि उनमें सड़कों की मुरम्मत गलियों और नालियों की मुरम्मत हो सके यदि सरकार सड़को और गलियों की मुरम्मत के लिये स्पै ाल ग्रांट दे दे तो सड़कों और गलियों की मुरम्मत करने के बहान से उन अनअथोराइज्ड चबूतरों को गिराया जा सकता है जो लोगों ने ऐंकोचमैंट करके बनाए हुए है। जिन लोगों ने गलियों के अंदर अपने मकानों के आग जगह दबा रखी है जिस पर कुछ न कुछ बना रखा है उसको भी गिराया जासकता है। अगर कोई आदमी किसी नाली को कवर करके आगे बढ़ गया है तो उस जगह की नाली की मुरम्मत करने के बहाने से खाली करवाया जा सकता है। ऐसा करने से लोगों को यह पता लगेगा कि उनके जो चबूतरे

गिराए गए है वे किसी रंजि ा के कारण नहीं गिराए गए। लोग यह समझें कि सरकार भाहर के लोगों को परे ाान नहीं करना चाहती है वह भाहर की डिवैल्पमैंट के लिए सड़कों और गलियों को पक्का बनाने के लिए चबूतरों को गिरा रही है। ऐसा करने से लोगों में सरकार के प्रति रंजि ा का मौका नहीं आएगा और चुन हुए नुमाइंदों के लोग कपड़े नहीं फाड़ेंगे। 1977 में क्र ान और भ्रश्टाचार को खत्म करने के लिए उस समय की जनता सरकार ने कुछ कदम उठाए थे बैरियर्ज के मामले को ही ले लें। अगर बैरियर्ज हटा लिए जाए तो बैरियर्ज पर होने वाला भ्रश्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। उस समय बैरियर्ज को समाप्त करने के लिए और उनके स्थान पर एक तरह से जोन बनाकर क्र ान को काफी हद तक खत्म किया गया था। भाहरों में सफाई की ठीक प्रकार की व्यवस्था न होने के कारण ही हैजा और मलेरिया फैल जाता है। यह बात सरकार के नोटिस में भी है। सरकार में भाामिल होने के नाते और एक प्रतिनिधि के नाते मैं यह कह सकता हूं कि आज के दिन गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। पानी की निकासी न होने के कारण हीसड़कें और गलियां टूटी हुई है। जिसकी वजह से गंदगी और मच्छर पैदा होते है और मलेरिया फैलाता है। आज के दिन गंदे नाले गंदगी से भरे पड़े है। जब हम इनकी सफााई के बारे मे कमेटी से कहते है तो जवाब मिलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज भाहर नरक बन रहे है और मच्छर व मक्खी आदि बीमारी फैलाते है। पीने का पानी जिन पाईपों से गुजरता है उसके अंदर लीकेज है। लीकेज होने की वजह से ही सड़कों का और गलियों व नालों का गंदा पानी इन पाईपस के जरिए लोगों तक

जा रहा है। अम्बाला में जो पीने का पानी लोगों को मिल रहा है मैं उसका सैम्पल दिखाने के लिए नहीं लाया। उस पानी में बहुत अधिक गंदगी आ रही है। जब कमेटी वालों को कहते है तो उनके पास से वही जवाब आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि भाहरों के विकास के लिए वहां की कमेटियों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि वे सड़कें और नाले व गलियों की मुरम्मत कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज के दिन हर भाहर में काफी डेरियां है। इन डेरियों में लोगों ने बीस से लेकर सौ भैंसों तक रखा हुआ है। जब बरसात नहीं आती तो इन डेरियों के मालिक उनके गोबर से उपले बना कर लोगों को बेचते है। लेकिन जब बारि ा आ जाती है तो उस गोबर को नाली में बहा देते है जिससे बीमारी बढती है। इस बारे में मेरा सरकार से सुझाव है कि भाहर से बाहर दूर कुछ जमीन एक्वायर करके इन डेरी वालों को वहां पर भेज दिया जाए ताकि भाहर को गंदगी से बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दो बातें और कह कर मैं अपना स्थान लूंगा। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने नाजायज ऐंक्रोचमैंट करके अपने खोखे आदि बना रखे है उनको हटाने के लिए कानून तो पहले से ही मौजूद है इसके लिए नए कानून को बनाए जाने की कोई वि ोश आव यकता नहीं है। अब जो कानून बनाया जा रहा है इसमें और जो पहले का कानून बना हुआ है उसमें फर्क यह है कि पहले ऐक्रोचमैंट करने पर 25 रूपए से लेकर 200 रूपए तक जुर्माना हो

सकता था, अब 200 रूपए से लेकर दो हजार रूपए तक जुर्माना किया जा सकता है। ऐंक्रोचमैंट क्यों हो रही है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले 20–22 साल से बहुत अधिक ऐंक्रोचमैंट हुई है। कानून के होते हुए यह सब कुछ हुआ है। जैसे सभी को पता है कि किसी व्यक्ति का यदि कत्ल किया जाता है तो मारने वाले को फांसी की सजा मिलेगी लेकिन कत्ल फिर भी हो रहे है। केवल सजा का बढ़ा देना ही इस समस्या का इलाज नहीं है बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि 25 रूपए से 200 रूपए तक के जुर्माने का जो कानून बना हुआ है वही काफी है। इसमें जानने वाली बात यह है कि इस कानून के मुताबिक नगरपालिकाओं के अधिकारियों ने इस कानून का पालन क्यों नहीं किया और क्यों वह ऐंक्रोचमैंट बढ़ती चली गई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों की नैगलीजैंस और मिली–भगत की वजह से ही यह ऐंक्रोचमैंट बढती चली गई है। यह ऐंक्रोचमैंट इसलिए भी अधिक बढ़ी कि पिछले 20–25 सालों से नगरपालिकाओं के अंदर पब्लिक के नुमाइंदे काम नहीं कर रहे थे। मैं भी 1953–63 के दौरान नगरपालिका का सदस्य रहा हूं। उस समय ऐंक्रोचमैंट इतनी नहीं बढी जितनी 1967–87 के दौरान बढी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जबसे यानी 1987 से नगरपालिकाओं के लिए पब्लिक के नुमाइंदे चुने गए और नगरपालिकाओं के चुन हुए प्रतिनिधियों ने जब से काम भाुरू किया है तब से भाहरों में ऐंक्रोचमेंट भी बहुत कम हुई है। तो मेरा यह कहना है कि केवल सजा को बढाना इसका इलाज नहीं है। उन अधिकारियों को कसने की जरूरत है,, उन पर सख्ती की जरूरत है जो बने हुए नियमों के मुताबिक कार्यवाही नहीं करते। (12.00 बजे) वे

लोग पक्षपात के बिना ए0बी0सी0सभी को समान दृश्टि में रखते हुए ऐक ान नहीं लेते। यदि ऐसा किया जाए तो कभी भी इस प्रकार की बातें सरकार के सामने चिंता का विशय नहीं बन सकती। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, धन्यवाद।

डा0 बृजमोहन(जगाधरी): उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते है कि ज्यों–ज्यों आबादी बढ रही है नगरपालिकाओं की लिमिटस भी बढती जा रही है। नगरपालिका की लिमिट बढने के बाद इस लिमिट के अंदर जितने भी मकान बनेंगे उनके मालिकों को हाउस टैक्स तो जरूर देना पड़ेगा, यह कानून की बात है। लेकिन इन मकानों के लिए जो जरूरी फैसिलिटीज म्यूनिसिपल कमेटी को देनी चाहिए जैसे पानी, बिजली, नाली या सीवरेज आदि वे इन मकानों के लिए नहीं दी जाती। नगरपालिकाएं इसके लिए बाध्य नहीं है क्योंकि जब तक वे एप्रूव्ड कालोनीज में न आ जाएं उनको ये सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकती। इस कारण से अनअथोराइज्ड कंसट्रक ान बनते–बनते वे कालोनीज स्लम बन जाती है। वहां कोई नाली नहीं होती सड़कें नही होती कच्ची गलियों में पानी खड़ा रहता है और गंदगी के ढेर जगह–जगह होते है। इसमें कोई भाक नहीं कि इस प्रकार कीबातें चलती आ रही है और नगरपालिकाओं के पास ऐसी कोई योजना नहीं होती कि वहां नई बस्तियां बसा कर लोगों को नए मकान बन कर दें। आबादी बढ रही है और जब तक ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं होगा तब तक इस तरह की बस्तियां बनती रहेगी और स्लमज में कंवर्ट होती रहेगी। इस बिल में टाईम का सं ाोधन है कि 6 महीने से एक वर्श तक का समय किया

जाए। यदि नगरपालिका का कोई मैम्बर त्याग–पत्र दे देता है या किसी अन्य कारण से वहां स्थान रिक्त हो जाए तो उस स्थान को एक साल में भर लिया जाए। यह समय 6 महीने से एक साल इसलिए मांगा गया है कि वोटर लिस्ट बनाने में टाईम लगेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि वोटर लिस्ट भी तो नगरपालिका के स्टाफ ने ही बनानी है और इसे बनाने के लिए आदमी ऊपर से नहीं आने है। सारा काम लोकल स्टाफ द्वारा ही किया जान है। इसमें अगर ज्यादा समय लगने की सम्भावना है तो मैं समझता हूं कि यह समय ज्यादा मांगा गया है। इसके कारण हम अपनी अपोजी ान पार्टी जो हमारे खिलाफ है उसको कहने का मौका देते है। वे कहेंगे कि हमने तो 10–15 साल समय नहीं बढाया और ये आज आते ही समय बढा रहे है। मैं समझता हूं कि हालांकि समय मांग भी लिया गया है लेकिन फिर भी 6 महीने से पहले–पहले चुनाव करवा लिए जाए। ताकि हम उनको यह कहने का मौका न दें कि यह सरकार ज्यादा समय में काम करती है। मेरा सुझाव है कि समय न मांगे और चुनाव को 6 महीने से आगे न जाने दें। दूसरी बात जो इसमें सबसे अहम है वह अनअथोराईज्ड कंस्ट्रक ान की है। म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन पर छज्जे निकालने की, या जीमन पर मकान बनाने की वारदातों को देखने के लिए स्टाफ रखा हुआ है। ज्यों ही कोई ऐसी कंस्ट्रक ान करे तो वे फौरन जाकर देखें। सबसे पहले नक ाा पास करते समय म्यूनिसिपल कमेटी की यह जिम्मेदारी है कि यह देखे कि उसमे म्यूनिसिपल कमेटी की कोई जमीन तो नहीं आती। जहां अनअथोराईज्ड कालोनीज में म्यूनिसिपल कमेटी नक ाा पास नहीं करती वहां मकान बिना नक ो के नहीं बनाये जाते है। म्यूनिसिपल कमेटी के स्टाफ की

यह ड्यूटी होजाती है कि कंस्ट्रक ान का काम भाुरू होते ही उसका नोटिस लें और यदि आव यक हो तो उस कंसट्रक ान को रोका भी जा सकता है लेकिन आमतोर पर ऐसा होता नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी का स्टाफ उस कंस्ट्रक ान को इग्नोर कर देता है या उनको एंक्रेज करते है कि बना लीजिए, घबराईये नहीं, हम देख लेंगे तथा सब ठीक कर देंगे। यह सहज ही अनुमान लगाया जासकता है कि वे ऐसा क्यों करते है? इस तरह से यह अनअथोराईज्ड कंस्ट्रक ान बनती जाती है और लोग म्यूनिसिपल कमेटी की भाह पर यह सब करते रहते है। म्यूनिसिपल कमेटी जितने भी मुकदमें कोर्ट में ले जाती है अधिकतर फैसले उसके खिलाफ होते हैं जिसका कारण यह है कि स्टाफ मिली भगत होने के कारण पूरा रिकार्ड ही कोर्ट में पे ा नहीं करता यानी वे लैंड ग्रेब करने वालों का नाजायज कब्जा करने वालों का अनअथोराईज्ड कंस्ट्रक ान करने वालों का रिकार्ड पे ा नहीं करते हैं। वे रिकार्ड इसलिए पे ा नहीं करते है कि लोग म्यूनिसिपल ऐम्पलाइज को कुछ न कुछ दे देते है। ऐसा आम देखने में आता है। मेरा सुझाव है कि जहां यह सजा रखी है उसमें टाईम भी रखा जाये। एक साल, दो साल या तीन साल का टाईम रखा जाये। अगर म्यूनिसिपल कमेटी नोटिस न ले तो म्यूनिसिपल ऐम्पलाइज की जिम्मेदारी हो। उन पर जिम्मेदारी लगा कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक ान लेना चाहिए।

अब मैं धारा 209 की तरफ आना चाहता हूं। इस धारा के तहत सैंट्रल गवर्नमैंट ने सुझाव भेजा है कि प्रदे ा सरकारें म्यूनिसिपल कमेटी के एरिया में मलेरिया की रोकथाम के लिए कुछ नियम बनाये

और उन नियमों को बनाते हुए जरा ध्यान रखें। उसमें एक भाब्द मलेरिया भी है। वह मैनमैड मलेरिया है। वह कैसे होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर घर के बाहर नाली न हो और बाहर गढ़ा खोद लें तो वहां पर घर का पानी इक्ट्ठा हो जाता है। उससे मैनमैड मलेरिया बन जाता है। कम से कम यह अधिकार बाई–लाज मे ंचालान करने का उनको न दें क्योंकि नगरपालिका के आधे ऐसे इलाके है जहां पर गलियां, नालियां नहीं है और पानी के निकास का भी प्रबंध नहीं है। आबादी बढने के साथ–साथ अनअथोराईज्ड कालोनियां बन गई है। इसलिये मलेरिया की रोकथाम के लिए ऐसी पावर उन लोगों के हाथ में न दें। वे गरीब आदमी का चालान कर देंगे। इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री दुर्गादत अत्री(राजौंद): डिप्टी स्पीकर सर, मैं हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) विधेयक, 1988 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बाकी तो मैं इस सारे बिल का समर्थन करता हूं लेकिन एक बात रह गई है और वह ऐंक्रोचमैंट के बारे में है। इसमें धारा 181(2) की उपधारा (1) में जोडा गया है ''परन्तु यदि अतिक्रमण या प्रलंबी सरंचना के पूरा होने से पूर्व पांच वर्श से अधिक अवधि बीत गई हो तो उपधारा (1) के अधीन कोई भी अभियोजन नहीं हो सकेगा। डिप्टी स्पीकर सर जब हम ऐंक्रोचमैंट को खत्म करने के लिए सं ाोधन कररहे है तो हमने एक तरफ तो उनको छूट ही दे दी कि कोई आदमी पांच साल का कब्जा दिखा कर कब्जा ले सकेगा। मैं इस बात के लिए तो माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि ऐंक्रोचमैंट खत्म करने के लिए

सं ाोधन बिल लाये है लेकिन मेरा सुझाव है कि इस सं ाोधन में यह जोड़ दिया जाये कि नाजायज कब्जा कितना ही लम्बा हो उसको खाली कराने का अधिकार होगा। धन्यवाद।

सेठ लछमन दास बजाज(करनाल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय यह जो सं ाोधन बिल हाउस के सामने आया है मैं उसका समर्थन करते हुए थोड़ा सा सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐंकोचमैंट के लिए न सजा होनी चाहिए और न ही पुलिस की मदाखलत होनी चाहिए क्योंकि जब सी0ओ0 और प्रैजीडेंट को पावर है कि चाहे वे बुलडोजर से गिरा दें या जुर्माना कर दें तो इन बातों की क्या आव यकता है? दूसरे जो पहले के कब्जे है जो जमीन पर मकान बना कर बैठे हुए है उनको अगर वहां से उठाया जाये तो कोई न कोई स्थान देकर उठाया जाये। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसमें यह चीज आनी चाहिये कि कब्जा अगर सही नहीं मानते है तो उसको स्थान देकर ही वहां से उठाया जाना चाहिये। इसके साथ ही जो इस में जुर्माना एक हजार रूपये से पांच हजार रूपये तक कियागया है उसको सौ रूपये से पांच सौ रूपये तक किया जाना चाहिये। इससे अधिक जुर्माना नहीं होना चाहिये। सी.ओ. को जो आपने अधिकार दिये है उसके अंदर कई चीजें ऐसी आयी है, जिनसे प्रधान के अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाते है। वहां पर जो भी कमेटियां जैसे हाउस बिल्डिंग कमेटी बगैरा बनेगी वे सारी क सारी समाप्त हो जायेगी। इसके साथ ही प्रैजीडैंट को कोई अधिकार नहीं रहेगा। एजेंडा तैयार करना हो तो वह सी0ओ0 तैयार करेगा। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा जितनी भी

कमेटियां वहां पर बनती है जैसे परचेज कमेटी और हाउस बिल्डिंग कमेटी वगैरा वे सारी की सारी समाप्त करके सारे के सारे अधिकार सी0ओ0 को दिये गये है। इसके साथ ही मैं कुछ बातें डिवैल्पमैंट आफ कालोनीज के बारे में कहना चाहता हूं। मैं अपने भाहर की ही बात करना चाहता हूं। हमारे भाहर के अंदर 19 ऐसी कालोनीज बनी हुई है जिनमें न तो नक ो पास है न हम वहां पर पानी दे सकते है। उनके हम नक ो भी पास नहीं कर सकते क्योंकि वे लोग डिवैल्पमैंट चार्जिज देने के लिये तैयार नहीं है। ये कालोनीज 10, 15, 20 या 25 साल पहले की बनी हुई है। मेरा कहना यह है कि वहां पर दस परसैंट डिवैल्पमैंट चार्जिज ले कर सड़कों गलियों और नालियों वगैरा का प्रबंध किया जाये। इसके साथ ही इंस्पैक्टर्ज का जहां तक ताल्लुक है इंस्पैक्टर्ज सारा दिन काम तो करते है लेकिन वे कोई भी केस वहां पर नहीं लाते। उनके जिम्मे भी कोई काम होना चाहिए। महीने में या 5–6 महीने में वे कोई न कोई काम लायें ताकि इस सिस्टम के तहत चुंगी का काम भी बढ सके और आय भी बढ सके। इसके साथ ही मैं डेयरी में मुतालिक भी कुछ कहना चाहूंगा। जब भी बरसात आती है तो गोबर वगैरा इक्ट्ठा करके डेयरी वाले नालियों में पहुंचा देते है जिससे नालियां बदं हो जाती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि उनके लिए अलग से इंतजाम होना चाहिये। उनको अलग से जमीने अलाट करनी चाहियें। इसके साथ हीमैं एक औरऐसी हीबात कहने जा रहा हूं। सूअर पालन का भी प्रबंध अलग से होना चाहिये। उनको अलग से सस्ते रेट पर प्लाटस देने चाहिये जिसका पैसा उनसे किस्तों में लिया जाये। वे खास तौर से भाहरों के अंदर गंदगी ज्यादा फैलाते है। जहां पर

गंदगी का ढेर पड़ा होता है इन की वजह से वह सारे का सारा कूड़ा–करकट फैल जाता है। इसके साथ ही हाउस–टैक्स और वाटर टैक्स की वसूली करने का भी कुछ ढंग होना चाहिये। इसकी वसूली का कुछ न कुछ तरीका निकाला जाये। म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर हमारे कुछ लोग तोपैसा देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर कर्मचारी उनको नोटिस देते है तो वे नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं होते। एक–एक आदमी के खिलाफ 25, 25 या 30 हजार रूपया हाउस टैक्स का बकाया खड़ा है लेकिन वह देने के लिये तैयार नहीं है। कर्मचारी केस भी तैयार करके भेजते है लेकिन उनका बनता कुछ नहीं है।

इसके अलावा कुछ पहले से और कुछ इस बरसात के कारण सड़कें और नालियां टूट चुकी है। भाहर की बहुत बुरी हालत है। उसके लिये सिर्फ ध्यान देने की आव यकता है। इसके लिये बहुत ज्यादा यदि अनुदान दिया जायेगा तभी हम ये सड़कें और नालियां वगैरा बना पायेंगे। कम से कम करनाल के लिये 25 लाख रूपया चाहिये। (घंटी) बहुत अच्छा जी। इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री आत्मा राम गोदारा(धिराय): उपाध्यक्ष महोदय हरियाणा नगरपालिका (सं ाोधन) बिल, 1988 हमारे सम्मुख डिस्क ान के लिये रखा गया है। इसमें वि ोश रूप से धारा 181 की उपधारा (2) में जो प्रोवाईजो है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। इसकी प्रोवाईजों में यह कहा गया है–

''परन्तु अतिक्रमाण या प्रलम्बी सरंचना के पूरे होने के तीन वर्श से अधिक अवधि बीत गई है, तो उपधारा (1) के अधीन कोई अभियोजन नहीं हो सकेगा।''

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि अगर पहले किसी आदमी ने अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान या ऐनक्रोचमैंट कर ली और उसे तीन साल हो गए उसके बाद उस अनअथोराईज्ड कंस्ट्रक ान या ऐनक्रोचमैंट को रिमूव नहीं किया जा सकता या कोई ऐक ान नहीं लिया जा सकता। यह पहले ऐक्ट में था। अब इस अवधि को तीन साल की बजाए पांच साल कर दिया गया हैं। लेकिन मेरा विचार है कि पांच साल की अवधि बहुत कम है। इस अवधि को दस साल बढाया जाए क्योंकि खास तौर से इस प्रोवाइजों को इस ऐक्ट में भाामिल करके हम उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे है जो अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान करते है। एक तरफ तो हम आवाज उठा रहे है कि भाहरों में एंक्रोचमैंट नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ ऐंक्रोचमैंट को रैगुलर करने के लिए पांच साल का पीरियड रख रहे है। उपाध्यक्ष महोदय दो तरह की ऐंक्रोचमैंट होती है। एक तो हैंगिक प्रोजैक ान है जिसमें लोग अपने मकान पर छज्जा आगे बढा लेते है और दूसरे लोग अपने घर के आगे नाली के ऊपर कंस्ट्रक ान करके सड़क में रूकावट डालते है। ये दो बहुत भयानक ऐंक्रोचमैंट है और यातायात में रूकावट डालती है। अगर कोई सब से अच्छी मार्किट बनी हुई है वहां भी लोग ऐंक्रोचमैंट करने की कोि ा ा करते है। जहां तक अनअथोराईज्ड कंस्ट्रक ान के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। इससे यह भी होगा कि दे ा में जो

कानून कापालन करने वाला तबका है उसको प्रोत्साहन मिलेगा। जो लोग चुपचाप बैठे रहते है और कोई एंक्रोचमैंट नहीं करते जब वे यह देखेंगे कि उसके पड़ोसी ने एंक्रोचमैंट कर ली है और उस एंक्रोचमैंट को केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि उसे बने पांच साल हो गए है तो वह निरा ा होगा। इसलिए इस सं ाोधन में दस साल का पीरियड होना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिल की क्लाज 2 के द्वारा अमैंडमैंट का ताल्लुक है यह बहुत जरूरी है। इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी मैम्बर के रैजिगने ान या डैथ की वजह से कोई वैकेंसी खाली होती है तो उसको फिल–अप करने की अवधि 6 महीने से बढाकर एक साल की जा रही है। मतलब यह है कि इस अमैंडमैंट के मुताबिक 6 महीने की बजाए एक साल के अंदर इस सीट को फिल अप किया जाएगा। यह आव यक है। कई जगह नई वैकेंसी फिल अप करने के लिए गजट नोटिफिके ान होता है। उपाध्यक्ष महोदय उसमें टाईम लग जाता है। यह जो 6 महीने से एक साल की अवधि की जा रही है इसका हमें स्वागत करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय अब में धारा 200 पर कुछ कहना चाहता हूं। पहले यह बड़ी अजीब बात थी कि म्यूनिसिपल एरिया में मलेरिया उन्मूलन के लिए स्टेट गवर्नमैंट कोई रूल्ज नहीं बना सकती थी और मलेरिया उन्मूलन के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर सकती थी। स्टेट गवर्नमैंट द्वारा रूल्ज बनाने के लिए जो अमैंडमैंट की गई है यह बहुत

अच्छी बात है और इस स्कीम के तहत सरकार को काम करने में बहुत सहुलियत होगी। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

गृह मंत्री(प्रो0 सम्पत सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, इस अमैंडमैंट पर चौदह सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए है और बहुत हैल्दी डिस्क ान हुई है। मैं भी उनके जवाब हैल्दी स्पिरिट में ही देना चाहता हूं। सबसे पहले श्री रावत ने इसका समर्थन किया और इस अमैंडमैंट को सराहया। इसके बाद डा0 मंगल सैन बोले। उन्होंने भी इस बिल की सराहना की लेकिन कुछ आपत्तियां उठाई। उनका सबसे पहला एजराज यह था कि किसी मैम्बर की डैथ या रेजिगने ान की हालत में उसकी सीट को फिल अप करने की मियाद 6 महीने से एक साल क्यों की जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की इंटैं ान बिल्कुल साफ है और पब्लिक के सामने साफ हो गई है। इस असैम्बली के चुनाव होने के अढाई महीने के अंदर ही म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव करा दिए। ग्यारह म्यूनिसिपल कमेटीज रह गई थी जिनके चुनाव कराने में कोर्टस की वजह से अड़चन थीं। जैसे–जैसे वह अड़चन दूर होती जाएगी उनमें भी चुनाव करा दिए जाएंगे। जो मैम्बर्ज की सीट्स खाली हो जाती है केवल उनके चुनाव की यह बात थी। सरकार की ऐसी कोई इंटें ान नहीं है कि हम बारह महीने तक ही चुनाव को लटकाते रहेंगे, लेकिन कई व्यवहारिक व कानूनी अड़चने आ जाती है जिसके कारण ऐसा करने जा रहे है। एक दो जगहों पर ऐसा हुआ भी है। इसलिए 6

महीनों की बजाए एक साल का समय इसके लिए किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम आखिरी महीने में ही जाकर चुनाव करवाएंगे। सब तरह की फारमैलिटिज कम्पलीट होने के बाद जल्दी से जल्दी भी चुनाव करवाने की व्यवस्था की जा सकती है।

डाक्टर मंगल सैन जी ने आगे बोलते हुए कहा कि फरीदाबाद कम्पलैक्स के चुनाव भी जल्दी करवाए जाने चाहिए। में इस बारे में हाउस को यह बताना चाहता हूं कि ऐसा विचार किया जा रहा है, आया फरीदाबाद कम्पलैक्स को डिवैल्पमेंट अथोरिटी बनाया जाए या कार्पोरे ान बनाया जाए। इसके लिए जल्दी ही ऐक ान कमेटी बनाकर फैसला कर लिया जाएगा। ऐक ान कमेटी जल्दी ही बनाई जा रही है।

इससे आगे डाक्टर साहब बोलते हुए कह गए कि जब फरीदाबाद कम्पलैक्स से संबंधित काल अटैं ान मो ान पर बहस चल रही थी तो उस वक्त वहां के चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर यहां आफिसर्ज गैलरी में बैठे प्रोसीडिंगज को वाच कर रहे थे। इसबात पर उन्होंने ऐतराज किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह एक प्रथा है कि विधान सभा की गैलरीज में अधिकारीगण अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही को वाच करने के लिए यहां मौजूद होते है। यह कोई नई बात नहीं है। उस संबंधित अधिकारी की विधान सभा में मौजूदगी इसलिए जरूरी थी ताकि वह संबंधित मंत्री को सही इंफर्मे ान दे सके और वह उस इंफर्मे ान को हाउस के सामने रख सके नहीं तो यह होगा कि जैसे क्वै चन आवर में होता है कि अगर किसी मंत्री के पास कोई सूचना न हो तो वह कह देता है कि इसके लिए सैपरैट नोटिस आना चाहिए। अगर

कोई संबंधित अधिकारी डिवेट के वक्त यहां पर मौजूद होगा तो उस से सही और कम्पलीट सूचना प्राप्त करके यहां हाउस में बतायी जा सकती है। इसलिए अगर कोई आफिसर यहां पर प्रोसिडिंगज के वक्त आफिसर्ज गैलरी में हाजिर होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, डाक्टर साहब कभी कभी बोलते हुए अपना ट्रैक बदल लेते है। उन्होंने बोलते हुए यहां तक भी कह दिया कि डी.आई.जी. (सी.आई.डी.) उनका पीछा करता हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यह बिल्कुल निराधार बात है। साथ में आगे चल कर यह भी यहां पर कहा कि जो सजाएं और जुर्माना है वह बहुत ज्यादा है। यह ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ला–अबाइडिंग सिटीजन्ज है उनके लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन जो कानून को तोड़ता है उसको तो सजा अव य ही मिलेगी और मिलनी भी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने ऐंकोचमैंट की बात कह डाली कि भाहरों में सल्मज बढते जा रहे है। जहां पर रास्ता पहले 20–20 फुट के करीब था अब वहां पर वह रास्ता केवल 10–10 फुट ही रह गया है। मैं आपको रोहतक के बारे में ही बतलाता हूं। रोहतक बस स्टैंड के इई–गिर्द बुरा हाल है। जहां पर पहले 40–40 फुट का रास्ता था अब वहां पर मु कल से 15–20 फुट का ही रास्त रह गया है। रेढे वालों को गुजरना मु कल हो गया है। इस तरह से सभी जगहों का बुरा हाल है ऐसे हालात में तो सरकार को उचित पग उठाने ही होंगे।

डिप्टी स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने पुलिस के अधिकारियों का भी जिक्र किया कि पुलिस को जरूरत से ज्यादा अधिकार देना प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमें डाक्टर साहब को दाद देनी होगी कि वह रात को दो–दो तीन–तीन बजे तक बैठ कर काफी अध्ययन करते है लेकिन यहां तो कोई पुलिस का मामला नहीं है। इसी तरह से और भी सदस्यों ने कई तरह की आपत्तियां उठायी जिनका फैसला कमेटी ने नहीं बल्कि कोर्ट ने करना है। श्री रघु यादव जी ने भी रिवाड़ी म्यूनिसिपल कमेटी का जिक्र किया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वे मामले कोर्ट में है और फैसले अभी सरकार ने रिसिव करने है। रिसीव करने के बाद ही तुरंत कार्यवाही की जाएगीं।

इसी तरह से एक दो मैम्बर्ज ने कहा कि जो आफिसर्ज और एम्पलाईज मिल कर गलत काम करते और करवाते है उनको सजाए कम दी जाती है। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती। मैं यहां हाउस में बताना चाहता हूं कि इस सरकार के आने के बाद किसी को भी नहीं बख्शा गया हैं। जिस किसी ने चाहे कोई अधिकारी है या कोई कर्मचारी है कोई गलत काम किया है और पकड़ में आया है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई है। काफी लोगों को जिनमें ऐग्जैक्टिव ओफिसर म्यूनिसिपल कमेटी के सचिव और जे0ई0 वगैरह भी है। इस सरकार के आने के बाद ससपैंड किया गया है, बाकायदा उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया।

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे आनरेबल मैम्बर श्री कादयान जी ने व डाक्टर हरनाम सिंह जी ने बोलते हुए इसका समर्थन न ही किया

है। डाक्टर साहब ने इतना कह दिया कि यह डैमोक्रेसी की सरकार है, हमें सजा नहीं देनी चाहिए। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि यह कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको सजा नहीं देनी चाहिये। कानून बने हुए हैं। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे दंड अव य मिलना चाहिये।

माननीय सदस्य श्री दुर्गा दत्त अत्री ने कहा कि इस सं ाोधन के जरिए सरकार ने एंक्रोचमैंट करने वाले लोगों को एक तरह की छूट ही दे दी जिस आदमी का उस पर पांच साल का कब्जा हो चुका है उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, वह उस पर काबिज रह सकेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ऐंक्रोचमैंट चाहे कभी की भी की गई हो उसको खाली करवाने का अधिकार कमेटीको होना चाहिए। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने तो इस सं ाोधन के जरिए पहले इसके लिए जो तीन साल का समय रखा हुआ था उसको पांच साल किया है। अब यदि किसी आदमी का किसी जगह पर पांच साल पहले एंक्रोचमैंट की हुई है उनको नहीं गिराया जाएगा उनको रैगुलर कर दिया जाएगा। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर कही पर गवर्नमैंट कीईमारत में भी अनअथोराईज्ड कंस्ट्रक ान की हुई हो तो उसको भी गिराया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी आदमी ने अपनी जगह की लिमिट से आगे कोई चीज बना ली है तो उसको भी बकायदा गिराया जा सकता है। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह चौधरी ने जोकि फतेहाबाद हल्के से है एक बात

कही कि फतेहाबाद में अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर कुछ ऐंकोचमैंट हुई है। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर म्यूनिसिपल कमेटी ने एक प्लाट नीलाम किया था, उस पर अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने वह प्लाट मौके पर जा कर देखा भी है और मैंन उस पर कंस्ट्रक ान के लिए मना भी किया था। लेकिन अब फिर माननीय सदस्य ने कहा है कि उस प्लाट पर फिर कंस्ट्रक ान भुरू कर दी गई है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं फतेहाबाद के फलड इफैक्टिड एरिया को देखने के लिए जाउंगा, अगर उस प्लाट पर अब भी कंस्ट्रक ान जारी है तो उसको बंद करवा दिया जाएगा।

डिप्टी स्पीक साहब, श्री हीरा नंद आर्य ने गुडगांव में कोई ड्रीम सिटी बनाने के बारे में एक बात कही कि वहां पर दो मंजिले मकान बना लिए गए है और वह सारी अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान की गई है। जिस आदमी ने वे मकान बनाए है उसने एक एक फलैट 10–10 लाख रूपए में बेचा है और उन मकानों की कमेटी से कोई मंजूरी नहीं ली गई। मैं माननीय सदस्य श्री हीरा नंद आर्य को बताना चाहूंगा कि जब म्यूनिसिपल कमेटी ने उन मकानेां को गिराने की कोि ा ा की, उससे पहले ही वह आदमी हाई कोर्ट से स्टे ले आया था। अब म्यूयनिसिपल कमेटी स्टे वैकेट करवाने के लिए सुप्रिम कोर्ट में जा रही है ताकि वह अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक ान खत्म की जा सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब श्री कुंदन लाल भाटिया ने फरीदाबाद के चिल्ड्रन पार्क की बात कही। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उस पार्क का कोई नक ाा पास नहीं हुआ हैं। उन्होंने एक बात यह भी कही कि उनक खुद का लड़का और उसके साथ 15 लड़कें आज भी रोहतक जेल में बंद है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कानून सब के लिए बराबर होता है। चाहे कोई एम0एल0ए0 का लड़का हो चाहे एम0एल0ए0 खुद हो और चाहे कोई मिनिस्टर हों। उस बारे में बकायदा एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और जिन–जिन लोगों को दोशी पाया गया उनको अरैस्ट किया गया था। इस सरकार के लिए सभी लोग बराबर है चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो।

मास्टर ि ाव प्रसाद ने बहुत अच्छे सुझाव दिए है। इन्होंने बोलते हुए कहा कि भाहरों और बड़े–बड़े नगरों में स्लम बहुत ज्यादा है। खास करके इन्होंने अम्बाला भाहर की स्लम की प्रोब्लम के बारे में जिक किया। मैं अपने माननीय सदस्य का बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदे ा दिए है कि एक स्लम क्लीयरैंस बोर्ड बनाया जाए जिससे स्लम की प्रोब्लम को हल किया जा सके। सरकार इस बात को एग्जामिन कर रही है जल्दी ही कोई फैसला होने की सम्भावना है।

माननीय सदस्य डाक्टर बृज मोहन गुप्ता ने जो सुझाव दिए है उन पर पूरा गौर किया जाएगा। माननीय सदस्य लछमन दास बजाज ने हाउस टैक्स और वाटर चार्जिज के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि

हाउस टैक्स और वाटर चार्जिज लोग जमा नहीं करवाते है। अगर उन लोगों को पैसा जमा करवाने के लिए नोटिस भी दिए जाते है तो भी वे पैसा देने के लिए तैयार नहीं है और उनके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर सकती है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अब तो हमने यह भी कर दिया है कि जिस आदमी के खिलाफ कमेटी का दस हजार रूपए से ज्यादा एरियर बकाया पड़ा है और वह आदमी जमा नहीं करवाता है तो उसे एज एरियरर ऑफ लैंड रेवेन्यू वसूल किया जाएगा। ऐसी पावर हमने कमेटी को दे दी है। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration atonce.

That the motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House will consider the Bill clause. by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part fo the Bill.

The motion was carried.

Clause

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 4 stand part fo the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 5 stand part fo the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 6 stand part fo the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 7 stand part fo the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part fo the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minsiter will move that the Bill be pleased.

गृह मंत्री(प्रो0 सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय एक महत्वपूर्ण सवाल उठाने जा रहा हूं। आज चंडीगगढ से प्रकाि ात एक दैनिक में छपा है कि जिस तरह केंद्रीय सरकार ने गुप्तचरों की मार्फत साजि ा करके कर्नाटक के मुख्य मंत्री को चलता किया है उसी तरह से हरियाणा की बहुमत वाली चौधरी देवी लाल की सरकार को भी केंद्रीय सरकार चलता करने की साजि ा रच रही है। इसलिए इस मामले पर गौर किया जाए और सरकार आज ही इस बारे में स्थिति को स्पश्ट करे।

श्री उपाध्यक्षः अगर आप इस बारे में कुछ लिख कर देंगे तब उस पर गौर किया जाएगा। This is not the way.

Shri Raghu Yadav: If you want in writing, I will give it.

Mr. Deputy Speaker: All righth, but at this stage you cannot disturb the proceedings like this.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–

(1) वर्श 1986–87 के लिए हरियाणा वेयर हाउसिंग कार्पोरे ान की 20वीं वार्शिक रिपोर्ट।

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, I have received notice of a motion under Rule 84 from Sarvshir Mangal Sein, Shiv Parshad, Bhag Mal, Rattan Lal Kataria, Devi Dass, Yogesh Sharma, Kundan Lal Bhatia, Lachhman Dass, Jai Narain khundia and Kailash Chand Sharma, M.L.As. regarding discussion on the 20th

Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1986-87, which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988.

श्री भाग मलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि वर्श 1986–87 के लिए भांडागारण निगम की 20वी वार्शिक रिपोर्ट, जोकि 22 अगस्त, 1988 को सदन की मेज पर रखी गई थीं, पर चर्चा की जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the 20th Annual Report of the Haryana Wareshousing Corporation for the year 1986-87, which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1987, be discussed.

श्री भागमल(सढौरा, अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वेयर हाउसिंग कार्पोरे ान की जो 20वीं रिपोर्ट पे ा की गई है उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह रिपोर्ट आपके सामने भी है और मेरे पास भी है। इस बारे में सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट को देखने से पता नहीं लग पाता कि कार्पोरे ान के स्टाफ की क्या पोजी ान है। इसमें देखने से कहीं पर भी यह पता नहीं चल पाता कि इसमें कितना स्टाफ है, इसमें रिक्रूटमैंट का क्या प्रोसिजर है और ि ाडयूल्ड कास्टस या हैंडिकैप्ड कर्मचारियों की क्या स्थिति है। आया इनका कोटा पूरा है या नहीं। इस बारे में मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि यह सारी सूचना हूं दी जाए ताकि हमें पता चल सके कि इसमें

स्टाफ की क्या पोजी ान है। यानी कितने लोग रखे हुए है और रिजर्वे ान में कितना भाार्टफाल है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं इस रिपोर्ट के पेज 14 पर दी गई औडिटर्ज रिपोर्ट पैरा नं01 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पैरा में लिखा है–

"Specific reserves have not been invested separately except Rs. 25,000/- deposited in the Bank for oepning a separate account under self-indemnification scheme during the year 1977-78".

इसके बारे में भी कोई स्पैसिफिक रीजन नहीं बताया गया है। 25 हजार रूपये का तो बैंक में अलग से अकांउट खोल लिया गया लेकिन बाकी रा ि ा को न तो जमा करवाया गया और न ही इसका कोई सैपरेट अकाउंट कहीं पर खुलवाया। इस बारे में भी मैं जानकारी चाहूंगा कि इस पैसे का क्या हुआ।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी पेज के पैरा 2 में जो लिखा है वह पढ कर सुनाना चाहूंगा। इसमें लिखा है–

"The Corporation has changed the policy of payment of Gratuity and has switched over to Haryana Govt. Rules. For the same an adhoc provision of Rs. 30 lacs has been made in accounts for the year."

इसके बारे में भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह कर्मचारियो की ग्रैच्यूटी का तीस लाख रूपया पिछले सालों को कवर करता है या इस चालू साल को कवर करता है?

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी रिपोर्ट के इसी पेज के पैरा नं03 की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पैरा में लिखा है–

"The Accounts of the Corporation include the Balance of Employees' Provident Fund Account and accordingly shown in final accounts. A separate set of books of accounts should be maintained as per terms of Regulation 4 read with Regulation 6 of Haryana Warehousing Corporation Employees' Provident Fund Regulation, 1971."

ये सैपरेट बुक्स अब तक क्यों नहीं रखी गई, इसके बारे में सरकार बताए तथा यह आ वासन दे कि भविश्य में सैपरेट बुक्स रखी जाएगी ताकि चैकिंग करते समय कोई कठिनाई न आए।

Then, Mr. Deputy Speaker, para 4 says-

"The employees provident fund has not been deposited in time."

यह भी गवर्नमैंट देखे और बताए कि प्रौविडैंट फंड का जो प्रोविजन है उसके मुताबिक एम्पलाईज के प्रोविडैंट फंड में टाईम पर पैसा जमा क्यों नहीं किया गया? पैरा नं08 में ऐडवांस टू स्टाफ 5,93,095/– रूपये दिया गया है जब कि प्रोविजन 5,67,766/– रूपये

का है। इस के बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि इसमें ऐक्स्ट्रा पेमैंट किन कारणों से की गई है। क्योंकि उनकी नैसेस्टी को देखते हुए उन्हें मैक्सीमम दिया गया था। फिर भी उससे ज्यादा पेमैंट की गई। ऐसे ही पैरा–10 में क्लीयर कट लिखा हुआ है–

"Depreciation on warehouse buildings has been charged @ 2.5% instead of 5% as provided by the Income Tax Act, 1961."

हम इसमें यह जानना चाहेंगे कि यह 5 प्रति ात की बजाय अढाई प्रति ात क्यों चार्ज किया गया है? इसमें किस की कमी है और सरकार ने क्या ऐक ान लिया है? ऐसे ही पेज नं0 37 की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसपेज पर पैरा नं0 1 में लिखा है–

".....Matching contribution of Rs. 43 lacs (icluding 13 lacs for the previous year and 30 lacs for the current year) from Central Warehousing Corporation is still to be received....."

इसमें सरकार ने अब तक क्या किया है? क्या यह रा ि ा रिसीव हो चुकी है या उस को रिसीव करने में कोई डिफिकल्टी है? गवर्नमैंट कहती रहती है कि हमारे पास फंडज की कमी रहती है। हमारी कार्पोरे ान घाटे में चलती है। सरकार यह बताए कि क्या यह रा ि ा ले ली गई है यदि नहीं तो इसको जल्दी से जल्दी लिया जाना चाहिए।

Para No.2 says-

"The amounts under specific reserves namely Self Indemnification, Staff Gratuity and Floater fidelity have not been

invested separately due to tight financial position of the Corporation except Rs. 25,000/- deposited in the bank.....

यह बात तो पहले भी आ चुकी है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार कोि ा ा करे और देखें कि इस केस में यदि कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए।

पैरा नम्बर–9 में इसी पेज पर लिखा है–

"A sum of Rs. 2,00,000 was paid during the year 1983-84 tothe Administrator, New Mandi Township, Haryana as advance for the purchase of land at Dharsul.

वर्श 1983–84 में धारसूल में वेयर हाउस की कंस्ट्रक ान कम्पलीट हो चुकी है लेकिन उसकी लैंड की फाइनल प्राईस अभी तक नहीं आंकी गई है। इसे कम्पलीट हुए काफी समय हो चुका है। इसे तो अब तक फाईनेलाईज हो जाना चाहिए था। इस पर सरकार को अपनी पोजी ान स्पश्ट करनी चाहिए।

आगे पैरा नं0–12 में लिखा है।–

"In case of godowns completed during the year a sum ofRs. 25,44,564/- has been provided and capitalised on estimated basis due to non finalisation of the construction bills."

ये कंस्ट्रक ान बिल कब फाईनेलाईज होंगे, इस बारे में सरकार अपना स्पश्टीकरण दें।

ऐसे ही पैरा नं0–14 में लिखा है–

" As sum of Rs. 34,750/- has been paid during the year 1983-84 to M/s Standard Services, Chandigarh on account of repairs of van on the order of Distt. Courts, Chandigarh. The appeal is pending in High Court."

यह जो अपील हाईकोर्ट में पैंडिंग पड़ी है, सरकार उसको तब तक डिसाईड करवाएगी? इसके साथ ही साथ सरकार की तवज्जु इस ओर भी मैं दिलाना चाहूंगा कि वेयर हाउसिंग कार्पोरे ान से लोगों को बड़ा फायदा है। यह कार्पोरे ान ग्रेनरी पर बेसड है और जब अनाज बहुत ज्यादा होता है तो इसमें फार्मर्ज को भी सुविधा होती है। लेकिन कुछ केसिज अम्बाला के ऐसे भी देखने में आए है जिनके बारे में बड़ी भारी कम्पलेंट है। जिन लोगों ने स्टोर में माल जमा करवाया था उनकी कोमोडिटी ही चेंज कर दी गई। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी ि ाकायतें आई है कि अच्छी चीज को अधिकारियों और कर्मचारियों ने बदल दिया और घटिया किस्म की चीज उनको दी गई। इस किस्म की कम्पलेंटस पर गवर्नमैंट गौर करें। अगर किसान अपना सामान स्टोर करता है और उसमें यदि कोई हेराफेरी होती है तो इसमें गवर्नमैंट का भी नुकसन होता है और बदनामी भी होती है। कुछ केसिज ऐसे भी नोटिस में आए है कि किसान जो अनाज रखते है उसमें से घट जाता है। छोटे कर्मचारी ऐसा करते है इसलिए अधिकारियों को चाहिए कि उन्हें खींचा जाए। वहां पर एक–एक बोरी में थोड़ा–थोड़ा अनाज निकाल कर बेच देते है। ये भी ि ाकायतें मिली है कि वहां पर ग्रेन खराब हो जाता है जैसे चूहें खा गए या पैस्टिसाइड ठीक नहीं रखी

गई। इसमें गवर्नमैंट की डयूटी बनती है कि इन बातों की तरफ ध्यान रखे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

मैं एक प्रार्थना और भी करूंगा कि जहां पर वेयर हाउसिंग कार्पोरे ान अपने स्टोर बना रही है, अगर गवर्नमैंट चाहे तो दूसरे लोगों को लोन की फैसिलीटीज दिला कर सबसीडाइज्ड रेट पर स्टोर की बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे सकती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाल्व किया जाए ताकि आम लोगों को फायदा हो सके। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हू। धन्यवाद।

कृशि मंत्री(श्री तैयब हुसैन): मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब मुअजिज मैम्बर ने जो सुझाव दिए है वे सारे मैंने नोट कर लिए है। मैम्बर साहब ने बोलते हुए अपनी तकरीर में भाायद कमियों की बात कम कही और हमारी कार्पोरे ान की तारीफ की बातें अधिक कहीं है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पिछले साल ड्राउट होने के बावजूद भी हमारी कार्पोरे ान में इस साल चार करोड़ रूपए से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ है। पिछले साल 5.59 करोड़ रूपए का मुनाफा हुआ था। हर किस्म की सुविधा देने के बारे में मुअजिज मैम्बर की बातों को मैंने ध्यान से सुना है और उन पर पूरी तरह से तवज्जुह देने की कोि ा ा की जाएगी। जो मिडल मैन मुनाफा खाता था वह अब नहीं खा सकेगा क्योंकि अब किसान हमारे याहां अपनी फसल जमा करके ज्यादा भाव पर बेच सकते है। इस बात को हम बढाने की कोि ा ा कर रहे है। जब से एफ0सी0आई0 की मूवमैंट तेज हुई है और जब से इस सिस्टम को अडौप्ट किया गया है मिडल मैन को बीच में से निकालने का प्रयास

किया जा रहा है। यह कार्पोरे ान पार्लियामैंट ऐक्ट के तहत बनी है। इसलिए मैं मैम्बर साहब से अर्ज करूंगा कि उसकी रिपोर्ट में पूरे स्टाफ का ब्यौरा या नाम नहीं होते है। हमने बाकायदा कार्पोरे ान की रिपोर्ट पार्लियामेंट ऐक्ट के तहत दे दी है। अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि इसमें कितने ि ाड्यूलड कास्टस है और कितने दूसरे है उन्हें यह इंफर्मे ान भी दे दी जाएगी जो कमी होगी उसे देख लेंगे और उस पर गौर करेंगे।

श्री भाग मलः डिप्टी स्पीकर साहब, जो कमी थी उसके बारे में मैंने सदन में बता दिया है। मंत्री जी उस बारे में इंफर्मे ान दे दें।

श्री तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पास यह रिपोर्ट है। इसलिए फौर तौर पर यह इंफर्मे ान नहीं दी जा सकती। यह ऐनुअल रिपोर्ट है जो पार्लियामैंट ऐक्ट के तहत दी जाती है इसमें इस तरह का ब्रेकअप नहीं होता है। अगर माननीय सदस्य पहले बता देते तो हम इनको फौरी तौर पर इस बारे में इंफर्मे ान दे देते। हमारे आफिसर्ज एम0डी0 साहब और एफ0सी0आर0 आदि गैलरी में बैठे हुए है। अगर उनके पास यह इंफर्मे ान होती तो वे दे देते। इसे ऑफ हैंड नहीं दे सकते। इसलिए माननीय सदस्य जो भी इंफर्मे ान चाहते है वह दे दी जायेगी। किसी भी समय वे मेरे पास आ सकते है या मेरे दफतर से पूछ लें, चिट्ठी से पूछ लें या पत्र व्यवहार कर लें। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात उन्होंने कही कि कोई सामान बदल दिया जाता है। ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में नहीं है कि कोई इस तरह से सामान बदल दिया गया हो कि किसी ने जमा तो कुछ

कराया था औरे उसे कुछ और ही दे दिया गया। अगर मेरे मुअजिज मैम्बर कोई स्पैसिफिक बात हमारे नोटिस में लायेंगे तो उसको जरूर देखेंगे और उस पर जो उचित कार्यवाही होगी वह जरूर करेंगे। (व्यवधान व भाोर)

श्री भाग मल: आप अपने अधिकारियों से पूछ लें।

श्री तैयब हुसैनः अगर आपके नोटिस में कोई ऐसी बात हो तो आप बता दें हम देख लेंगे। हमने तो ये सारी सुविधाये दी है। जहां तक कर्जे की सहुलियत की बात का ताल्लुक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा करने की बात जरूर है। एक बात मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। हमारी दूसरे बैंकों से भी बात चल रही है। कोआप्रेटिव बैंक से भी हमें यह फैसिलिटी मिलने जा रही है। हमें उम्मीद है यह हमें जल्दी ही मिल जायेगी। हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी यहां पर बैठे हुए है। वे भी हमारी इस बारे में मदद कर रहे है। जहां पर भी हमारी फाईनैंसिज की बात आती है, वे हमे ाा मदद करते है। आगे भी जब हमें जरूरत पड़ेगी वे मदद करेगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से भी हम यह फैसिलिटी देने जा रहे है। अगर किसी किसान की बेटी की भाादी है और उसको फौरी तौर पर पैसा चाहिए तो उसे पांच से दस हजार रूपये तक बोर्ड दे देगा ऐसा इसलिये किया जा रहा है ताकि वे डिस्ट्रैस सेल से बच सकें। वे मजबूरी में सस्ते दामों पर अपनी फसल न बेचे, वे फसल जमा करा दें और पैसा ले जाये, इस तरह का इंतजाम मार्किटिंग बोर्ड में भी हमने इस साल से कर दिया है। ये सारी चीजे जो करने की बात है,

वह हम करने जा रहे है। यही एक ऐसी कार्पोरे ान है जिसमें हमने सात परसैंट डिवीडैंड भी दिया है। मैम्बर साहब ने जो बाते पैराज के बारे में कहीं है, उनका जवाब मैं पढ देता हूं। पेज 14 पर स्पैसिफिक रिजर्वज के बारे में ऐतराज रेज किया गया था, उसके बारे में मैं जवाब पढ देता हूं। Specific reserves have been created on account of self-indemnification scheme, floater fidelity guarantee scheme and staff gratuity scheme. The amount credited to these specific funds have, however, not been ivested in separate bank accounts. The entire money is being utilized by the Corporation for construction of buildings. In case the amount of specific reserves in invested separately in the shape of fixed deposits then the Corporation will earn 10% interest only whereas we have to pay interest @ 12.50% per annum on the term loan taken for the construction of warehouses. This way the Corporation is saving 2.50% interest. Further the liabilities under the specific reserves are very negligible which are met by the Corporation from the current revenues.

अब मैं आपको पैरा 2 के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इसके जवाब में यह है कि–

the Corporation has switched over to Haryana Governmentg gratuity rules as these are more favourable to the employees and cover all categories of employees. इस कार्पोरे ान के ये रूल्ज फाइनेलाईज हो रहे है। फाइनैंस डिपार्टमैंट से आ गये है। इसमें ऐम्पलाईज को रिवाइज्ड पे–स्केल भी दिये जा रहे है क्योंकि वे फाइनैंस डिपार्टमैंट से क्लीयर हो चुके है। आपको यह जानकर खु ाी होगी। (व्यवधान व भाोर).....

श्री हीरा नंद आर्य: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर! यह रिपोर्ट तो सभी माननीय सदस्यों ने पढ रखी है। इसके अलावा, इनके पास और कोई बात हो तो बता दें।

श्री तैयब हुसैन: डिप्टी स्पीकर साहब, भाायद माननीय सदस्य मेरी बात को समझे नहीं। मैं रिपोर्ट नहीं पढ रहा हूं। जो उन्होंने स्पैसिफिक प्वायंट रेज किये थे, मैं उनका जवाब पढ रहा हू।

श्री उपाध्यक्ष: आप इंगलि ा में पढ रहे है।

श्री तैयब हुसैन: सर वे इंगलि ा समझते है। अगर आप चाहते है और समझते है कि ऐसा ठीक रहेगा तो मैं आपको पेज 37 के बारे में और पेज 14 के बारे में लिख कर भेज दूंगा। अगर माननीय सदस्य यह चाहते है तो मैं उनको जवाब लिखकर भेज दूंगा क्योंकि मेरे पास सारी चीज मौजूद है। मैं तो इसकी एक–एक बात जानता हूं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)। जो स्पैसिफिक बाते उन्होंने कहीं है, उनका जवाब लिखकर भेज दूंगा। जो भी कोई सुझाव आप देना चाहें, हम उसका स्वागत करते है। इस बारे में जितना हमसे हो सकता है, हम अपने तरफ से करने जा रहे है और भविश्य में भी करने की कोि ा ा करेंगे, इस बात का मैं आपके जरिये इस हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं धन्यवाद।

(2) वर्श 1986–87 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की 13वीं वार्शिक रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received notice of a motion under Rule 84 from Sarvshri Mangal Sein, Shiv Parshad, Rattan Lal Kataria, Devi Dass, Bhag Mal, Yogesh Chand Sharma, Kundan Lal Bhatia, Lachhaman Dass, Jai Narain Khundia, Kailash Chand Sharma, and Hira Nand Arya, M.L.As. regarding discussion on the 13th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd. for the year 1986-87, which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988.

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि वर्श 1986–87 के लिए हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की 13वीं वार्शिक रिपोर्ट जोकि 22 अगस्त, 1988 को सदन की मेज पर रखी गई थी, पर चर्चा की जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the 13th Annual Report of the Haryana Seeds Development Corporation Ltd., for the year 1986-87, which laid on the Table of the House on 22nd August, 1988, be discussed.

श्री हीरा नंद आर्य(लोहारू): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते है कि बीज विकास निगम का निर्माण मूल रूप से इस भावना से किया गया था कि किसानों को अच्छा बीज मिल सकें और ठीक भाव पर मिल सके। हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदे ा है और हरित कान्ति लाने के लिए अच्छे बीज का प्रबंध किसानों के लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा में बीज विकास निगम एक सील ऐजेंसी है जोकि अच्छे बीज का प्रबंध करती है। 1986–87 की अंग्रेजी व र्ान वाली रिपोर्ट के पेज पांच के मुताबिक निगम लगातार घाटे में जा रही है। 1985–86 में

131.62 लाख रूपए का घाटा रहा और 1986–87 में 129.86 लाख रूपए का घाटा बीज विकास निगम को रहा। इस घाटे के मूल रूप से दो कारण बताए है। एक कारण तो यह बताया है कि गेंहू का जो बीज था वह ठीक प्रकार से नहीं रखा गया और दूसरी कपास और बाजरे का बीज बेचा नहीं गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 57 हजार क्विंटल गेहूं का बीज था और उसमें से 17 हइजार क्विंटल बीज अनाज के तौर पर मार्किट में उनहोंने कम कीमत पर बेचा और काफी सारा बीज खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, यह देखने वाली बात है कि बीज खराब कैसे हो गया? उसको ठीक प्रकार से क्यों नहीं रखा गया? स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जिस वर्श यह बीज बांटा जा रहा था उस वर्श किसान को अच्छा बीज नहीं मिल रहा था। यह 141 नम्बर बीज था जो मिल नहीं रहा था। स्पीकर साहब, होता यह है कि जब बीज की जरूरत ज्यादा होती है और बीत की कीमत बाजार में ज्यादा होती है, उस वक्त बीज विकास निगम उस बीज को अपने सैल्ज मैंन के थ्रू बेचने की बजाए प्राईवेट डीलर के थ्रू बेचती है। प्राईवेट डीलर उसको फिक्सड कीमत पर बेचने की बजाए ब्लैक में बेचते है। इस तरह से वे कितना रूपया कमाते है यह वे जानते है या भगवान जानता है। गजब की बात यह कि बीज निगम द्वारा 212 रूपये प्रति क्विंटल गेहूं का बीज बाहर से खरीदा गया और किसानों को चार महीने के बाद 385 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच दिया गया। (13.00बजे) इस तरह से प्रति क्विंटल 173 रूपये का लाभ बीज निगम ने किसानों से कमाया। इतने मार्जन से निगत प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ उठाये और फिर बीज निगम में घाटा हो। यह कितनी अफसोस की बात है। इससे

साबित होता है कि जरूर कहीं न कहीं दाल में काला है, कुप्रबंध है। इस ओर सरकारको जरा ध्यान से और बारीकी से सोचना होगा। इतना ज्यादा मुनाफा तो भाायद एक दुकानदार भी नहीं कमाता होगा किसान के बीज के लिये, उसकी बहबूदी के लिये यह जरूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दें। इसके साथ–साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि गेहूं के बीज के थैलों पर उपचारित (ट्रीटिड) बीज लिखा होता है जबकि एच0ए0यू0 व कृशि विभाग की सिफारि ाों के अनुसार गेहूं के बीज का उपचार केवल विटाविक्स या बेविस्टीन नामक फफूंदी ना ाक दवा से ही किया जाना चाहिये, जोकि नहीं किया जाता ऐसा करने से बीज खराब हो जाता है और करोड़ों रूपये का नुक्सान हो जाता है। इसी तरह से सरसों, चनें, कपास, अरहर आदि के बीजो ंपर भी अस्सी प्रति ात से सौ प्रति ात तक का मार्जन बीज निगम ले रही है परन्तु अपने मिस मैनेजमैंट तथा इसके आला अफसरों के ऐ ाो आराम पर खर्च के कारण घाटा चल रहा है। अध्यक्ष महोदय इस रिपोर्ट के पेज 6 पर हानि के मुख्य कारण दिये है। 1986–87 वर्श के अंत में 57 हजार क्विंटल गेहूं का बीज भोश रह गया हैं। वर्श 1986–87 में गेहूं की 147 वैरायटी की भारी कमी रही और किसानों को बीज नहीं मिला। इसका मतलब निगम किसानों की जरूरत व पसंद के मुताबिक बीज उत्पादन नहीं कर रही। इसी तरह से कपास को एसिड डिलिट करने पर 1536 क्विंटल बीज में से 670 क्विंटल बीज खराब हो गया। इसकी जर्मीने ान पावर खत्म हो गयी और इस तरह एसिड डिलिटिड बीज दूसरे साल भी लगातार खराब हुआ है। इससे निगम को तो चार–पाचं लाख रूपये की हानि हुई है परन्तु किसानों को जो बीज बेचा गया

उससे किसानों को भी करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है। इसका आप अंदाजा लगा सकते है। इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेवार है, इस बात का पता लगाना चाहिये। लेकिन सरकार इन सभी बातों को बड़ी लाईटली ले रही है। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि एसिड डिलिटिंग प्लाट कोआपरेट करने के लिये एक उच्च अधिकारी को विदे ाों में प्र ि ाक्षण दिलाया गय जिस पर निगम का लाखों रूपया खर्च हुआ परंतु उस अधिकारी का अपना हैड–क्वार्टर चंडीगढ में है और वह प्लांट हिसार में है। इसी तरह से बाजरे के बीज के बारे में भी कहना चाहूंगा कि यह बीज ज्यादातर सिनथेटिक वैरायटी का है जिसकी किसानों में कम पैदावार होने के कारण डिमांड कम है। इसी बीज को इस साल धोखे से बेचा गया है। सी4 और डब्ल्यू0एल–75 वैरायटीज को हाइब्रिड कहकर बेचा गया है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात हिसार प्लांट के बारे में मैं और कहना चाहता हूं। उस प्लांट के उच्च अधिकारी का कार्यालय चंडीगढ में होने के कारण वह प्लांट ठीक तरीके से काम नहीं कर सका, जिस के कारण से करोड़ों रूपये का बीज खराब हो गया और गरीब किसानों को नुकसान हुआ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उस अधिकारी को फौरन ही वहां से बदल दिया जाए और उसके खिलाफ ऐक ान भी लिया जाए। (घंटी)

इसी तरह से प्रोसैसिंग प्लांट, पलवल भिवानी और टोहाना बंद करने बारे रिपोर्ट में लिखा गया है। इससे निगम की प्रोसैसिंग कैपेसिटी एक लाख क्विंटल घट गई जबकि निगम की कैपेसिटी बढ़ानी

चाहिए थी। इन सभी मेरे सुझावों पर सरकार को बारीकी से विचार करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय बातें तो और भी कहने वाली बहुत थी, लेकिन आपके आदे ाानुसार मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

कृशि मंत्री(श्री तैयब हुसैन): माहतरिम स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो सुझाव हमारे मैम्बर साहब ने दिए हम उन्हें गौर से देंखेंगे। असल में जो सीफ कार्पोरे ान है यह नफा कमाने के लिए नहीं है बल्कि किसानों की मदद करने के लिए है। अगर हम बीज न रखें तो ि ाकायत होगी कि हमने क्यों नहीं रखा। अगर रखते है और वह बिक जाता है तो बीज की बजाय आम भाव में बिकता है। हिसार के कौटन मिल के बारे में हम देख रहे है, उस में लगातार घाटा चल रहा है। उसके बारे में सोचा जा रहा है कि क्या किया जाए। असल में बात यह हुई कि गवर्नमैंट आफ इंडिया अपने वायदे से बैंक आउट कर गई, ज्यादा घाटा उस वजह से है। हमने उनके कहने पर ज्यादा प्रोसैसिंग प्लांटस लगा लिए। उन्होंने 1983–84 में एक तरफा फैसला करके हमसे जो सीड प्रोसैस करवान था, उसे रोक लिया। नतीजे के तौरपर हमारे प्रोसैसिंग प्लांट आइडल हो गए। इसलिए इस घाटे के लिए केंद्रीय सरकार ज्यादा जिम्मेदार है जिसने हमको एक डैफिनिट अंडर स्टैंडिंग देकर प्लांट लगवाएं थे। हम बार–बार उनको चिट्ठियां लिख रहे है। इस वक्त श्री भजन लाल जी वहां मौजूद हद्यै उनके जमाने में ही यह फैसिलिटी विदड्र हुई थी। अब वे सैंटर में है वे भी कुछ कर नही पाए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही कहूंगा

कि जब पिछले साल उन्हें बीज नहीं मिला तो उन्होंने हमें बिहार और जम्मू क मीर से बात करने के लिए कहा। जहां तक घाटे का ताल्लुक है, हम लगातार कोि ा ा कर रहे है कि यह कम हो। पिछले साल जहां हमारा घाटा 1 करोड़ 29 लाख रूपये था, वहां इस साल चौधरी देवीलाल जी के भ्रश्टाचार बंद करने के प्रोग्राम की वजह से वह 75 लाख रूपये रह गया है। हमारी कोि ा ा है कि आगे के लिए इसे और कम करें। इस बारे में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जो हमारे एफ0सी0 के नाम चिट्ठी लिखी है उसकी आखिरी लाईन पढ कर मैं आपको सुनाता हूं। उन्हौंने लिखा है–

"May I request to you to convey Govt. of India's appreciation to Shri O.P. Taneja and the concerned officers and the staff of the Haryana State Seeds Development Corporation."

यह गवर्नमैंट आफ इंडिया का खत है जो वहां के सैक्रेटरी ने लिखा था। हम भी उनको लगातार लिख रहे है। ऐसी बात नहीं है कि हमने कोि ा ा नहीं की लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि घाटे की बुनियादी वजह यही रही है कि केंद्रीय सरकार अपनी बात से हट गई। हमारे प्लांट आइडल खड़े रहे और उनको ओवर हैड खर्च हमारे ऊपर पड़ रहा है। बाकी जो सीड कार्पोरे ान ने सेवा की है वह आपके सामने ही है। 1984–85 के बाद जो घाटा हुआ है उसकी मूल वजह यही है। जो मैम्बर साहब ने हमारी तवज्जुह दिलाई है उसकी तरफ जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद।

(3) 31.3.1985 को समाप्त हुए वर्श के लिए हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्ति ाल्प निगम लिमिटेड की 9वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखें

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received notice of a motion under Rule 84 from Sarvshri Mangal Sein, Shiv Parshad, Rattan Lal Kataria, Devi Dass, Bhag Mal, Yogesh Chand Sharma, Kundan Lal Bhatia, Lachhaman Dass, Jai Narain Khundia, Kailash Chand Sharma, and Hira Nand Arya, M.L.As. regarding discussion on the 9th Annual Report and Accounts of the Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Limited for the Year ending 31.3.1985, which was laid on the Table of the House on 22nd August 1988.

(No. member rose to speak)

Mr. Speaker: The motion is not moved.

(4) वर्श 1985–86 के लिए हरियाणा डेरी विकास निगम लिमिटिड की वार्शिक रिर्पोट तथा लेखे।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received notice of a motion under Rule 84 from Sarvshri Mangal Sein, Shiv Parshad, Rattan Lal Kataria, Devi Dass, Bhag Mal, Yogesh Chand Sharma, Kundan Lal Bhatia, Lachhaman Dass, Jai Narain Khundia, Kailash Chand Sharma, and Hira Nand Arya, M.L.As. regarding discussion on the Annual Report and Accounts for theyear 1985-86 of the Haryana Dairy Development Corporation Ltd. which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988. अब डाक्टर मंगल सैन एम0एल0ए0 अपना मो ान मूव करेंगे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि वर्श 1985–86 के लिए हरियाणा डेरी विकास निगम लिमिटेड की वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखें जोकि 22 अगस्त 1988 को सदन की मेज पर रखे गए थे पर चर्चा की जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the annual Report and Accounts for the year 1985-86 of the Haryana Dairy Development Corporation Ltd. which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988 be discussed.

श्री मंगल सैन(रोहतक): स्पीकर साहब, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार ने और बाद में कांग्रेस की सरकारों ने एक नकल कीऔर सो ालिज्म का एक फै ान बना लिया और कहा कि हम बड़े–बड़े उद्योग लगांएगे और उनके लिए अंडरटेकिंग बनाई जाएगी जो आम तौर पर फेल हो गई। हर साल उनको घाटा हो रहा है, पब्लिक सैक्टर में घाटा हो रहा है और प्राईवेट सैक्टर में लोग कामयाब हो रहे है। स्पीकर साहब, अगर मैं गलती नहीं करता आप कभी कभी पेहवा जाते होंगे और आपने रास्तें में देखा होगा कि वहां पर एक मधु घी की फैक्ट्री लगी है। उस फैक्ट्री को एक रिटायर्ड आई0ए0एस0 आफिसर ने लगाया है और वह उसकी ऐजेंसी बड़े–बड़े आदमियों की सिफारि ाों पर देता है। सिरसा का एक साथी मुझे मिला था। वह कहने लगाा कि ऐमरजैंसी में मुझे मधु घी कीऐजैंसी मिली थी और अब मेरे से वापिस ले ली, किसी और आदमी को दे दी। उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि भाई जब सरकार बदलती है तो

हमारा मूड भी बदल जाता है। स्पीकर साहब जिन लोगों ने प्राईवेट सैक्टर में अपने प्रतिश्ठान स्थापित किए हुए है वे तो कामयाब है लेकिन पब्लिक सैक्टर में लगातार घाटा हो रहा है, जिसमें अरबों रूपया लगा हुआ है लेकिन वहां कोई कामयाब नहीं है। डेरी डिवैल्पमैंट में घाटा हो रहा है। जिस साल इसका औडिट हुआ यानि 1985–86 की औडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि डेरी डिवैल्पमैंट कार्पोरे ान में 540 लाख रूपये का घाटा है। स्पीकर साहब, सारे प्रदे ाों में हरियाणा प्रदे ा जाना जाता है कि प्रदे ाों में प्रदे ा हरियाणा जहां पर दूध दही का खाना। इस समय जो हरियाणा प्रदे ा का खाना पीना है उसमें बदलाव आया हुआ है। यह तो फौज में जो लोग हो कर आए या जो लोग पि चमी पंजाब से आए, उन लोगों को हरियाणा के खाने पीने के स्वभाव में बदलाव आया है और अब हरियाणा प्रदे ा के लोग खाने पीने के मामले में काफी फारवर्ड हो गए है। स्पीकर साहब हरियाणा में वीटा का दूध काफी म ाहूर है उसमे भी घाटा हो रहा है। आप कभी अम्बाला छावनी के बसा अड्डे पर त ारीफ ले जाए। वहां पर गर्मियों के दिनों में लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए बस से उतरते ही कैंटीन की तरफ भागते है लेकिन कैंटीन में लोगों को दूध बहुत मंहगा मिलता है। एक आदमी ने वहां सड़क पर बूथ बना रखा है जिसका मुंह इस तरह से कर रखा है कि दूध पीने वाले लोग आसानी से वहां पर पहुंच जाते है वह आदमी बहुत कमाई करता है। स्पीकर साहब, मुझे आप से भी एक ि ाकवा करना है क्योंकि आप हमारे कस्टोडियन है हमे बोलने के लिए समय का आरक्षण करते है और आप हमारी सेहत और तंदरूस्ती का भी ख्याल रखते है। एम0एल0एज0 होस्टल मे ंरोजाना

मेरा झगड़ा होता है कि भाई दूध कहां है वे कहते है कि साहब खुला दूध तो है लेकिन बंद नहीं है। हम कहते है कि हम तो बोतल का दूध पीने वाले है तो फिर हमें जवाब मिलता है कि साहब थोड़ा ठहरिए हम अभी ला देते है। इधर से हमारी कहीं जाने की तैयारी होती है और उधर से वे दूध लाने की बात करते है (विघ्न) हमारे मेहमान जो आते है वे दूध पीने वाले होते है तो इसका भी इंतजाम होना चाहिए। लोगों को इस कार्पोरे ान के तरफ से जो ठंडा दूध सप्लाई करना चाहिए वह भी नहीं कर पर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्पोरे ान में 540 लाख रूपये घाटा दिखाया गया है। इसका जवाब भी मेरे अजीज तैयब हुसैन जी देंगे। क्या जवाब देंगे यह तो वही जानते है। लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा कि यदि ये जवाब देना चाहते है तो अपना जवाब आफिसर्ज से लिखवा कर मंगवा लें, और उसे यहां पढ दे। (विघ्न)

श्री तैयब हुसैनः डाक्टर साहब, आप बोलिए। मुझे अपना जवाब अच्छी तरह से देना आता है। मैं जो जवाब दूंगा उसको लिखवा कर मंगवाने की आव यकता नहीं है, मुझे जवाब देना आता है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होंने इस रिपोर्ट के पेज नं0 3 पर प्वायंट नं02 में फरमाया है– This will be adjusted in subsequent years' accounts". ये लोगों को झांसा दे रहे है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? अध्यक्ष महोदय पेज 9 परआप इससे भी बढ़कर एक रोचक बात देखेंगे। ये फरमाते है–"An amount of Rs. 10,886.86 outstanding form M/s Titon Separators for more than

three years and nor correspondence in this regard was available- स्पीकर साहब यह कुल कितना लोन है, सिर्फ 10,886रू0 86 पैसे। ये एक–एक पैसे का हिसबा किताब रखने में बड़े माहिर है। इस बारे में औडिट पार्टी क्या कहती है वह भी सुन लीजिए। इस औडिट रिपोर्ट में लिखा है कि तीन साल से कोई कौरस्पौंडैस ही नहीं हुई इसका जवाब आएगा कि यह छोटी सी रकम है। मैं कहना चाहूंगा कि भले ही यह छोटी सी रकम हो लेकिन है तो हमारे हजारों मजदूर भाइयों, किसान भाइयों और छोटे–छोटे व्यापारियों की। उनका एक–एक पैसा इसमें भाामिल है ओर हम उनके इस पैसे के कस्टोडियन है। इसीलिए तो हम कम्पनी ऐक्ट के मुताबिक यहां पर इन रिपोर्टस को रखते है और उन पर विचार करते है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पेज नं011 पर इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें लिखा है, The Corporation has not maintained proper records toshow full particulars including quanittative details and situation of fixed assets. Further no physical verification of fixed assets has been conducted during the year by the management and as such we are unable to comment on any discrepancy which may exist.

स्पीकर साहब, इसमें असैट्स वैरीफिके ान की बात आती है। यह बड़ा सीरियस मामला है। यह कार्पोरे ान करती क्या है? इस कार्पोरे ान के पास करोड़ों रूपये के असैटस है। क्या यह कार्पोरे ान अपने असैटस का अकांउट भी ठीक प्रकार से नहीं रख सकती?

अध्यक्ष महोदय मुझे आपके माध्यम से फरदर सरकार से इस कार्पोरे ान के बारे में यह कहना है कि चौधरी तैयब हुसैन का इस में

वि ोश दोश नहीं है। पहली सरकार में वे होम मिनिस्टर थे। अब इस सरकार में बाई चांस इनको यह काम अभी हाल ही में मिला है। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैनः डाक्टर साहब, यह कार्पोरे ान मेरे पास नहीं है बल्कि यह श्री कटियाल साहब के पास है।

Shri Mangal Sein: Sorry, I stand corrected, Sir. स्पीकर सर, पेज–22 पर प्वायंट 7 में लिखा है–

"Deed of agreement in respect of unsecured loans advanced to the Corporation by Haryana Govt. has not been executed."

फिर प्वायंट 8 में लिखा है–

"Conveyance deed in respect of land acquired/purchased by the Corporation at its various Milk Plants and Milk Chilling Centres hasnot been executed.

स्पीकर सर, अब आप ही बताइये कि कितनी सीरियस लैप्स है? किसी की धरती ले ली, पैसे दे दिये। पैसे तो मां का दूध है, दे दिए। कौन परवाह करता है? लिखत–पढत कोई नहीं की, कनवियांस डीउ एग्जीक्यूट नहीं किया कि किससे ली। कल को कोई मुकर जाए, कोर्ट में दावा कर दें कि मैंनें तो लोन लिया ही नहीं था, फिर क्या बनेगा? फिर भागते फिरेंगे, लीगल रिमैम्बरैन्सर के पास, ऐडवोकैट जनरल के पास कि साहब कोई रास्ता बाताईये। मुझे तो सैक्रेटेरियेट में जाना नहीं है।.....। ये किसी से

भी एडवाईस ले सकते ह। ऐडवाईस लैने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये परे ाानी पैदा ही क्यों होने दें और समय पर काम क्यों नहीं कर लिया जाए?

Similarly point 10 says-

"The cost of land measuring 49,005 sq. yards acquired at Milk Plant, Ambala has not been initmated by the Haryana Govt. so far and as such it has not been incorporated in the books of the Corporation."

स्पीकर सर ये कितने चुस्त है? इसको लापरवाही कहूं तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा कठोर कह रहा हूं। क्रिमिनल नैगलीजैंसी नहीं कह रहा हूं लेकिन उनके पार्ट पर नैगलीजैंस है। थोड़ा सा माईड का प्रयोग करना चाहता हूं कि सरकार ने इंटिमेट क्यों नहीं किया और गवर्नमैंट ने क्यों नहीं पूछा कि क्या आपके पार्ट पर लैप्स है? यह कभी नहीं बताते की कितनी जमीन ली है और कितना रूपया दिया है। उसको बुक में भाामिल किया या कि नहीं किया?

स्पीकर सर, इसी तरह प्वायंट 12 में भी एक ऐसा ही तमा ाा है। इसमं लिखा है—

"Depreciation on plant & machinery has been charged in the books on single shift basis whereas part of the plant worked for more than one shift and no effect of the same has been given in charging depreciation."

अकाउंट मेनटेन करने में एक साधारण सी बात है कि म ाीनरी की डैप्रीसिये ान एक दिन में चलने वाली ि ाफटों पर मुनस्सर है। इसे नोट करना साधारण है। अगर म ाीनरी एक दिन में एक ि ाफट में चलती है तो वीयर एंड टीयर कम होती है और यदि म ाीनरी दिन में दो ि ाफट या तीन ि ाफट में चलती है तो वीयर एंड टीयर ज्यादा होगी।

प्वायंट 14 में लिखा है–

"A debit for Rs. 17,71,725.53 has arisen on account of enhancement in compensation of land acquired for MEAF, Bhiwani as decreed by Court of law. Out of this Rs. 19,54,295.37 has been paid till the end of year and debited to cost of land.

स्पीकर सर, भिवानी का भी जिक आ गया है। अब भिवानी वाला मिल्क प्लांट बंद पड़ा हुआ है। भिवानी में दूध की खपत काफी मात्रा में है लेकिन फिर भी वह मिल्क प्लांट बंद पड़ा है। स्पीकर साहब, इसी तरह से प्वांयट नम्बर 15 लीज ऐग्रीमैंट बिटवीन एच0डी0डी0सी0 एंड एच0डी0डी0सी0एफ0 के बारेमें हैं, यह ऐग्रीमैंट भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसी तरह से प्वायंट नम्बर 17 जो लोन के बारे में है, उसमे लिखा है– "Secured loan from Banks of Rs. 1,22,35,3.96.00 is secured against hypotehecation of land, building, plant & machinery, equipment, vehicles, etc of Milk Plant, Ballabgarh and guaranteed by Govt. of Haryana. The same has been classified as secured loan. However, the written down value of fixed assets at Ballabgarh Plant is Rs. 61,64,008.50."

Similarly point 18 says-

"No depreciation has been provided on livestock under the head fixed assets"

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से प्वायंट नम्बर बीस और इक्कीस है। आखिर में मैं पेज नंबर 25 पर आना चाहता हूं। उसमें फरमाया है कि औडिटर्ज को रिम्यूनरे ान के पिछले वर्श 7,200 रूपये दिये और अगले साल भी 7,200 रूपये दिये। प्रिंटिंग के पैसे पिछले वर्श ज्यादा दिये और करंट साल में कम दिये। इसी प्रकार से रेटस एंड टैक्सिज के 340 रूपये पिछले साल में दिये और करंट साल में 2,040 रूपये दिये। यहां पर टैक्सों में इतना फर्क कैसे हो गया? क्या टैक्सिज बढ गये? कटियाल साहब यह डिस्क्रिपैंसी क्यों हो गई है? अगर कार्पोरे ान ही टैक्सों की चोरी करेगी तो जनता से क्या आ ाा करोगे? आप करोगे तो और भी करेंगे। लीगल ऐक्सपैंसिज पिछले साल 7,527.50 रूपये थे लेकिन करंट ईयर मैं 7,697.20 रूपये हो गये। क्या लीगल प्रैक्टि ानर्ज का रेट बढ गया, या कचहरियों में काम ज्यादा गया, या किसी मंजूरेनजर पर कृपा करनी थी जिसकी वजह से ये ज्यादा पैसे देने पड़े? इसलिये मैं यही कहूंगा कि डेरी डिवैल्पमैंट कार्पोरे ान की पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है और इसे इम्प्रूव करना चाहिए। कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि हर बच्चे को दूध मिलें, और साफ सुथरा मिले।

स्पीकर साहब मैं करनाल जेल में रहा हूं। डायसी के मुताबिक मेरा वहां का डोमीसाइल का क्लेम बन जाता है। आप जानते

है कि डायसी बड़ा भारी लीगल फिलौसफर हुआ है। उसने कहा है कि कोई 160 दिन तक कहीं रह जाये तो उसका वहां डोमिसाईल का क्लेम बन जाता है। मैं करनाल में कोठी नम्बर 119 में पूर 18 महीने रहा हूं इसलिए मेरा वहां क्लेम बन जाता है। जेल के सामने ही करनाल में नै ानल डैरी है। वहां पर बड़े अच्छे मिल्क प्रोडक्टस बिकते है। दूध बड़ा भाानदार बिकता है, पनीर बिकता है। भााकाहारी आदमी के लिए दूध दही बड़ी अच्छी चीज है। अगर इस कार्पोरे ान की तरफ ध्यान दिया जाये तो यह कामयाब हो सकती है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो बाते मैंने कही है, उनका जवाब दे दें ताकि हम ऐनलाइटन हो जाये और हमें कोई भांका न रहे।

आवास राज्य मंत्री(श्री सुभाश चंद कटियाल): आदरणीय अध्यक्ष जी माननीय डाक्टर साहब ने डेयरी डिवैल्पमैंट कारपोरे ान के बारे में कुछ बातें रखी है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 31.3.1977 से यह कारपोरे ान कार्यरत नहीं है। आजकल यह नोन–फंक ानल बोडी है। इसके जो सारे काम है, वह डेयरी कोआप्रेटिव फैडरे ान ने संभाले है क्योंकि नै ानल डेयरी डिवैल्पमैंट बोर्ड का एक सुझाव था कि अमूल पैट्रन पर यह काम किया जाये। ये जो सारे काम है, यह डेयरी कोआप्रेटिव फैडरे ान के अंर्तगत आते है और चल रहे हैै। डाक्टर साहब ने कहा था कि प्राईवेट डेयरीज कमाती है लेकिन प्राइवेट वाले तो लेवर का ऐक्सप्लायटे ान भी तो करते है जो हमारे यहां पर नहीं होता। इसके अलावा हमारी जो डेयरी कोआप्रेटिव फैडरे ान है, इसने पिछले साल ही एक करोड़ तीन लाख

रूपये का प्रोफिट किया है जो बड़ी ही काबिले तारीफ की बात है। डाक्टर साहब को दूध का स्वाद बहुत याद आ रहा था। अगर डाक्टर साहब चाहेंगे तो हम एम0एल0एज0 होस्टल में भी उसका इंतजाम कर देंगे ताकि माननीय सदस्यों को और ज्यादा दूध मिल सके। डाक्टर साहब ने एक बात दस हजार रूपये की रा ि ा के हिसाब–किताब के बारे में कही। डाक्टर साहब ने उस बारे में एक भांका रखी थी। सारा हिसाब–किताब डेयरी कोआप्रेटिव फैडरे ान के पास है। वे बड़ी तसल्ली के साथ उसको देख सकते है। जहां तक इनके पेज, 22 पर 14 नं0 प्वायंट का ताल्लुक है उसके बारे में कहना यह है कि जो थोड़ा सा पैसा देना रहता है वह कोर्ट ने बढाया था वह पे कर दिया जायेगा। अब जैसे कि मैंने यह कहा कि इस वक्त यह नौन–फंक ानल बौडी है। सारे सुझाव इनके बढिया हैं। बेहतर यह होगा कि वे स ुझाव ये डेयरी कोआप्रेटिव फैडरे ान को ही दें। धन्यवाद।

(5) वर्श 1985–86 के लिए हरियाणा कृशि उद्योग निगम लिमिटेड की 19वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received notice of a motion under Rule 84 from Sarvshri Mangal Sein, Shiv Parshad, Rattan Lal Kataria, Devi Dass, Bhag Mal, Yogesh Chand Sharma, Kundan Lal Bhatia, Lachhaman Dass, Jai Narain Khundia, Kailash Chand Sharma, and Hira Nand Arya, M.L.As. regarding discussion on the 19th Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation for the year 1985-86, which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988.

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि वर्श 1985–86 के लिए हरियाणा कृशि उद्योग निगम लिमिटेड की 19वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे जो कि 22 अगस्त 1988 को सदन की मेज पर रखे गए थे पर चर्चा की जाये।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the 19th Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1985-86 which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988, be discussed.

श्री हीरा नंद आर्य(लोहारू): अध्यक्ष महोदय ऐग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में कोई चर्चा करना मैं समझता हूं कि मुर्दा ला ा की चर्चा करना है। लेकिनएक बात मैं थोड़ी से इस बारे में करना चाहता हूं। जब से तैयब हुसैन जी यहां पर आये है इन्होंने इसमें फिर से नयी जान डालने का प्रयत्न किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लैंड लैवलिंग के लिए किसानों को जो ट्रैक्टर्ज दिए जाते थे वे सब ट्रैकटर्ज बेच दिए। आधुनिक किस्म के औजार और सस्ते से जो ड्राईवर्ज थे वे भटकते फिर रहे है और बेकार बैठे है। मेरा कहना यह है कि उनको कहीं ऐडजैस्ट किया जाए। स्पीकर साहब ऐग्रीकल्चर इम्पलीमैंटस किसान को ऐग्रो इंडस्ट्रीज के थ्रू सप्लाई करने की योजना है। इसके तहत लैंड डिवैल्पमैंट बैंक पैसा सैंक ान करके ऐग्रों इंडस्ट्रीज को पेमैंट करेगा और ऐग्रो इंडस्ट्रीज किसान को ऐग्रीक्लचरल इम्पलीमैंटस सप्लाई करेगी। इस तरह से थर्ड पार्टी पेमेंट होगी और ऐग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान बिचौलिया का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, ऐग्रो इंडस्ट्रीज

कारपोरे ान को पहले भी बिचौलिया नियुक्त किया गया था लेकिन उस वक्त यह कापोरे ान फेल हो गई थी और किसान को ऐग्रीक्लचरल इम्पलीमैंटस उपलब्ध नहीं करा सकी थी। मैं कहना चाहता हूं कि कारपोरे ान पिछले तजुर्बे से कुछ सीखे और जो कमियां पहले रह गई थीं उनको दूर करे। स्पीकर साहब, मेरी जानकारी है कि हम किसानों को स्प्रिक्लर सैटस और दूसरे इम्पलीमैंटस वगैरह इस साल नहीं दे पाएंगे। मेरा कहना यह है कि इम्पलीमैंटस के लिए टैंडर इन्वाइट किए जाए ताकि हम ठीक प्रकार से लोगों की सेवा कर सके। स्पीकर साहब, हमारा पिछला तजुर्बा खराब रहा है। उस तजुर्बे का हमको लाभ उठाकर काम करना चाहिए ताकि किसानों को कोई परे ाानी न हो। धन्यवाद।

कृशि मंत्री(श्री तैयब हुसैन): स्पीकर साहब, श्री हीरा नंद आर्य ने हरियाणा ऐग्रों इंडस्ट्रीज कापोरे ान के सिलसिले में कहा है। मैं उसमे न जाते हुए यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब से चौधरी देवी लाल ने कार्यभार संभाला है उन्होंने हर कारपोरे ान को और हर चीज को बड़े गौर से देखकर उसको ठीक करने की कोि ा ा की है। उन्होंने कोि ा ा की है कि बात न सिर्फ आगे चले बल्कि अच्छे ढंग से चले और जो इसका बुनियादी मकसद है उस हिसाब से चले। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि पिछले सै ान में जब दवाइयों की बात आ रही थी तो आदणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अब हम भााहबाद में दवाएं बनाएंगे जिनकी पिछले दिनों भाौर्टेज रही थी। स्पीकर साहब, उस सिलसिले में तीन चार लाइसैंस हमें सैक ान हो

चुके है और हम उन दवाइयों को बनाने जा रहे है ताकि बम्बई, मद्रास की कम्पनीज द्वारा मिलावट का जो झगड़ा पिछले साल उठा था वह खत्म हो जाए। आदरणीय मुख्य मंत्री के हुक्म से वे सब दवाएं हम बनाने जा रहे है। स्पीकर साहब, यहां पर स्प्रिंक्लर सैटस के बात कही गई। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ये सैट्स हरियाणा ऐग्रों इंडस्ट्रीज के परव्यू में नहीं है। बाकी जो चीजें है वे हम सप्लाई करेंगे। स्पीकर साहब, आपको जानकर खु ाी होगी कि इस दफा जो हमने गेहूं प्रक्योरमैंट का काम किया, उसमें सत्तर लाख रूपया कमाया है जबकि पिछले साल घाटा रहा था। अगर इंट्रैस्ट को वेव कर दिय जाए और सही मायनों में देखें तो पिछले साल भी कारपोरे ान को घाटा नहीं था। यह मैं आपको खु ाखबरी सुना रहा हूं। अगर इंट्रैस्ट को वेव कर दिया जाए और सही मायने में देखें तो पिछले साल भी कारपोरे ान को घाटा नहीं था। यह मैं आपकों खु ाखबरी सुना रहा हूं। यह सब चौधरी देवीलाल के पर्सनल इंट्रैस्ट लेने के कारण हुआ है ताकि बीच में बिचौलिया न रहे, काम आगे बढ जाए और ठीक तरह से चले। स्पीकर साहब, यहां पर कहा जा रहा था कि यह मुर्दा ला ा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह अब मुर्दा ला ा नही रही। अब तो यह चौधरी देवी लाल ने बहुत सरपट दौड़ा रखी है।

श्री रघु यादवः हम तो पहले भी आपसे यही कहते थे लेकिन आप मानते ही नहीं थे।

श्री तैयब सिंह हुसैनः स्पीकर साहब मैंने अच्छी बातें हमे ाा मानी है। आप कभी भी रिकार्ड उठा कर देख लें। स्पीकर साहब,

पिछले साल क्युमुलेटिव लौसिज 10.56 करोड़ रूपए के थे और पिछले साल 232 लाख रूपए के थे लेकिन इस साल वह सौ लाख रूपए के है। अगर सारी रियायतों को जोड़ लिया जाए तो हरियाणा ऐग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान अब घाटे में नहीं है। हमने उसमें सत्तर लाख रूपया कमाया है। स्पीकर साहब, आपको जानकर खु ाी होगी कि अब हम पैस्ट्रीसाईडज बनाने जा रहे है। स्पीकर साहब, मैं यह भी खु ाखबरी देना चाहता हूं कि जींद के प्लांट में हमें बीस लाख रूपए का नफा हुआ है जबकि पिछले साल 101 लाख रूपए का घाटा था। इसी तरह से हमने इंजीनियरिंग वर्क्स में ग्यारह लाख रूपए से बढाकर 37 लाख रूपया मुनाफा कमाया है जो तीन सौ परसैंट की इंक्रीज है। इस तरह की सारी चीजें है जिनको हम आगे करने जा रहे है जैसे डीजल इंजन इलैक्ट्रिक मोटर्ज मोनो ब्लाक पम्पिंग सैटस टायर ट्यूबज और बैटरी वगैरह को ऐग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा किसानों को सप्लाई करने की हमारी तजवीज है। यह सब हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय केही ऐफर्टस का नतीजा है। यह एक बहुत बड़ा फैसला है जोकि हमारी इस सरकार ने किया है। इसलिये मैं इस हाउस के मुअजिज मैम्बरान से यह दर्खास्त करूंगा कि वे इस काम में हमारी मदद करे। इसमें हम इस हाउस की, सारे हरियाणा की मदद चाहेंगे जिससे हम इस काम को सिरे चढा पाएंगे। इससे जो बोगस लोनिंग होती थी वह रूकेगी और किसानों को माल भी अच्छा मिलेगा। लैंड मार्गेज बैंक का इन चीजों पर लगभग 70 करोड़ रूपया खर्च करने का टारगैट है। प्राईवेट डीलर्ज खत्म कर दिये गये है। लैंड मार्गेज बैंक में एम्पलाईज के भी दो सैक ानज है जोकि दो तरह की बातें करेंगे। उन पर भी इस चीज का

अव य ही असर पड़ेगा लेकिन हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। हम ने इस सारे मामले को केवल एग्रो–इंडस्ट्रीज पर ही न छोड़कर हर जिले में जो डिप्टी डायरैक्टर्ज ऐग्रीक्लचर है उन पर जाति तौर पर इस काम की जिम्मेवारी डाली गयी है कि वे अपने–अपने जिले में ऐग्रों इंडस्ट्रीज और लैंड मार्गेज बैंक के बीच में कोआर्डीनेट करें और किसानों से भी सम्पर्क रखें। वह क्लास–वन अफसर है अगर वह किसी बात में कोताही करेगा तो उसको जाति तौर पर जिम्मेवार ठहराएंगे। हमें तो केवल आप सब लोगों की कोआपरे ान और तुआवन की जरूरत है जिससे सारे हरियाणा का फायदा होगा। इसलिये मैं आपसे कोआपरे ान की दर्खास्त करूंगा।

(6) वर्श 1985–86 के लिए हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्ति ाल्प निगम लिमिटिड की10वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखें।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received notice of a motion under Rule 84 from Sarvshri Mangal Sein, Shiv Parshad, Rattan Lal Kataria, Devi Dass, Bhag Mal, Yogesh Chand Sharma, Kundan Lal Bhatia, Lachhaman Dass, Jai Narain Khundia, Kailash Chand Sharma, and Hira Nand Arya, M.L.As. regarding discussion on the 20th Annual Report and Accounts of Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. for the year 1986-87, which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988,

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि वर्श 1986–87 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटिड की 20वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखे, जोकि अगस्त, 1988 को सदन की मेज पर रखे गए, पर चर्चा की जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the 20th Annual Report and Accounts of the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. for the year 1986-87, which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988m be discussed.

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। रूल 84 की डिस्क ान को बेकार की बात न समझा जाए। इस बारे में मेरी प्रार्थना है कि भविश्य में इस पर डिस्क ान के लिये अलग से टाईम अलाट किया जाए।

कृशि मंत्री(श्री तैयब हुसैन): स्पीकर सर, इन्होंने जो बेकार का लफ्ज इस्तेमाल किया है उसको ऐक्सपंज किया जाए। ऐसा कहना भाोभा नहीं देता।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, अगर ये इसको गलत समझते है तो मैं इसको वापिस लेता हूं। मैं तो कह रहा था कि भविश्य में इस तरह के मो ान के लिये अलग से टाइम अलौट किया जाना चाहिये। हमे ाा यह होता आया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः चलो बजट सै ान में ऐसा कर लेंगे।

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय, हमे ाा से ही ऐस होता आया है कि रूल 84 के तहत मो ान आखिरी दिन रखकर दौड़ धूप में ये सब कुछ करना चाहते है। इसलिये अगर अलग से इस पर डिस्क ान के लिये दिन रख लिया जाए तो बेहतर रहेगा ताकि हर मैम्बर को इस पर खुलकर अपने विचार रखने का अवसर मिल सके।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री रघु यादव।

श्री रघु यादव(रेवाड़ी): अध्यक्ष महोदय कृशि प्रधान प्रदे ा हरियाणा में तेज और व्यवस्थित औद्योगिक विकास के उद्दे य से 8मार्च, 1967 को एच0एस0आई0डी0सी0 का गठन किया गया था। तब यह आ ाा जागी थी कि एच0एस0आई0डी0सी0 की गतिविधियां इस प्रदे ा में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और यहां स्थापित उद्योग हमारे प्रदे ा में रोजगार के नये अवसर पैदा करने के काम में अहम भूमिका अदा करेंगे। इससमय जिस बीसवीं रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है इसमें लिखा गया है कि एच0एस0आई0डी0सी0 द्वारा औद्योगिक विकास के लिए हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर प्लाटस और भौडज बनाये गये है। यह तथ्य है कि ये जो प्लाटस और भौडज बनाये गए है इनमें से अधिकां ा दिल्ली के नजदीक चारों ओर ही है। हरियाणा वासियों को औद्योगिक गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिये ये प्लाट वे भौडज उन्हें देने की बजाये दिल्ली और बाहर के लोगों को ज्यादा दिए गए है। सबूत के लिए मैं कुछ आंकड़े देता हूं। गुड़गांव में उद्योग विहार के नाम से कुल 62 प्लाट दिए गए, इनमें से केवल 14 ही हरियाणा वासियों को मिले है। यानी 22 प्रति ात हरियाणा वासियों को मिले और बाकी

के दिल्ली के निवासियों को दिए गए। प्रदूशण तो हरियाणा में हुआ बहु मूल्य जमीन तो हरियाणा की गई लेकिन उसका फायदा दिल्ली के सरमायदारों को मिला, जिन्हें दिल्ली में प्रदूशण फैलाने की इजाजत नहीं थी। यही स्थित मुरथल में भी है। वहां 40 प्लाटों में से मात्र 14 प्लाट हरियाणा वासियों को मिलें। कुंडली में 83 प्लाटों में से मात्र 16 प्लाट हरियाणा वासियों को मिलें, भोश प्लाटस हरियाणा के बाहर के लोगों को मिले। संभालखा में भी यही स्थिति है। वहां कुल 27 प्लाट आवंटित किए गए थे जिनमें से 9 प्लाट ही हरियाणा वासियों को मिले। संभालखां, कुंडली, मुरथल और डूंडा हेड़ा ये सभी जगहें दिल्ली से लगती हुई है। हरियाणा में औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की बहुमूल्य जमीन कौड़ियों के भाव ली जाती है और उस पर उद्योग लगाए जाते है। उद्योग इस आ ाा के साथ लगाए जाते है कि कृशि के काम में जो सरप्लस आदमी लगे हुए है उनको इस ओर आकर्शित कर खपाया जाए। ये उद्योग न केवल हरियाणा वासियों को उद्योग स्वामी बनायेंगे परन्तु ये रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। कृशि के क्षेत्र में जो सरप्लस बेरोजगार है, उनको खपाएंगे। लेकिन प्लाटों का जो आबंटन हुआ है उससे स्पश्ट है कि दिल्ली के सरमाएदारों को ज्यादा फायदा हुआ है। इसी तरह से भौडज की बात है। फरीदाबाद में 31 भौड बनाए गए जिनमें से 17 भौड हरियाणा वासियों को मिले और बाकी के भौड हरियाणा से बाहर के लोगों को मिले। यही स्थिति मुरथल में है जहां 19 भौड बनाए गए जिनमें से 6 यानी 31 प्रति ात हरियाणा वासियों को मिले बाकी बाहर के लोगों को दिए गए। रेजका मेव हजां से चौधरी तैयब हुसैन जी आते है उस पिछड़ें हुए इलाके में 5

भौड बनाए गए थे उनमें से मात्र एक भौड ही हरियाणा निवासी को मिला। प्लाटस और भौडज के मामले में हम देखते है कि ये खोले तो गए थे हरियाणा के औद्योगिक विकास के लिए, कृशि में लगे लोगों को औद्योगिक गतिविधियों मे लाने के लिए लेकिन उनका लाभ दिल्ली और बाहर के सरमाएदारों को ही मिला है। अध्यक्ष महोदय जहां तक रोजगार का सवाल है एक नीति तय की गई थी कि जो औद्योगिक विकास हरियाणा में होगा, वह हरियाणा के लोगों को रोजगार के नये अवसर देगा और हरियाणा से बेरोजगारी दूर करने में हम लोगों को सहायता मिलेगी। लेकिन देखने में आया है कि प्रदे ा के तमाम 12 जिलों मे ंजो औद्योगिक विकास हुआ है, वहां जो औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है, उनमें रोजगार के लिए सभी जिलों में स्थित रोजगार कार्यालयों से लोगों के नाम नहीं मंगवाए जाते। वे सभी औद्योगिक इकाइयां अपनी मनमर्जी से हरियाणा की बजाए बाहर के लोगों को रोजगार देती है। जैस एच0पी0 कौटन मिल, हिसार में देखा जा सकता है। उस मिल में एक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां जो लोग कार्यरत थे, उनमें से केवल 23 प्रति ात लोग हरियाणा के थे। बाकी सभी बाहर के प्रदे ाों से थे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदे ा में जितनी भी औद्योगिक ईकाइयां स्थापित है उनमें हरियाणा वासियों को इसलिये रोजगार नहीं दिया जाता क्योंकि उनको मिनमम वेजिज देने पड़ेंगें पूरे ओवर टाईम का भुगतान करना पड़ेगा तथा उनका भाोशण भी आसानी से सम्भव नहीं हो सकेगा। हम लोग भूमि पुत्र के सिद्धांत को नहीं मानते। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा के तमाम जिलों और बड़े बड़े नगरों में जो रोजगार

कार्यालय कार्यरत है उनका उपयोग इन औद्योगिक इकाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह कानूनी तौर पर भी जरूरी है। इस बारे में हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और खास करके उन औद्योगिक ईकाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिन को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार बड़े लिबरल तरीकें से लोन देती है। उनमें हरियाणा वासियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय पिछड़ा क्षेत्र चाहे महेंद्रगढ हो या मेवात वहां पर औद्योगिक विकास के नाम पर सरकार ने उद्योगपतियों को सहायता और अन्य सुविधाएं दी। वहां पर हरियाणा के लोगों ने कितन उद्योग लगाए है उसके बारे तो मैं पहले ही बता चुका हूं। धारूहेड़ा में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में से अधिकां ा का मकसद औद्योगिक गतिविधियों से नहीं बल्कि जो सबसिडी की और अन्य रियायते थी उनको हड़पना था। इसलिए आज भी धारूहेड़ा में कई औद्योगिक प्रतिश्ठान जिनको कई लाख रूपए अनुदान के रूप में सहायता दी गई थी, वे बंद पड़े है। वहां पर जो थोड़ी बहुत औद्योगिक ईकाइयां कार्यारत है और चल रही है, उनमें कुल रोजगार का मात्र 27 प्रति ात महेंद्रगढ जिले के पिछड़े लोगों को मिला है। अध्यक्ष महोदय पिछड़े जिलों में या पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी सहायता व सुविधाओं से जनता के खजाने में से पैसा दे कर इसलिए उद्योग स्थापित नहीं किए जाते है कि वहां पर बड़ी–बड़ी इमारते खड़ी हों जो 24 घंटे जगमगाएं और वे कारखाने उस क्षेत्र की बहुमूल्य जमीन पर खड़े होकर प्रदूशण फैलाएं। पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास का आ ाय है कि वहां पर नए नए उद्योग स्थापित हों और वे उद्योग लोगों को रोजगार के नए और अधिक अवसर पैदा

करें। कोई क्षेत्र भूमि से पिछड़ा नहीं होता और न ही नाम से पिछड़ा हुआ होता है। कोई क्षेत्र इसलिए पिछड़ा होता है कि उसके निवासी आर्थिक दृश्टि से कमजोर और बेरोजगार होते है। महेंद्रगढ जिला इसलिए पिछड़ा हुआ है कि वहां की भूमि उरवर्क नहीं है और वहां पर पानी भी कृशि योग्य नहीं है। महेंद्रगढ जिला सदियों से जो लोग राज करते रहे है उनकी उपेक्षा का ि ाकार हुआ हैं। पहले अंग्रेजों का राज रहा और फिर बाद में कांग्रेस पार्टी का राज रहा जिसमें वहां के लोगों का भाोशण होता रहा। जिनकी भी हकूमत रही उनकी ही उपेक्षा का ि ाकार हुआ हैं। महेंद्रगढ जिले के धारूहेड़ा क्षेत्र का जो औद्योगिक विकास किया गया था वह इसलिए किया गया था कि वहां पर नए उद्योग लगेंगे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आंकड़े बताते है और खुद हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी सदन में स्वीकार कर चुके है कि महेंद्रगढ जिले में सरकार से लाखों रूपये की सबसिडी और अन्य सुविधाएं लेकर जो उद्योग स्थापित किए गए है उनमें उस पिछड़े जिले के केवल 27 प्रति ात लोगों को रोजगार मिला है। अध्यक्ष महोदय, उस पिछड़े जिले का विकास इसलिए सम्भव नहीं है क्योंकि वहां पर सबसिडी डकारने के लिए ऐसा किया गया है और उन उद्योगों में प्रदे ा के बाहर के बिहार, उड़ीसा और मद्रास के लोगों को रोजगार दिया गया है। बिहार, उड़ीसा और मद्रास के लोगों से हमारा कोई द्वेश नहीं है उन्हें नौकरी मिले इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको नौकरी इसलिए दी जाती है क्योंकि उन लोगों का भाोशण आसानी से किया जा सकता है। अगर धारूहेड़ा के उद्योगों में महेंद्रगढ जिले के लोगों को लगाया जाएगा तो वे अपने घर से दो रोटी खा कर

काम पर आ जाएंगे और उनके साथ अगर किसी फैक्टरी का मालिक अन्याय करेगा, मिनिमम वेज नहीं देगा या ओवर टाईम का भुगतान नहीं करेगा तो महेंद्रगढ जिले के लोग झंडा गाड़कर अपने अधिकारें के लिए लड़ सकेंगे भाोशण के खिलाफ आवाज उठा सकेंगे। जबकि बिहार उड़ीसा और मद्रास के लोग जो उन उद्योगों में काम कर रहे है वे घर से चूंकि कई सौ मील दूर है, इसलिए वे अन्याय और भाोशण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। जो लोग बाहर से बहुत दूर के प्रदे ाों से आ करके काम करते है, उनका फैक्ट्रियों वाले बड़ी आसानी से भाोशण कर सकते है। इसलिए हरियाणा प्रदे ा के लोगों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें उद्योगों में रोजगार दिया जाता। अध्यक्ष महोदय, हमारे उद्योग मंत्रालय को चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों में जो औद्योगिक विकास हुआ है और जो खास करके एच0एस0आई0 डी0सी0 की मदद से हुआ है.....

Mr. Speaker: Please wind up.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं वाईड अप कर रहा हूं। पिछड़े क्षेत्रों में जो भी औद्योगिक विकास हुआ है उसके निलऐ ऐसे सख्त नियम बनाए जाने चाहिएं कि उन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों में उसी पिछड़े क्षेत्र में कम से कम 80 प्रति ात लोगों को रोजगार मिले वरना स्थिति विस्फोटक हो जाएगी और उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार पर लगी रहेगी।

अब मैं एक अंतिम बात सार्वजनिक प्रतिश्ठानों के बारे में कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक अंडर टेकिंग्ज की जो

कारगुजारी हरियाणा प्रांत में देखने को मिल रही है उससे लग रहा है कि Public Undertaking is nobody's Undertaking. पब्लिक अंडरटेकिंग जिसमें जनता का पैसा लगा होता है वहां किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। वहां पर अपव्यय होता है। समय का अभाव होने के कारण मैं सभी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के बारे में अपनी बात नहीं कह पाउंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो ही सार्वजनिक प्रतिश्ठानों के बारे में कहना चाहता हूं। एक है हरियाणा टेलीविजन जो फरीदाबाद में खोला गया था, जहां पर टैलीबर्ड के नाम से टेलीविजन बनाये जाने थे। इस सार्वजनिक प्रतिश्ठान के बारे में पहले धीरपाल भी बोला करते थे, जब ये पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी के सदस्य होते थे। ये आज भी सदन में उपस्थित है। इन्हें इस प्रतिश्ठान के बारे में अच्छी तरह से पता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा टेलीविजन फरीदाबाद में उस समय खुला था जब टेलीविजन इंडस्ट्री लगाई थी उनका विकास इतना अधिक हो गया है कि प्राईवेटली टेलीविजन इंडस्ट्री लगाई थी उसका विकास इतना अधिक हो गया है कि आज वे अरबपति व खरबोपति हो गए है। हरियाणा टेलीविजन 40 एकड़ भूमि और 40 लाख रूपये के भवन में खुलने के बावजूद आज इतने घाटे में चला गया है कि उसको बंद करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो एच0एस0आई0डी0सी0 की गतिविधियां है उनके बारे में अपनी बात आपकी मार्फत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इंडस्ट्री एच0एस0आई0डी0सी0 की मार्फत हरियाणा में लगाई जा रही है उनसे खासकर महेंद्रगढ और मेवात के पिछड़े लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार का पैसा जाया जा रहा है। मैं यह भी कहना

चाहता हूं कि सार्वजनिक प्रतिश्ठानों की तरफ वि ोश ध्यान देने की आव यकता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक महान सदन है। इसमें बोला गया हरेक भाब्द वि ोश महत्व रखता है। यहां पर बोला गया हर भाब्द रिकार्ड होता है और आने वाली हमारी पीढ़ीयां कहेंगी कि जिस समय यह अंधेर खाता चल रहा था, जिस समय यह लूट मची हुई थी, उस समय कुछ जागरूक लोग चौधरी देवी लाल जी के अनुयायी अर्थात लोकदल के प्रहरी इस अन्याय के खिलाफ और इस भाोशण के खिलाफ बोला करते थे। अध्यक्ष महोदय, यही हाल हरियाणा टैनरीज का हुआ है। यहां जरूरत से ज्यादा म ीने मंगवाई गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि we must make them responsible. We must see that public money is invested and guarded properly. अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात का ख्याल करें कि प्लाटस और नौकरियां हरियाणा के लोगों, खासकर पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक मिलें और साथ ही सार्वजनिक प्रतिश्ठानों की सेहत को ठीक करें वरना जो समाजवादी व्यवस्था मिलें और साथ ही सार्वजनिक प्रतिश्ठानों की सेहत को ठीक करें वरना जो समाजवादी व्यवस्था का ढांचा हम खड़ा करना चाहते है वह चरमरा जायेगा। (घंटी) स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

उद्योग मंत्री(डा0 किरपा राम पुनिया): अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट पर बोलते हुए श्री रघु जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की और अपना काम काफी कन्सर्न जाहिर किया। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र में डिवैल्प करना हो वहां के

लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए और उन लोगों को ऐम्पलाएमैंट भी मिलनी चाहिए। मगर माननीय सदस्य इस बात को भूल गए कि औद्योगिक विकास कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए आज के दिन हिंदुस्तान में होड़ लगी हुई है। हर प्रांत अपने प्रांत में औद्योगिक ईकाइयां लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्सैंटिव दे रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले दिनों हमने भी दूसरी स्टेट्स के इंसैंटिव को स्टडी करके हरियाणा प्रदे ा के लिए एक नई इंसैंटिव स्कीम की अनाउंसमैंट की है। अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियलिस्ट हरेक बात को देखता है कि किस तरह की उसको सुविधाएं मिलती है और क्या–क्या उस पर पाबंदिया है। आया उसने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेल करना है या नहीं, आया उसको लोन, रा मैटीरियल या बिजली का कनैक ान और दूसरी सारी सुविधाएं ठीक–ठाक मिलती है या नहीं। (14.00बजे) कहीं बहुत ज्यादा रैड–टेपिज्म तो नहीं है या कोई और गलत बात तो नहीं जिससे उसको इंडस्ट्री का यूनिट स्थापित करने में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। यह सारी की सारी बातें ऐंटरप्रिन्योर देखते है। बैकवर्ड एरिया के बारे में भाई रघु यादव जी ने कह तो दिया है कि हरियाणा को बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया जाए। इसमें धारूहेड़ा का नाम भी उन्होंने लिया है और महेंद्रगढ जिले को भी इसमें भाामिल किया है। उनकी भावना बहुत अच्छी है कि वहां पर सारे के सारे लोकल लोगों को प्लाटस मिलें, भौडज मिले, और वहां की इंडस्ट्री में लोगों को एम्पलायमैंट भी मिलें। मगर स्पीकर साहब, अगर बाहर के लोग यहां इंडस्ट्री लगाएं नहीं और यहां के हमारे लोकल ऐंटरप्रिन्योर मिलें नहीं तो क्या कभी यह सम्भव है कि इंडस्ट्री का विकास सारे प्रांत में हो

सकेगा। हम हमे ाा यह कोि ा ा करते है कि लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। मैं आज भी सदन को वि वास दिलाना चाहता हूं कि लोकल ऐंटरप्रिन्योर किसी किस्म का भी लाइसैंस या कोई सुविधा लेने को उत्सुक है तो हम उसको सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन जितने बड़े–बड़े प्रोजैक्टस इंडस्ट्रियलिस्टस बैकवर्ड एरियाज में लगाते है वे हरियाण से बाहर के होते है। जैसे कि श्री रघु यादव जी ने जिक्र किया कि स्टेट में जो बैकवर्ड एरियाज है उनमें लोकल ऐंटरप्रिन्योर अवेलेबल नहीं है इसलिए वहां पर बाहर के इंडस्ट्रियलिस्टस आते है। चाहे उनमें दिल्ली के हों, बम्बई या कलकता के हों, हमें उनका वैल्कम करना चाहिए। अगर बड़े–बड़े इंडस्ट्रियलिस्टस इंडस्ट्रीज सैट–अप करेंगे तो उससे स्टेट को बहुत लाभ है। हो सकता है कि वहां पर कारखाने में लोकल लोगों को एम्पलायमैंट न मिल सके। वहां पर सिर्फ कारखाने में नौकरी मिलने से ही डिवैल्पमैंट नहीं होती बल्कि वहां पर बहुत सारी सर्विसिज ऐसी भी होती है जो उस इंडस्ट्री या कारखाने के सहारे पर ही डिवैल्प होती है। जैसे धारूहेड़ा को ही आप देख लें। आज से दस साल पहले अगर किसी ने धारूहेड़ा को देखा है तो उसे याद होगा कि दस साल पहले वहां पर एक चाय का खोखा तक भी नहीं था। लेकिन आज वहां पर पूरी चहल–पहल और रौनक है। मैं एक छोटी से ऐम्पलाईज दे रहा हूं कि वहां पर आज कितने ही चाय के खोखे, ढाबे वगैरा और बहुत सी चीजें डिवैल्प हुई है जिससे सैंकड़ों लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है। इस तरह से काफी फैसिलिटीज लोगों को उपलब्ध होती है, काफी रोजगार भी मिलता है और ये सारी चीजे स्टेट की डिवैल्पमैंट में लाभदायक सिद्ध होती है।

जहां तक ऐम्पलायमैंट का सवाल है, स्पीकर साहब, कई बार ऐसा देखने को मिलताहै कि ट्रेंड इंजीनियर्ज या दूसरे टैक्नीकली स्किल्ड लोग वहां पर अवेलेबल नहीं होते। इसका मतलब यह तो नहीं कि यदि यहां अवेलेबल नहीं है तो उन्हें बाहर से लाने ही न दें। ऐंटरप्रिन्योर उनको बाहर से लाएंगे और उनको लाना भी पड़ेगा। मगर स्किल्ड लेबर को छोड़कर अनस्किल्ड लेबर के लिए हमने एच.एस.आई.डी.सी. की टर्म्ज एंड कंडी ान्ज में लोन या लाईसैंस देने मे ंयह कंडी ान लगा रखी है कि अन–स्किल्ड लेबर या लोकल लोगों को जहां भी ऐम्पलायमैंट देना संभव हो वे प्रेफरैंस देंगे। (व्यवधान) स्पीकर साहब बदकिस्मती यह भी है कि हमने धारूहेड़ा को बहुत उम्मीदों के साथ डिवैल्प करने की कोि ा ा की। चाहे वह बिजली की कमी की वजह से हो या उसके कुछ दूसरे कारण हों, जिससे डिवैल्पमैंट रूक गई है। हो सकता है कुछ अनस्कूपल ऐंटरप्रिन्योर भी आ गए हों जैसे कि अभी भाई रघु यादव जी ने जिक भी किया कि कुछ लोग सबसिडी खाने के चक्कर में रहते है। हो सकता है कि ऐसे कुछ व्यक्ति हों, परन्तु सभी लोग सबसिडी खाने के चक्कर में नहीं रहते है। यह सिर्फ हरियाणा में ही नहीं सारे हिंदुस्तान ही में कुद अनस्कूप्लस ऐलिमैंटस ऐसे मिल ही जाएंगे। लेकिन सब की भावना यह नहीं होती कि सबसिडी खाने के लिए वे लाईसैंस ले और इतना सारा ढमढमा वहां जमाएं। मगर फिर भी कुछ केसिज ऐसे हो सकते है। धारूहेड़ा में जरूर कुछ बड़ी यूनिटस बंद पड़ी है। कल मैनें एक सवाल के जवाब में भी बताया था कि वहां पर काफी यूनिटस बंद पड़ी है जिसमें काफी इंवैस्टमैंट की हुई है। एक बहुत बड़ी यूनिट जिसमें करीब 34 करोड़ रूपये की इंवैस्टमैंट

लगी हुई है सहगल पेपर मिल बंद पड़ी है। उसकी वजह से न केवल धारूहेड़ा बल्कि रिवाड़ी ब्लाक को भी बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने बैकवर्ड एरिया के बारे यह कंडी ान लगायीहै कि अगर किसी ब्लाक में कैपिटल इंवैस्टमेंट तीस करोड़ रूपये से बढ जाती है तो वहां पर कैपिटल इनवैस्टमैंट पर सबसिडी नहीं मिलती। सहगल पैपर मिल जो कि रिवाड़ी ब्लाक में है वह बंद हो गई है। इस यूनिट में बदकिस्मती से तीस करोड़ से अधिक की इनवैस्टमैंट की गई थी। अब वह बंद हो गई है जिसके कारण वहां पर सबसिडी नहीं मिल रही। हम इस बारे में गवर्नमैंट आफ इंडिया से क्लैरिफिके ान ले रहे है कि अगर इस तरह की इनवैस्टमैंट वाली यूनिट लग जाये और बाद में वह ठप्प हो जाये तो उसका खामियाजा दूसरे लोग क्यों उठाये। उनके लिए वहीं फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए जो पहले होती थी। यह मामला हमने भारत सरकार के साथ टेक–अप किया है। उम्मीद है कि फेवरेबल होगा और उस एरिया को यह फैसिलिटी मिलेगी। मैं इस बात से भी कतई तौर पर मुतफिक हूं कि हरियाणा के ऐंटप्रिन्योर्ज को हरतरह से प्रैफरैंस मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए और ऐम्पलायमैंट में यहां के लोगों को प्रैफरैंस मिलनी चाहिएं इस बारे में हम पूरी कोि ा ा करेंगे। दूसरे रघु यादव जी ने कहा कि सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्लाटस और भौडज हरियाणा के लोगों को दिए जाएं। आज कहीं बीस परसैंट और कहीं तीस परसैंट दिए है। आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्टेज है। इस स्टेज पर इस तरह की कंडी ान लगाना ठीक नहीं है।

श्री रघु यादव जी ने यह भी जिक्र किया कि पब्लिक अंडर टेकिंग्ज काफी घाटे में चल रही है और खासतौर पर उन्होंने टैनरी और टेलीविजन का जिक्र किया। ये यूनिटस हमें विरासत में मिली थी। बहुत सारी यूनिटस के बारे में एक ऐक्सपर्ट कमेटी बनायी हुई है। मिनिस्टरी लैवल परयह हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है। उसने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। इसलिए फैसला किया गया है कि जो विरासत में इस किस्म की इकाइयां मिली है जैसे हरियाणा टैनरी और टेलीविजन, उनको बंद कर देना चाहिए। बाकी के बारे में बहुत विस्तार से स्टडी करने के बाद यह फैसला किया गया कि इनको सहायता दे कर चालू रखा जाये चाहे वे घाटे में हैं। वह इसलिए किया गया क्योंकि वे प्रांत की सेवा कर रही है। इसलिए उन्हें चालू रखना अत्यंत आव यक है।

जहां तक एच0एस0आई0डी0सी0 के फंक्शन का सवाल है, वह काफी मुनाफे में चल रही है। 1985–86 में 45 लाख रूपये का प्रौफिट है, 1986–87 में भी 45 लाख रूपये का प्रोफिट है। 1987–88 में 47.76 लाख रूपए का प्रौफिट होने का ऐस्टीमेट है। काम ठीक चल रहा है। कोई परटर्ब होने वाली बात नहीं है। धन्यवाद।

(8) वर्श 1986–87 के लिए हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटिड की 5वीं वार्शिक रिपोर्ट तथा लेखें

Mr. Speaker: I have received notice of a motion under Rule 84 from Sarvshri Mangal Sein, Shiv Parshad, Rattan Lal Kataria, Devi Dass, Bhag Mal, Yogesh Chand Sharma, Kundan Lal

Bhatia, Lachhaman Dass, Jai Narain Khundia, Kailash Chand Sharma, M.L.As. regarding discussion on the 5th Annual Report and Accounts of Haryana State Electronics Development Corporation Ltd. for the year 1986-87, which was laid on the Table of the House on 22nd August, 1988,

(No member rose to speak).

Mr. Speaker: The motion is not moved.

(14.09 बजे) अब हाउस साइने डाई ऐडजर्न किया जाता है।

(तत्प चात सदन अनि चत काल के लिए स्थगित हुआ।)